राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय परित्याग

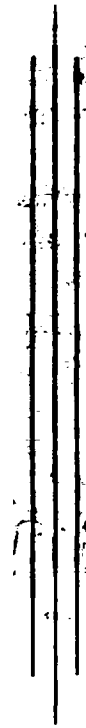

1992

अनुसंधान अनुभाग

क्षिक अनुसंधान एवं प्रसार सेवा विभाग

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर - 313001

NIEPA DC

D07191

— 543
372
RAJ — R

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No ......D-7191......
Date ......4.9.92......

प्राक्कथन

शिक्षा के सार्वजनीनीकरण के संदर्भ में जहाँ शत-प्रतिशत बालक-बालिकाओं का विद्यालय में प्रविष्ट न होना एक अहम् समस्या है, वहाँ नामांकित विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय छोड़ देना और अधिक गम्भीर तथा चुनौतीपूर्ण समस्या हैं । शिक्षा के व्यापक प्रसार सम्बन्धी हमारे प्रयत्न अकारथ न जावें, इसके लिए विद्यार्थियों के विद्यालय परित्याग की इस जटिल, गहन और चुनौतीपूर्ण समस्या का शीघ्र और प्रभावी समाधान आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य भी है ।

समूचे राज्य के संदर्भ में विद्यार्थियों के विद्यालय परित्याग की वस्तुस्थिति एवं कारण दर्शाने वाले प्रामाणिक शोध निष्कर्ष इससे पूर्व उपलब्ध नहीं थे। अतः संस्थान के अनुसंधान अनुभाग ने यह शोध कार्य हाथ में लिया और व्यापक न्यादर्श के आधार पर समस्या का गहन अध्ययन किया ।

इस दुरूह और व्यापक कार्य को वांछित गुणवत्ता के साथ यथासमय सम्पादित करने में डा० जगदीशचन्द्र व्यास, अनुसंधान अधिकारी ने अथक प्रयास किया, एतदर्थ डा० व्यास तथा इस कार्य के सम्पादन में सहयोग करने वाले उनके सभी साथी श्लाघा के पात्र हैं ।

डा० आर० पी० भटनागर, सेवानिवृत प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (शिक्षा) मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ तथा श्री पुरूषोत्तम तिवारी, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षाविभाग, राजस्थान ने प्रतिवेदन की समीक्षा कर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए । परिणामतः इसकी गुणवत्ता में अभिवृद्धि हुई । उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ ।

आशा है इस अध्ययन के निष्कर्ष शिक्षा प्रशासकों, नीतिनिर्धारकों, योजना शिक्षाकर्मियों के लिए उपादेय सिद्ध होंगे ।

दिनांक - 31 मई, 1992

कृष्णगोपाल बीजावत
निदेशक
राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर

विशेषज्ञ का अभिमत

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर के अनुसंधान अनुभाग द्वारा सम्पन्न राज्य स्तरीय अनुसंधान ''राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय परित्याग'' के प्रतिवेदन को पढ़ने का अवसर मुझे मिला । मेरी जानकारी में देशभर में किसी संस्था द्वारा किया गया इस प्रकार का व्यापक एवं राज्य स्तरीय पहला शोध कार्य है। सम्पूर्ण प्रतिवेदन को मैंने बारीकी से पढ़ा है तथा तकनीकी दृष्टिकोण से भी उसकी प्रत्येक प्रक्रिया की जाँच की है । शोध-विधि के दृष्टिकोण से सम्पूर्ण कार्य सराहनीय है । निष्कर्ष पर्याप्त रूप से विश्वसनीय एवं वैध हैं। इन निष्कर्षों का शिक्षा योजनाओं, शिक्षा नीतियों एवं शिक्षा कार्यक्रमों के निर्धारण एवं निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, ऐसी मेरी मान्यता है ।

इस सराहनीय कार्य के लिये संस्थान के निदेशक श्री के०जी० बीजावत डा० जगदीश चन्द्र व्यास, अनुसंधान अधिकारी एवं उनके सभी साथी बधाई के पात्र हैं ।

दिनांक - 30 अप्रेल, 1992

डॉ. आर.पी. भटनागर
भूतपूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
शिक्षा विभाग तथा डीन
(शिक्षा संकाय), मेरठ विश्व-
विद्यालय, मेरठ (उ०प्र०

आभारोक्ति

'राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय परित्याग' विषयक शोध अध्ययन का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है ।

इस शोध अध्ययन के सम्पादन में आकल्प निर्माण से लेकर इसके प्रकाशन तक के समस्त कार्यों में संस्थान निदेशक श्री कृष्णगोपाल बीजावत का उत्प्रेरण, मार्गदर्शन और गतिशील नेतृत्व प्रेरक स्रोत के रूप में निरंतर प्राप्त हुआ । उनके स्नेहपूर्ण प्रोत्साहन का ही परिणाम है कि यह प्रतिवेदन समय पर तैयार हो पाया है ।

डॉ० आर०पी० भटनागर और श्री पुरूषोत्तम तिवारी ने प्रतिवेदन की समीक्षा के दौरान अत्यन्त उपयोगी सुझाव दिए तथा मार्गदर्शन किया ।

शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसार सेवा विभाग के विभागाध्यक्ष श्री दुलीचन्द जैन, श्री नियाज़बेग मिर्ज़ा श्री शरद्चन्द्र पुरोहित एवं श्री बंशीलाल खटीक के प्रेरणास्पद मृदुव्यवहारमय सहयोग से इस कार्य के संपादन में वांछित सुविधाएं और गति प्राप्त होती रही ।

शोधकर्ता उक्त सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता है ।

अध्ययन से सम्बद्ध न्यादर्शनिर्धारण एवं दत्तों के कम्प्यूटरीकरण व परिणाम उपलब्ध कराने में श्री दिनेशचन्द्र श्रोत्रिय, सांख्यिकी अधिकारी तथा श्री सुरेन्द्र जैन, अनुसंधान सहायक की उल्लेखनीय अग्रणी भूमिका रही है ।

शोध सूचनाओं के संपादन, सारणीयन, विश्लेषण एवं प्रस्तुतीकरण के सन्दर्भ में समय-समय पर डॉ० रेणु चौधरी, सहायक निदेशक, श्रीमती रंजना खत्री, श्री शान्तिलाल मेहता, श्री युगल किशोर शर्मा, श्री सुयश चतुर्वेदी, अनुसंधान सहायक, श्री अनिल दशोरा, वरिष्ठ अध्यापक, श्री शिव सिंह सोलंकी, प्रधानाध्यापक आदि से प्राप्त सहयोग अविस्मरणीय है ।

अंत में अनुसंधाता उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना अपना दायित्व मानता है, जिनका प्रत्यक्षतः अथवा परोक्षरूपेण शोध कार्य के सम्पादन में सहयोग प्राप्त हुआ है ।

आशा है यह प्रतिवेदन रूचिशील अध्येताओं और शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी रहेगा ।

दिनांक - 31 मई, 1992

डॉ० जगदीशचन्द्र व्यास
प्रमुख अनुसंधाता एवं अनुसंधान अधिकारी
शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसार सेवा विभाग
रा. रा. शै. अ. प्र. संस्थान, उदयपुर

सारणी एवं चित्र सूची

सारणी क्रमांक	शीर्षक	पृष्ठ
1.	राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा के अवसरों का क्रमिक विकास	1
2.	राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर बालक-बालिकाओं द्वारा विद्यालय परित्याग	2
3.	अध्ययनार्थ न्यादर्श में चयनित विद्यालय संख्या	11
4.	संभागवार बालक-बलिकाओं की संख्या	12
5.	साक्षात्कार हेतु सम्मिलित किए गए विद्यालय छोड़ चुके विद्यार्थी	14
6.	संभाग एवं राज्य स्तर पर परित्याग दर	18
7.	संभाग एवं राज्य स्तर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में परित्याग दर	19
8.	क्षेत्रानुसार परित्याग दरों के अंतर की सार्थकता	20
9.	संभाग एवं राज्य स्तर पर राजकीय और निजी विद्यालयों में परित्याग दर	23
10.	विद्यालय प्रबन्धानुसार परित्याग दरों के अंतर की सार्थकता	23
11.	संभाग एवं राज्य स्तर पर विद्यालय स्तरानुसार परित्याग दर	25
12.	विद्यालय स्तरानुसार परित्याग दरों के अंतर की सार्थकता	25
13	संभाग एवं राज्य स्तर पर बालक तथा बालिका विद्यालयों में परित्याग दर	27
14.	बालक एवं बालिका विद्यालयों में परित्याग दरों के अन्तर की सार्थकता	27
15.	राज्य स्तर पर जाति संवर्गों के अनुसार विद्यालय परित्याग दर	30
16.	जाति संवर्गानुसार परित्याग दरों के अंतर की सार्थकता	31
17.	राज्य स्तर पर अभिभावकों के व्यवसायानुसार विद्यालय परित्याग दर	34
18.	ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अभिभावकों के व्यवसायानुसार विद्यार्थियों की परित्याग स्थिति में अन्तर की सार्थकता	35
19.	ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अभिभावकों के व्यवसायानुसार बालकों की परित्याग स्थिति में अंतर की सार्थकता	35

20.	ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अभिभावकों के व्यवसायानुसार बालिकाओं की परित्याग स्थिति में अन्तर की सार्थकता	36
21.	प्रवेशाथु के अनुसार विद्यालय परित्याग	37
22.	आवास से विद्यालय की दूरी के अनुसार विद्यालय परित्याग	38
23.	ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में त्रैमासिक अवधि के अनुसार विद्यालय परित्याग	40
24.	संभाग एवं राज्य स्तर पर विकलांग बालक-बालिकाओं की विद्यालय परित्याग दर	41
25.	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में कुल परित्याग का कक्षानुसार प्रतिशत	42
26.	राजकीय और निजी विद्यालयों में कुल परित्याग का कक्षानुसार प्रतिशत	43
27.	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल परित्याग का कक्षानुसार प्रतिशत	44
28.	बालक एवं बालिका विद्यालयों में कुल परित्याग का कक्षानुसार प्रतिशत	45
29.	शिक्षक-छात्र अनुपात और परित्याग दर के अनुसार विद्यालय	49
30.	विद्यालय भवन की संस्थिति और परित्याग दर के अनुसार विद्यालय	50
31.	श्यामपट्ट संस्थिति और परित्याग दर के अनुसार विद्यालय	52
32.	दरीपट्टियों/बिछात की संस्थिति और परित्याग दर के अनुसार विद्यालय	52
33.	शिक्षणोपकरण व खेल सामग्री की संस्थिति और परित्याग दर के अनुसार विद्यालय	53
34.	जल व्यवस्था संस्थिति और परित्याग दर के अनुसार विद्यालय	54
35.	परित्याग कारण वर्गानुसार विद्यालय परित्याग करने वाले विद्यार्थियों की संख्या और प्रतिशत	56
36.	परित्याग कर चुके विद्यार्थियों के अनुसार परित्याग के परिवार से सम्बन्धित कारण	58
37.	परित्याग कर चुके विद्यार्थियों के अनुसार परित्याग के विद्यालय से सम्बन्धित कारण	59
38.	परित्याग कर चुके विद्यार्थियों के अनुसार परित्याग के व्यक्तिगत कारण	62

39. परित्याग कर चुके विद्यार्थियों के अनुसार परित्याग के अन्य कारण 63
40. संस्थाप्रधानों के अनुसार संभागवार और समेकित रूप से विद्यालय परित्याग के कारण 65
41. पुनः प्रवेश की इच्छा व्यक्त करने वाले विद्यार्थी 68
42. परित्याग कर चुके विद्यार्थियों द्वारा पुनः प्रवेश के लिए चाही गई सुविधाए 69
43. बालक-बालिकाओं के भावी जीवन के लिए शिक्षा की आवश्यकता के सम्बन्ध में अभिभावकों का अभिमत 72
44. जाति संवर्गानुसार विद्यालय परित्याग कर चुके बालक-बालिकाओं के अभिभावकों का शिक्षा की आवश्यकता के सम्बन्ध में अभिमत 73
45. बालक-बालिका की विद्यालय में पुनः भर्ती कराने की इच्छा व्यक्त करने वाले अभिभावक 73
46. जाति संवर्गानुसार अपने बालक-बालिका की विद्यालय में पुनः भर्ती कराने की इच्छा व्यक्त करने वाले अभिभावक 74
47. अभिभावकों के अनुसार बालक-बालिका को पुनः विद्यालय में प्रविष्ट न कराने के कारण 76
48. विद्यालय परित्याग निराकरण हेतु संस्था प्रधानों द्वारा प्रदत्त सुझाव 80

चित्र

क्रमांक शीर्षक
1. संभागवार एवं राज्य स्तर पर परित्याग दर
2. राज्य में कक्षानुसार परित्याग

❋ अनुक्रम ❋

प्राक्कथन	(क)
विशेषज्ञ का अभिमत	(ख)
आभारोक्ति	(ग)
सारणी सूची	(घ,ङ,च)
अध्याय 1 : पूर्व प्रयास	1
अध्याय 2 : अध्ययन की योजना	6
अध्याय 3 : विद्यालय परित्याग : वस्तुस्थिति	18
अध्याय 4 : आधारभूत सुविधाएं और विद्यालय परित्याग	49
अध्याय 5 : विद्यालय परित्याग के कारण एवं निराकरण हेतु सुझाव	56
अध्याय 6 : सार-संक्षेप और निष्कर्ष	87
परिशिष्ट	
क. विद्यालय परित्याग से सम्बन्धित पूर्व में सम्पादित हुए अध्ययन	95
ख. न्यादर्श में सम्मिलित विद्यालयों की सूची	98
ग. उपकरण-1 : विद्यार्थी सूचना प्रपत्र	110
घ. उपकरण-2 : प्रश्नावली (संस्था प्रधानों के लिए)	111
ङ. उपकरण-3 : साक्षात्कार अनुसूची (विद्यालय छोड़ चुके विद्यार्थियों के लिए)	115
च. उपकरण-4 : साक्षात्कार अनुसूची (अभिभावकों के लिए)	117
छ. दत्त संकलनकर्ताओं के लिए निर्देश	119
ज. जिलेवार विद्यालय परित्याग दर	121
झ. आरोही क्रम में परित्याग दरानुसार विभिन्न जिले	123
ट. संभागवार संवर्गानुसार बालक-बालिकाओं की विद्यालय परित्याग दर	125
ठ. संभागवार संवर्गानुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में विद्यालय परित्याग दर	126
ड. संभागवार अभिभावकों के व्यवसायानुसार बालक-बालिकाओं की विद्यालय परित्याग दर	127
ढ. संभागवार अभिभावकों के व्यवसायानुसार गामीण एवं शहरी क्षेत्र में परित्याग दर	128

त. विविध प्रकार के उत्प्रेरक और विद्यालय परित्याग दर के अनुसार विद्यालयों की संख्या और काई वर्गमान 129
थ. जाति संवर्गानुसार परित्याग कारण वर्गों का प्रतिशत 132
द. जाति संवर्गानुसार परित्याग कर चुके विद्यार्थियों के अनुसार परित्याग के परिवार से सम्बन्धित कारण 133
ध. जाति संवर्गानुसार परित्याग कर चुके विद्यार्थियों के अनुसार परित्याग के विद्यालय से सम्बन्धित कारण 134
न. जाति संवर्गानुसार परित्याग कर चुके विद्यार्थियों के अनुसार परित्याग के व्यक्तिगत कारण 136
प. जाति संवर्गानुसार परित्याग कर चुके विद्यार्थियों के अनुसार परित्याग के अन्य कारण 137
फ. जाति संवर्गानुसार परित्याग कर चुके विद्यार्थियों द्वारा पुनः प्रवेश के लिए चाही गई सुविधाएँ 138

अध्याय - 1

पूर्व प्रयास

अन्य विकासमान देशों की भाँति भारत में भी "सार्वजनीन प्राथमिक शिक्षा" गम्भीर चिन्ता का विषय रहा है । 14 वर्ष तक की वय के सभी बालक-बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हमारे संविधान की धारा 45 में एक महत्वपूर्ण नीति निर्देशक सिद्धान्त है, जिसे विभिन्न राष्ट्रीय नीतियों में बार-बार रेखांकित किया गया है।

शिक्षा के अवसरों में वृद्धि : सन् 1950 में अपने संविधान को स्वीकार करते समय हमने सन् 1960 तक निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने का निश्चय किया था । इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु नानाविध व्यापक प्रयास किए गए । परिणामतः पूरे देश में जहाँ 1950-51 में 2,09,700 प्राथमिक एवं 30,600 उच्च प्राथमिक विद्यालय थे, वहाँ सत्र 1986-87 में यह संख्या बढ़ कर क्रमशः 5,28,730 और 1,87,602 हो गई ।

समूचे देश के सन्दर्भ में हुई अवसरों की इस अभिवृद्धि की झलक राजस्थान में भी दृष्टिगोचर होती है । राजस्थान में आज़ादी के बाद से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षकों और छात्रों की क्रमिक वृद्धि इस प्रकार हुई है :

सारणी - 1

राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा के अवसरों का क्रमिक विकास
(प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय)

सत्र	बालक विद्यालय	बालिका विद्यालय	कुल विद्यालय	शिक्षक संख्या	प्रा० कक्षाओं में विद्यार्थी संख्या (लाखों में)
1950-51	4514	554	5068	15219	3.30
1960-61	15148	816	15964	42138	11.14
1970-71	20071	1301	21372	68380	22.05
1980-81	26070	1640	27710	91312	29.07
1989-90	35869	2954	38823	144561	44.95

उत्प्रेरणा के प्रयास : विद्यालयों और शिक्षकों की संख्या वृद्धि के साथ-साथ राज्य में शिक्षा के सार्वजनीनीकरण की प्रेरणा के लिए भी अनेक प्रयास किए गए । इनमें शिशुक्रीड़ा केन्द्रों की स्थापना; नामांकन अभियान; कक्षा I व II का अश्रेणीकरण; शिक्षकों के लिए सेवापूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण; मध्याह्न भोजन; निःशुल्क पोशाक; निःशुल्क पाठ्य पुस्तक; लेखन-सामग्री आदि उत्प्रेरकों की व्यवस्था; बुक बैंकों की स्थापना; ग्रामीण अंचल के विद्यालयों मे महिला शिक्षकों की नियुक्ति; राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत शिक्षकों के व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन; आपरेशन ब्लैकबोर्ड के अन्तर्गत विद्यालय भवनों व उपकरणों की समुचित व्यवस्था; एकल अध्यापकीय विद्यालयों में एक अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध कराना आदि प्रमुख रहे है ।

व्यवस्था परिवर्तन : राज्य में औपचारिक विद्यालयों के साथ-साथ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना का भी प्रावधान किया गया । इन सब उपायों से प्राथमिक शिक्षा में संख्यात्मक विस्तार तो हुआ, परन्तु गुणवत्ता की दृष्टि से उपलब्धि अपेक्षाकृत कम सन्तोषजनक रही ।

समस्या : इस विपरीत स्थिति का एक बड़ा कारण प्राथमिक शिक्षा में होता रहा अपव्यय है । अपव्यय से अभिप्राय है - बालक-बालिका का विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद पाँचवीं अथवा आठवीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने से पहले ही पढ़ाई छोड़ देना । समूचे देश के सन्दर्भ में तथ्य यह है कि पहली से पाँचवीं कक्षा के बीच लगभग 60 प्रतिशत तथा पहली से आठवीं कक्षा के बीच लाभग 75 प्रतिशत विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ देते हैं । राजस्थान के सन्दर्भ में विभिन्न वर्षो में प्राथमिक स्तर पर बालक-बालिकाओं द्वारा विद्यालय परित्याग का प्रतिशत निम्नानुसार है :

सारणी - 2

राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर बालक बालिकाओं द्वारा विद्यालय परित्याग का प्रतिशत

सत्र	बालक	बालिकाएँ	संयुक्त रूप से
1955-56	55.30	60.90	54.00
1970-71	66.80	76.50	69.20
1980-81	56.66	63.30	58.40
1990-91	अभी उपलब्ध नहीं		

अनुभूत आवश्यकता : वस्तुतः बालक-बालिकाओं को विद्यालयों में नामांकित करना और उन्हें विद्यालयों में बनाए रखना राज्य और केन्द्रीय सरकारों के लिए एक सतत् समस्या हो गई है । बालक-बालिकाओं द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ देने से सार्वजनीन शिक्षा के सन्दर्भ में किए जाने वाले प्रयत्नों पर पानी फिर जाता है और हम बलात् शिक्षा के अंधकार की ओर उन्मुख होने को विवश हो जाते हैं । इस सन्दर्भ में एम०बी० बुच द्वारा सम्पादित ''ए सर्वे ऑफ रिसर्च इन एज्युकेशन'' (1974) में प्रदत्त ट्रेण्ड रिपोर्ट में देसाई और राव ने बहुत सटीक उल्लेख किया है कि ''यद्यपि देश के विद्यालय जाने योग्य सभी बालक- बालिकाओं को विद्यालय सुविधाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में केन्द्रीय और राज्य सरकारें हर सम्भव प्रयास कर रही हैं परन्तु, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर अपव्यय और अवरोधन से संसाधनों का भारी क्षरण होता है, जिससे इस सम्बन्धी सभी प्रयत्न निरर्थक हो जाते हैं ।''

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में इस सम्बन्धी दिशा प्रयासों को इस प्रकार बलांकिन किया गया है- (1) 14 वर्ष तक की वय के बालक-बालिकाओं का सार्वजनीन नामांकन तथा सार्वजनीन ठहराव लाना एवं (2) शिक्षा की गुणात्मकता में तात्विक सुधार करना ।

सार्वजनीन शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के निमित्त बालक-बालिकाओं को विद्यालयों में नामांकित करने और उन्हें पढ़ाई पूरी करने तक विद्यालयों में बनाए रखने हेतु सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और शिक्षाकर्मियों ने व्यापक प्रयत्न किए तथा व्यूहरचनाएँ विकसित कीं ।

विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों के विद्यालय में ठहराव के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली तथा राज्य स्तर पर एस.सी.ई.आर.टी./ एस.आइ.ई.आर.टी. आदि अभिकरणों द्वारा उल्लेखनीय शोधकार्य सम्पादित किए गए है । साथ ही एम.एड. एवं पीएच.डी. उपाधियों के अध्येताओं ने भी अपने कार्य के लिए इस क्षेत्र की चुना है ।

पूर्व अध्ययन एवं शोधकार्य : विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय परित्याग एक ऐसा काल-त्रिदेव है जो सार्वजनीन शिक्षा सम्बन्धी समस्त प्रयत्नों को उदरस्थ करता रहा हैं । परिणामतः हम हर सघन अभियान के बाद असहाय होकर निराशा का वरण करने को बाध्य होते रहे हैं । इस विकराल समस्या ने सुदीर्घ काल से शोधकर्ताओं और शिक्षाकर्मियों का ध्यान अपनी और आकृष्ट किया है तथा इस सम्बन्धी शोधकार्य पूर्वोक्त अभिकरणों व अध्येताओं द्वारा हुए हैं । इनमें से कतिपय का विवरण परिशिष्ट-क में प्रस्तुत किया गया है ।

उक्त विवरण से पता चलता है कि सन् 1955 से 1983 की अवधि में विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा विद्यालय परित्याग से संबधित 20 से अधिक राज्य स्तरीय शोध अध्ययन संपादित किए गए । इन अध्ययनों से विदित होता है कि अलग-अलग स्थानों में अपव्यय दर में बहुत विचलन रहा है।

उक्त अध्ययनों में अपव्यय के प्रमुख कारण इस प्रकार बताये गए हैं- निर्धनता, पूरकआय के लिए बालक-बालिका का किसी काम में लग जाना, बच्चों का घर के काम में लगे रहना, जाति बन्धन, माता-पिता की उदासीनता और लापरवाही, घर पर उपयुक्त वातावरण का अभाव, अभिभावकों का शिक्षा को अनावश्यक मानना, उनमें औपचारिक शिक्षा के प्रति चेतना न होना, छात्रों का कमजोर स्वास्थ्य, छात्रों में शिक्षा के प्रति अभिवृति का अभाव, बालविवाह, बड़ा परिवार, विद्यालय में स्थानाभाव व भौतिक सुविधाओं की कमी, शिक्षकों की कमी, शिक्षकों का बार-बार स्थानान्तरण होना, शिक्षकों का कार्यालय कार्य में व्यस्त रहना, तकनीकी आधार पर पुनः प्रवेश के लिए मना कर देना, भगोड़ापन, शिक्षण का निम्न स्तर, शिक्षण के समय स्थानीय बोली का प्रयोग न करना, शिक्षा पद्धति का समाज की आवश्यकता के अनुरूप न होना, अनुपयुक्त विद्यालयी वातावरण, अनियमित उपस्थिति, किसी कक्षा में एक से अधिक वर्ष तक रूक जाना तथा शिक्षाक्रम व पाठ्य पुस्तकों का विद्यार्थियों की क्षमता व आवश्यकता के अनुरूप न होना ।

प्रस्तुत अध्ययन की आवश्यकता

पूर्वोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर अपव्यय और अवरोधन की समस्या ने कई शोधकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है । साथ ही इस विवरण से यह भी स्पष्ट होता है कि प्राथमिक स्तर पर छात्रों के विद्यालय परित्याग की जटिल समस्या पर राजस्थान राज्य के संदर्भ में अध्ययन किए जाने की दृष्टि से अभी काफी कुछ किया जाना शेष है ।

इस परिप्रेक्ष्य में यह प्रकट है कि इस दिशा में किया गया कोई भी शोध प्रयास प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में बहुत उपादेय सिद्ध होगा। इसी पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर के अनुसंधान अनुभाग ने ''राजस्थान में'' प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय परित्याग : शीर्षक प्रस्तुत शोध संपादित करना निर्धारित किया । अभी तक राजस्थान राज्य में इस क्षेत्र में शोध कार्य नाम मात्र को ही हुआ है। केवल दो अध्ययन हुइ हैं । वे भी व्यापक एवं पूर्ण स्थिति प्रस्तुत नहीं करते हैं ।

संदर्भ :

1. **अनुसंधान,** उदयपुर : राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, 1986.
2. **फिफ्थ ऑल इण्डिया एजूकेशनल सर्वे : ए कॉन्साइज रिपोर्ट,** न्यू देहली : एन.सी.ई.आर.टी., 1990.
3. **फोर्थ सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजूकेशन,** न्यू देहली : एन.सी.ई.आर.टी., 1991
4. **बुच, एम. बी. (संपा०) : ए सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजूकेशन,** बरोड़ाः केस, एम. एस. यूनिवर्सिटी ऑफ बरोड़ा 1974.
5. **बुच, एम. बी. (संपा०) : सेकण्ड सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजूकेशन,** बरोड़ा : सोसायटी फॉर एजूकेशनल रिसर्च एण्ड डेवलपमेण्ट, 1979.
6. **बुच, एम. बी. (संपा०) : थर्ड सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजूकेशन,** न्यू देहली : एन.सी.ई.आर.टी., 1985.
7. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 कार्य योजना,** नई दिल्ली : हिन्दी विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 1986.
8. **वर्किंग ग्रुप ऑन यूनिवर्सिलाइजेशन ऑफ इलेमेन्ट्री एजूकेशन : इन्ट्रिम रिपोर्ट,** न्यू देहली : मिनिस्ट्री ऑफ एजूकेशन एण्ड सोशियल वेलफेयर, गवर्नमेण्ट ऑफ इन्डिया, 1978.
9. **शिक्षा के चालीस वर्ष,** बीकानेर : प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान.
10. **सार्वजनीन नामांकन और सार्विक ठहराव : कर्तृत्व और दायित्व,** उदयपुर : मानविकी एवं समाज विज्ञान प्रभाग, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान.
11. **स्टडी ऑफ एफेक्टिवनेस ऑफ एनरोलमेण्ट एण्ड अटेण्डेन्स ऑफ प्यूपिल्स इन इलेमेन्ट्री स्कूल्स ऑफ उदयपुरः डिस्ट्रिक्ट,** उदयपुर एस.आई.ई.आर.टी., 1981.

* * *

अध्याय - 2

अध्ययन की योजना

देश में सार्वजनीन प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से राजस्थान राज्य का स्थान पिछड़े राज्यों में है । यहाँ भी जहाँ सार्वजनीन नामांकन लक्ष्य की प्राप्ति अपने आप में एक प्रश्नचिह्न है, वहाँ विद्यार्थी द्वारा विद्यालय परित्याग की समस्या और भी जटिल है । बालिकाओं के संदर्भ में तो यह समस्या और भी अधिक विकराल है ।

अध्ययन के उद्देश्य-

अतः इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य राज्य में प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के विद्यालय परित्याग की वस्तुस्थिति ज्ञात करने का रखा गया। इस प्रमुख उद्देश्य के साथ-साथ अध्ययन के निम्नांकित सहवर्ती उद्देश्य भी निर्धारित किए गए :

1. राज्य में
   (1) शहरी-ग्रामीण
   (2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व सामान्य संवर्गों के बालक बालिकाओं
   (3) विभिन्न संभागों में स्थित राजकीय व निजी विद्यालयों के बालक-बालिकाओं के विद्यालय परित्याग का तुलनात्मक अध्ययन करना ।
2. विद्यालय में उपलब्ध
   (1) छात्र शिक्षक अनुपात
   (2) भौतिक संसाधन व उत्प्रेरणा का विद्यार्थियों के विद्यालय परित्याग से सम्बन्ध ज्ञात करना ।
3. परित्याग के कारण ज्ञात करना ।
4. विद्यार्थियों के विद्यालय परित्याग को रोकने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना ।

अध्ययन में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा :

1. परित्याग - अपक्षरण के रूप में अध्ययन छोड़ देना तथा विद्यालय से नाम कट जाना ।
2. विद्यार्थी - 6-11 आयु वर्ग में आने वाले मे समस्त बालक और बालिकाएँ जो विद्यालय में प्रवेश लेकर अध्ययन करते हैं ।
3. संभाग - राजस्व क्षेत्र जो शिक्षा विभाग में मण्डल कहलाते हैं । यथा

सत्र 1985-86 में

क्रसं	संभाग	जिले
(1)	चूरू	बीकानेर, चूरु, गंगानगर, झुन्झुनूं एवं सीकर
(2)	जयपुर	अजमेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर एंव, जयपुर
(3)	जोधपुर	बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, पाली, नागौर एवं टोंक
(4)	कोटा	बूँदी, झालावाड़, कोटा, सवाईमाधोपुर एवं टोंक
(5)	उदयपुर	बाँसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर एवं डूँगरपुर

4. शहरी क्षेत्र - नगर परिषदों एवं नगर पालिकाओं के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र
5. ग्रामीण क्षेत्र - शहरी क्षेत्र से भिन्न वाला क्षेत्र
6. राजकीय विद्यालय - (1) राजकीय व्यवस्था में चलने वाले शहरी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के उच्च प्रथमिक विद्यालय
   (2) ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाले पंचायत राज की व्यवस्था वाले प्राथमिक विद्यालय
7. निजी विद्यालय - व्यक्ति/संस्था/ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय

प्राक्कल्पनाँए

अध्ययन हेतु निम्नांकित प्राक्कल्पनाँए की गईं :

1. बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में विद्यालय परित्याग अधिक होता है ।
2. शहरी क्षेत्र के विद्यालयों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में परित्याग अधिक होता है ।
3. निजी विद्यालयों की अपेक्षा राजकीय विद्यालयों में परित्याग अधिक होता है ।
4. उच्च प्राथमिक विद्यालयों की अपेक्षा प्राथमिक विद्यालयों में परित्याग अधिक होता है ।
5. बालक विद्यालयों की अपेक्षा बालिका विद्यालयों में परित्याग अधिक होता है ।
6. अनुसूचित जंनजाति के विद्यार्थियों में अनुसूचित जाति व सामान्य संवर्ग के विद्यार्थियों की अपेक्षा विद्यालय परित्याग अधिक होता है ।
7. अभिभावक के व्यवसाय तथा विद्यार्थियों के विद्यालय परित्याग के बीच सकारात्मक सम्बन्ध होता है ।

8. प्रवेशोपरि आयु का विद्यार्थियों के विद्यालय परित्याग पर प्रभाव पड़ता है ।
9. घर से विद्यालय की दूरी का विद्यार्थियों के विद्यालय परित्याग पर प्रभाव पड़ता है ।
10. सत्र की भिन्न-भिन्न त्रैमासिकियों में विद्यार्थियों के विद्यालय परित्याग की दर भी भिन्न-भिन्न होती है ।
11. विकलांग विद्यार्थियों में अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा विद्यालय परित्याग अधिक होता है ।
12. पांचवी कक्षा की अपेक्षा चौथी कक्षा में, चौथी कक्षा की अपेक्षा तीसरी कक्षा में तथा तीसरी कक्षा की अपेक्षा अविभक्त इकाई में विद्यालय परित्याग अधिक होता है ।
13. शिक्षक छात्र अनुपात तथा विद्यालय परित्याग के बीच संबंध होता है ।
14. विद्यालय के भौतिक साधन सुविधाओं की उपलब्धता और विद्यार्थियों के परित्याग के बीच संबंध होता है ।
15. विभिन्न प्रकार के उत्प्रेरकों और विद्यार्थियों के परित्याग के बीच संबंध होता है ।

क्षेत्र एवं परिसीमन

अध्ययन के सम्बद्ध क्षेत्र निम्नानुसार रखा गया -

1. अध्ययन को औपचारिक विद्यालयों तक में संपादित किया गया ।
2. अध्ययन में सत्र 1985-86 में विद्यमान राज्य के सभी 27 जिलों में स्थित राजकीय व निजी, शहरी व ग्रामीण, बालक व बालिका प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय सम्मिलित किए गए ।

अध्ययन से संबंधित क्षेत्र इस प्रकार परिसीमित किया गया -

1. अध्ययन को सत्र 1985-86 से सत्र 1989-90 की अवधि तक सीमित रखा गया ।
2. अध्ययन को राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 (अविभक्त इकाई) से कक्षा 5 तक अध्ययनरत रहे छात्र छात्राओं तक सीमित रखा गया । जिन माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाएँ थीं, उन्हें इस अध्ययन में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

न्यादर्श (1) विद्यालय संख्या

(अ) आकार :

मिनेसोटा विश्व विद्यालय के रोबर्ट वी० क्रेजकी तथा टेक्सास ए०

एण्ड एम० विश्वविद्यालय के डुलुथ डारिले व डब्ल्यू मोर्गान द्वारा प्रदत्त सूत्र (एजूकेशनल एण्ड साइकोलोजिकल मेजरमेन्ट, 1970, 30 पृष्ठ 607-610) के अनुसार अध्ययन में न्यादर्श का निर्धारण किया गया-

$S = X^2 NP (1-P) + d^2 (N-1) + X^2 P (1-P)$

S = Required sample size

X^2 = The table value of the chi-square for 1 degree of freedom at the desired confidence lavel (3.84)

N = The population size

P = The population propostion (assumed to be 0.50 Since this would provide the maximum sample size)

d = The degree of accuracy expressed as a proportion (0.05)

सत्र 1985-86 में राज्य में विद्यमान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 35,571 थी । उक्त सूत्र के अनुसार एक लाख की संख्या पर 380 की संख्या का न्यादर्श सही प्रतिनिधित्व की दृष्टि से यथेष्ट होता है । परन्तु अध्ययन में यह संख्या बढ़कर 413 विद्यालय रखी गई ताकि प्रतिनिधित्व प्रामाणिक हो सके ।

(आ) चयन प्रक्रिया :

न्यादर्श हेतु विद्यालयों की संख्या निर्धारित हो जाने पर न्यादर्श की इकाइयों का चयन करने हेतु निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई गई -

सर्वप्रथम निम्नांकित विद्यालय प्रकारों के अनुसार विद्यालयों की जिलेवार सूची (सेम्पलिंग फ्रेम) तैयार की गई -

1.	राजकीय बालक प्राथमिक विद्यालय	ग्रामीण
2.	राजकीय बालक प्राथमिक विद्यालय	शहरी
3.	राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय	ग्रामीण
4.	राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय	शहरी
5.	निजी बालक प्राथमिक विद्यालय	ग्रामीण
6.	निजी बालक प्राथमिक विद्यालय	शहरी
7.	निजी बालिका प्राथमिक विद्यालय	ग्रामीण
8.	निजी बालिका प्राथमिक विद्यालय	शहरी
9.	राजकीय बालक उच्च प्राथमिक विद्यालय	ग्रामीण
10.	राजकीय बालक उच्च प्राथमिक विद्यालय	शहरी
11.	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय	ग्रामीण
12.	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय	शहरी
13.	निजी बालक उच्च प्राथमिक विद्यालय	ग्रामीण

14.	निजी बालक उच्च प्राथमिक विद्यालय	शहरी
15.	निजी बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय	ग्रामीण
16.	निजी बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय	शहरी

विद्यालयों की जिलेवार तथा प्रकारानुसार न्यादर्श इकाइयों को सानुपातिक ढंग से आवंटित किया गया । प्रत्येक जिले में चयन करने योग्य विद्यालयों की संख्या प्राप्त की गई । उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित निजी बालिका प्राथमिक विद्यालयों तथा निजी बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या इतनी कम थी कि इन दोनों प्रकार के विद्यालयों का न्यादर्श में अनुपात नहीं निभ सका । विद्यालयों की संख्या निर्धारित होने के बाद प्रत्येक जिले की तैयार सूची (सेम्पलिंग फ्रेम) में से चक्रात्मक व्यवस्था न्यादर्श (Circular Systematic Sampling)

निर्धारण विधि प्रयुक्त करते हुए विद्यालयों का चयन किया गया । (परिशिष्ट-ख) न्यादर्श में प्रत्येक संभाग में चयनित विद्यालयों की प्रकारानुसार संख्या सारणी क्रमांक 3 में दर्शाई गई है :

सारणी - 3
अध्ययनार्थ न्यादर्श में चयनित विद्यालय संख्या

संभाग	क्षेत्र	प्राथमिक विद्यालय				उच्च प्राथमिक विद्यालय				योग				महा योग
		राजकीय		निजी		राजकीय		निजी		राजकीय		निजी		
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालक	बालक	बालिका	बालक	बालिका	
चूरू	ग्रामीण	39	3	1	–	14	–	–	–	53	3	1	–	57
	शहरी	4	1	3	1	1	1	1	1	5	2	4	2	13
जयपुर	ग्रामीण	54	5	–	–	13	3	1	–	67	8	1	–	76
	शहरी	13	2	5	–	4	1	4	–	17	3	9	–	29
जोधपुर	ग्रामीण	56	1	–	–	14	2	–	–	70	3	–	–	73
	शहरी	3	1	1	–	1	–	1	–	4	1	2	–	7
कोटा	ग्रामीण	43	–	1	–	10	–	–	–	53	–	1	–	54
	शहरी	3	–	2	–	2	–	1	–	5	–	3	–	8
उदयपुर	ग्रामीण	62	4	–	–	14	3	–	–	76	7	–	–	83
	शहरी	6	2	–	–	5	–	–	–	11	2	–	–	13
योग	ग्रामीण	254	13	2	–	65	8	1	–	319	21	3	–	343
	शहरी	29	6	11	1	13	2	7	1	42	8	18	2	70
महायोग	–	283	19	13	1	78	10	8	–	361	29	21	2	413

(2) बालक बालिकाओं की संख्या

अध्ययन हेतु जिन 413 विद्यालयों का चयन हुआ (परिशिष्ट-ख) उनमें सन् 1985-86 में कक्षा-1 (अविभक्त इकाई) में प्रथम बार प्रविष्ट सभी बालक बालिकाओं को दत्त संकलन का आधार बनाया गया । इस प्रकार समूचे राज्य से कुल 13,979 विद्यार्थियों (9691 बालक एवं 4288 बालिकाएँ) से सम्बन्धित प्रारंभिक सूचनाएँ (उपकरण -1 के माध्यम से) एकत्र की गई । उनकी संभागवार संख्या सारणी 4 में प्रस्तुत है ।

सारणी - 4

संभागवार बालक-बालिकाओं की संख्या (1985-86)

संभाग	क्षेत्र	बालक			बालिकाएँ			योग		कुल योग
		अनु. जाति	अनु. जन जाति	अन्य वर्ग	अनु. जाति	अनु. जन जाति	अन्य वर्ग	बालक	बालिकाएं	
चूरू	ग्रामीण	278	8	1083	106	7	485	1369	598	1967
	शहरी	54	1	255	32	0	171	310	203	513
	योग	332	9	1338	138	7	656	1679	801	2480
जयपुर	ग्रामीण	403	149	1214	113	44	438	1766	595	2361
	शहरी	158	28	549	152	17	409	735	578	1313
	योग	561	177	1763	265	61	847	2501	1173	3674
जोधपुर	ग्रामीण	282	72	1541	67	12	566	1895	645	2540
	शहरी	50	11	275	55	5	237	336	297	633
	योग	332	83	1816	122	17	803	2231	942	3173
कोटा	ग्रामीण	238	278	573	65	91	228	1089	384	1473
	शहरी	39	1	116	14	1	49	156	64	220
	योग	277	279	689	79	92	277	1245	448	1693

	ग्रामीण	199	591	918	73	243	417	1708	733	2441
उदयपुर	शहरी	50	25	252	21	7	163	327	191	518
	योग	249	616	1170	94	250	580	2035	924	2959
	ग्रामीण	1400	1098	5329	424	397	2134	7827	2955	10082
महायोग	शहरी	351	66	1447	274	30	1029	1864	1333	3197
	योग	1751	1164	6776	698	427	3163	9691	4288	13979

(3) साक्षात्कार हेतु सम्मिलित किए गए विद्यार्थी :

प्रस्तुत अध्ययन में विद्यालय परित्याग के कारणों तथा पुनः प्रवेश हेतु अपेक्षित सुविधाओं की जानकारी प्राप्त करने हेतु विद्यालय परित्याग कर चुके बालक-बालिकाओं से साक्षात्कार करने का प्रावधान रखा गया था । चूँकि ये विद्यार्थी विद्यालय छोड़ चुके थे अतः साक्षात्कार हेतु इनका चयन यादृच्छिक विधि से करना संभव नहीं था । इनके चयन का आधार इनकी उपलब्धता को रखा गया । इस हेतु प्रति विद्यालय तीन बालक तथा दो बालिकाएँ कुल पाँच विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित की गई । तीन बालकों में से एक अनुसूचित जाति का एक अनुसूचित जनजाति का व एक अन्य तथा दो बालिकाओं में से एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति की हो, यह प्रावधान रखा गया । उक्त निर्धारित संख्या (3 व 2) में अपेक्षित संवर्ग (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति) के अनुसार उपलब्ध न होने पर उनकी पूर्ति अन्य उपलब्ध लिंग या संवर्ग में से कर लेने का प्रावधान रखा गया ।

उक्त आधार को प्रयुक्त करते हुए अध्ययन में साक्षात्कार हेतु जिन 1388 बालक बालिकाओं को सम्मिलित किया जा सका उनकी संख्या सारणी 5 में है :

सारणी - 5

साक्षात्कार हेतु सम्मिलित किए गए विद्यालय छोड़ चुके विद्यार्थी

संभाग	क्षेत्र	बालक			बालिकाएँ			योग		कुल योग
		अनु. जाति	अनु. जन जाति	सामान्य वर्ग	अनु. जाति	अनु. जन जाति	सामान्य वर्ग	बालक	बालिकाएं	
चूरू	ग्रामीण	39	1	65	33	2	67	105	102	207
	शहरी	9	–	15	3	–	12	24	15	39
	योग	48	1	80	36	2	79	129	117	246
जयपुर	ग्रामीण	41	11	106	28	8	64	158	100	258
	शहरी	6	–	5	4	–	7	11	11	22
	योग	47	11	111	32	8	71	169	111	280
जोधपुर	ग्रामीण	41	13	104	20	4	97	158	121	279
	शहरी	4	4	5	3	–	7	13	10	23
	योग	45	17	109	23	4	104	171	131	302
कोटा	ग्रामीण	38	30	51	13	24	53	119	90	209
	शहरी	1	–	13	2	–	7	14	9	23
	योग	39	30	64	15	24	60	133	99	232
उदयपुर	ग्रामीण	24	79	88	16	48	52	191	116	307
	शहरी	3	3	9	1	2	3	15	6	21
	योग	27	82	97	17	50	55	206	122	328

	ग्रामीण	183	134	414	110	86	333	731	529	1260
योग	शहरी	23	7	47	13	2	36	77	51	128
	योग	206	141	461	123	88	369	808	580	1388

(4) अभिभावक :

अध्ययन में विद्यालय छोड़ने वाले बालक बालिकाओं के अभिभावकों से साक्षात्कार करने का प्रावधान भी रखा गया । अभिभावकों के निर्धारण में व्यवस्था यह रखी गई कि जिन बालक बालिकाओं से साक्षात्कार किया जाय उन्हीं के अभिभावकों से भी साक्षात्कार किया जाय । बालिकाओं के संदर्भ में यथा संभव उनकी माता/दादी या बड़ी बहिन से साक्षात्कार करना निश्चित किया गया । इस प्रकार के प्रावधान के अंतर्गत 1388 विद्यार्थियों के 1368 अभिभावकों को न्यादर्श में सम्मिलित किया गया ।

उपकरण एवं प्रविधियां

अध्ययन हेतु निम्नांकित स्वनिर्मित उपकरण प्रयुक्त किए गए -

उपकरण-1 : विद्यार्थी सूचना प्रपत्र

उपकरण-2 : प्रश्नावली (संख्या प्रधानों के लिए)

उपकरण-3 : साक्षात्कार अनुसूची
(विद्यालय छोड़ चुके विद्यार्थियों के लिए)

उपकरण-4 : साक्षात्कार अनुसूची (अभिभावकों के लिए)

उपकरण-1 : विद्यार्थी सूचना प्रपत्र

विद्यार्थियों से सम्बन्धित सूचना प्रपत्र (परिशिष्ट-ग) में सामान्य सूचनाओं के अलावा तीन प्रकार के परित्याग की वैकल्पिक सूचनाएँ माँगी गई यथा-

(1) वे विद्यार्थी जो स्थानान्तरण के कारण T.C. लेकर विद्यालय परित्याग कर चुके हैं ।

(2) वे विद्यार्थी जो बिना सूचना परित्याग कर चुके हैं और टी. सी. भी नहीं ले गए हैं ।

(3) वे विद्यार्थी जो अकाल मृत्यु के ग्रास बन गये ।

उपकरण-2 : प्रश्नावली

न्यादर्शित विद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात निर्धारित अवधि में भौतिक संसाधन, उत्प्रेरक, अपव्यय के कारण, अपव्यय रोकने के उपचार आदि की सूचनाएँ प्राप्त करने हेतु प्रश्नावली तैयार की गई (परिशिष्ट-घ) यह प्रश्नावली संस्था प्रधानों द्वारा भरी गई थी ।

उपकरण-3 : साक्षात्कार अनुसूची (विद्यालय छोड़ चुके विद्यार्थियों के लिए)

न्यादर्शित विद्यालयों से पलायन कर चुके विद्यार्थियों से विद्यालय परित्याग के कारण, पारिवारिक संस्थितियाँ, पुनः अध्ययन की इच्छा, प्रयत्न आदि के तथ्य एकत्रित करने के प्रयोजन से 'साक्षात्कार अनुसूची' (परिशिष्ट-ङ) का निर्माण किया गया ।

उपकरण-4 : साक्षात्कार अनुसूची (अभिभावकों के लिए)

विद्यालय छोड़ चुके विद्यार्थियों के अभिभावकों से साक्षात्कार के लिए 'साक्षात्कार अनुसूची' (परिशिष्ट-च) निर्मित की गई । इसमें परिचयात्मक सूचना के अलावा विद्यार्थी सम्बन्धी विवरण, व्यवसाय, विद्यार्थी द्वारा विद्यालय परित्याग के कारण, बालक के भावी जीवन के प्रति धारणा आदि के तथ्य एकत्रित करने का लक्ष्य था ।

पूर्व परीक्षण :

उक्त उपकरणों के निर्माण के बाद 6 विद्यालयों में उनकी व्यावहारिक प्रयुक्ति करके पूर्व परीक्षण (Try Out) किया गया । यथावश्यक परिवर्तन/परिवर्द्धन करके इन्हें अंतिम स्वरूप दिया गया । तदुपरान्त इन्हें अपेक्षित संख्या में मुद्रित करवा कर दत्त संकलनार्थ प्रकाशित करने योग्य बनाया गया ।

दत्त संकलन

दत्त संकलन के लिए राज्य के 18 जिलों में स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को माध्यम बनाया गया । 9 जिलों के लिए जहाँ ये संस्थान स्थापित नहीं हुए थे, जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र संस्थाएँ) कार्यालय में स्थित शैक्षिक प्रकोष्ठ को माध्यम बनाया गया । दत्त संकलन हेतु प्रत्येक जिले की उक्त इकाइयों के दो दो व्यक्तियों को दिनांक 12-3-91 को राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर में प्रशिक्षण दिया गया । इस अवसर पर सम्बन्धितों को अध्ययन संबंधी पूरी जानकारी देकर उपकरणों की पूर्ति संबंधी जानकारी कराई गई । सम्बन्धितों को निम्नांकित सामग्री भी उपलब्ध कराई गई :

(क) दत्त संकलन कर्ताओं के लिए निर्देश (परिशिष्ट - छ)

(ख) न्यादर्श के अन्तर्गत चयनित विद्यालयों की विद्यालय सूची की 5-5 प्रतियाँ

(ग) उपकरणों के सेट जिले के लिए निर्धारित विद्यालयों की संख्या से 5 अधिक

प्रत्येक सेट में निम्नांकित सामग्री थी -

(1) उपकरण-1 के दो पन्ने
(2) उपकरण-2 की एक प्रति
(3) उपकरण-3 की पाँच प्रतियाँ
(4) उपकरण-4 की पाँच प्रतियाँ

(घ) जिला शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य के लिए पत्र जिसमें उनसे दत्त संकलनकर्ताओं को वांछित सुविधा प्रदान कर निर्धारित समय तक कार्य पूरा कर भिजवाने हेतु आग्रह किया गया था ।

प्रशिक्षण के बाद संभागियों ने दत्त संकलन का कार्य सम्पादित किया। जयपुर जिले से सम्बद्ध दत्त संकलन का कार्य निर्धारित समयावधि में पूरा न हो पाने से राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान से दत्त संकलनकर्ताओं का दल भिजवा कर कार्य पूरा किया गया ।

दत्त संपादन एवं कोडिंग

दत्त संकलन के पश्चात् प्राप्त उपकरणों की पूर्णता एवं तर्क संगतता की दृष्टि से जाँचा गया तथा अपूर्ण सूचना वाले उपकरणों को न्यादर्श से पृथक् किया गया । साथ ही उपकरणों में जिन जिन बिन्दुओं का कोडिंग करना आवश्यक था उनका कोडिंग किया गया ।

दत्त विश्लेषण

विश्लेषण हेतु दत्तों को कम्प्यूटर में अंकित कर आवश्यक परिणाम प्राप्त किए गए ।

* * *

अध्याय - 3

विद्यालय परित्याग : वस्तुस्थिति

प्रस्तुत अध्ययन में विद्यालयवार विद्यार्थी परित्याग ज्ञात करने हेतु ''विद्यार्थी सूचना प्रपत्र'' प्रयुक्त किया गया । इस प्रपत्र में सत्र 1985-86 में प्रथमवार विद्यालय में (अविभक्त इकाई में) प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों को आधार बना कर उनकी सत्रवार कक्षोन्नति अथवा परित्याग स्थिति ज्ञात की गई । इस प्रकार 'चाइल्ड-टु-चाइल्ड' स्थिति ज्ञात करके न्यादर्श में गृहीत 413 विद्यालयों के 13,979 विद्यार्थियों से सम्बद्ध सूचनाएँ एकत्र की गई । इन 13,979 विद्यार्थियों में से 50 विद्यार्थियों की मृत्यु हो गई थी । शेष 13,929 विद्यार्थियों की सूचनाओं के आधार पर पूर्वोक्त प्राक्कल्पनाओं का परीक्षण किया गया ।

सारणी - 6

संभाग एवं राज्य स्तर पर परित्याग दर

संभाग	1985-86 में अविभक्त इकाई में प्रथम बार प्रविष्ट			स्तम्भ 2, 3 व 4 में अंकित संख्या में से (1989-90) तक परित्याग करने वाले			परित्याग दर (प्रतिशत)		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
चूरू	1678	797	2475	589	391	980	35.10	49.06	39.60
जयपुर	2492	1169	3661	1023	575	1598	41.05	49.19	43.65
जोधपुर	2220	940	3160	861	525	1386	38.78	55.85	43.86
कोटा	1241	446	1687	599	297	896	48.27	66.59	53.11
उदयपुर	2024	922	2946	854	506	1360	42.19	54.88	46.16
राज. राज्य	9655	4274	13929	3926	2294	6220	40.66	53.67	44.66

उपर्युक्त सारणी से विदित होता है कि :

1. राज्य में बालक-बालिकाओं के विद्यालय परित्याग की समेकित दर 44.66 प्रतिशत है ।

2. बालकों (40.66%) की तुलना में बलिकाओं (53.67%) की परित्याग दर अधिक है । इससे प्रककल्पना-1 सही प्रमाणित होती है ।
3. सबसे अधिक परित्याग कोटा संभाग (53.11%) में तथा न्यूनतम परित्याग चूरू संभाग (39.60%) में हुआ । उदयपुर संभाग में परित्याग की दर (46.16%) राज्य की समेकित दर (44.66%) से अधिक है ।
4. बालकों को ही देखें तो न्यूनतम परित्याग चूरू संभाग (35.10%) में तथा अधिकतम कोटा संभाग (48.27%) में हुआ है । राज्य के तीन संभागों (जयपुर, उदयपुर एवं कोटा) में बालकों के परित्याग की दर राज्य स्तर पर की तदुक्त परित्याग दर (40.66%) से अधिक रही है ।
5. बालिकाओं के प्रसंग में न्यूनतम परित्याग दर चूरू संभाग (49.06%) में तथा अधिकतम कोटा संभाग (66.59%) में ही रही । जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर संभागों में बालिकाओं के परित्याग की दर राज्य स्तर की परित्याग दर (53.67%) से अधिक रही है, जबकि चूरू एवं जयपुर संभागों में यह दर राज्य स्तरीय दर से कम रही है ।

उक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि राज्य में सत्र 85-86 से 89-90 की अवधि में प्राथमिक स्तर पर 44.66 प्रतिशत दर से विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय परित्याग हुआ है । बालकों की अपेक्षा बलिकाओं में विद्यालय परित्याग की दर अधिक है । संभाग की दृष्टि से न्यूनतम परित्याग चूरू संभाग में तथा अधिकतम कोटा संभाग में हुआ है ।

उपर्युक्त तथ्यों का स्पष्टीकरण चित्र - 1 द्वारा भी किया गया है ।

प्राक्कल्पना-2 के संदर्भ में संभागवार और राज्य स्तर पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में बालक-बालिकाओं की परित्याग दर ज्ञात की गई, जो सारणी 7 व 8 में दी जा रही है :

सारणी - 7

संभाग एवं राज्य स्तर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में परित्याग दर
(प्रतिशत में)

संभाग	ग्रामीण क्षेत्र			शहरी क्षेत्र		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
चूरू	32.40	47.39	36.95	46.94	53.96	49.70
जयपुर	38.26	52.02	41.72	47.74	46.27	47.09

संभाग	ग्रामीण क्षेत्र			शहरी क्षेत्र		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
जोधपुर	36.57	60.65	42.69	51.90	45.45	48.49
कोटा	48.20	68.84	53.57	48.71	53.12	50,00
उदयपुर	41.43	55.12	45.55	46.15	53.92	49.03
राजस्थान राज्य	38.75	54.06	42.95	48.65	52.81	50.39

सारणी-8

क्षेत्रानुसार परित्याग दरों के अन्तर की सार्थकता

लिंग वर्ग	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		प्र. वि. अ.	टी मान	सार्थकता
	संख्या	परित्याग दर	संख्या	परित्याग दर			
बालक	7795	38.75	1860	48.65	1.27	7.80	.01
बालिका	2943	54.06	1331	52.81	1.65	0.76	निरर्थक
योग	10738	42.95	3191	5039	1.00	7.44	.01

प्र० वि० अ० प्र० = प्रमाप विचलन अन्तर प्रतिशत ।

उपर्युक्त सारणियों से ज्ञात होता है कि :

1. विद्यालय परित्याग ग्रामीण क्षेत्र (42.95%) की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में (50.39%) अधिक होता है ।
2. अकेले बालकों के सन्दर्भ में भी यही स्थिति है । ग्रामीण क्षेत्र के बालकों की परित्याग दर जहाँ 38.75 प्रतिशत रही, वहाँ पर दर शहरी क्षेत्र में 48.65 प्रतिशत रही । इस तथ्य से यह प्राक्कल्पना कि शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय परित्याग अधिक होता है सही नहीं ठहरती । सारणी-8 में इस सम्बन्धी अन्तर की

चित्र 1 : संभागवार एवं राज्य स्तर पर परित्याग दर

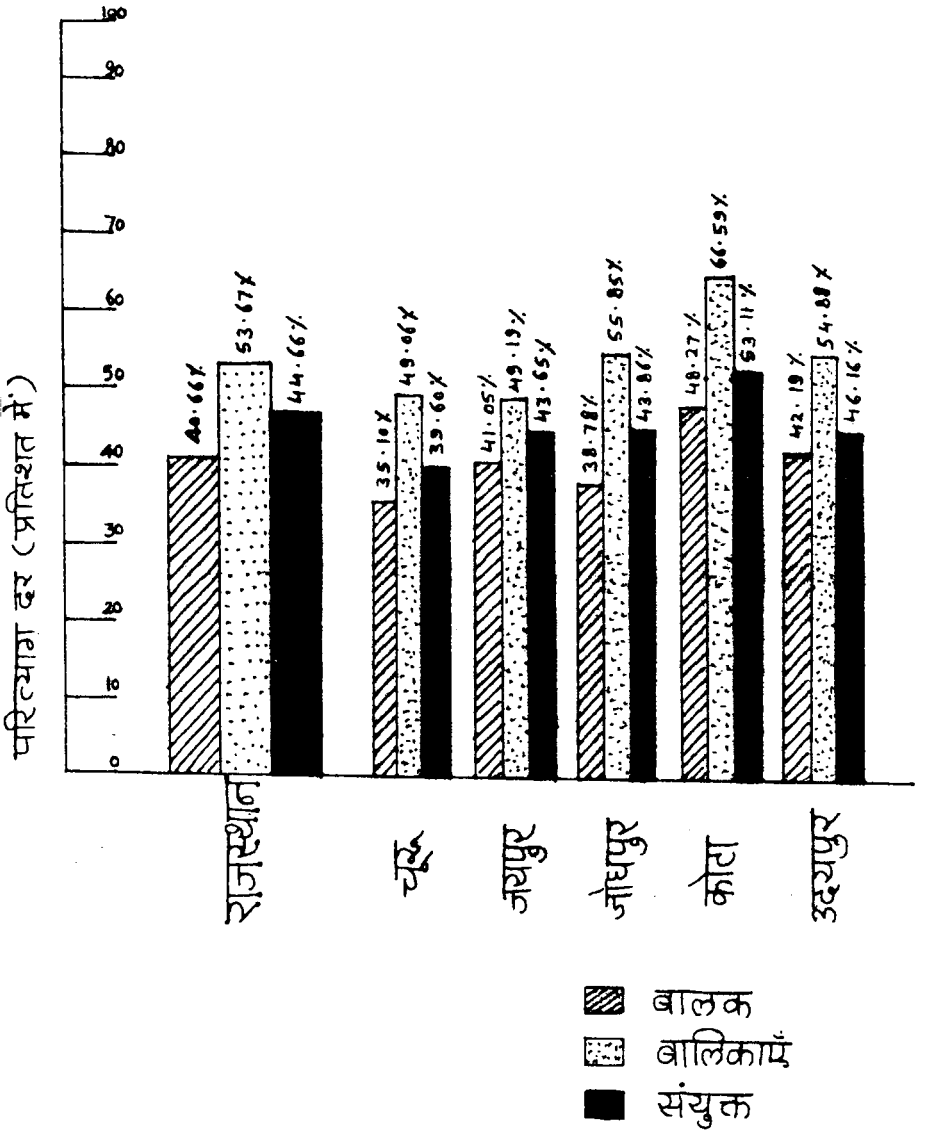

सार्थकता .01 स्तर पर प्राप्त होती है जो बताती है कि 99 प्रतिशत स्थितियों में शहरी अपव्यय ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा वास्तविक है

3. केवल बालिकाओं के प्रसंग में देखें तो स्थिति विपरीत दिखाई देती है । बालिकाओं के प्रसंग में शहरी क्षेत्र (52.81%) की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र (54.06%) में परित्याग अधिक होता दिखाई देता है, परन्तु दोनों में अन्तर सार्थक नहीं है (सारणी -8) ।
4. संभागवार स्थिति भी यही है कि विद्यालय परित्याग की प्रवृत्ति ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में अधिक है । मगर कोटा संभाग में यह प्रवृत्ति उलट गई है । वहाँ शहरी क्षेत्र (50.00%) की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र (53.57%) में परित्याग दर अधिक रही ।
5. केवल बालकों के प्रसंग में राज्य स्तरीय प्रवृत्ति (ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में अधिक परित्याग) सभी संभागों में परिलक्षित होती है ।
6. केवल बलिकाओं के प्रसंग में राज्य स्तरीय प्रवृत्ति बालकों की स्थिति के विपरीत (शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में अधिक परित्याग) है, किन्तु चूरू संभाग में वह राज्य स्तरीय प्रवृत्ति के विपरीत है (क्रमशः 47.39% व 53.96%)

इस प्रकार यह कहने की स्थिति बनती है कि समग्र रूप से विद्यार्थियों द्वारा तथा केवल बालकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में परित्याग अधिक होती है, जबकि केवल बलिकाओं के प्रसंग में स्थिति इसके विपरीत है ।

बालक-बालिकाओं तथा शहरी ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय परित्याग की स्थिति ज्ञात करने के साथ-साथ प्राक्कल्पना - 3 के क्रम में संभाग व राज्य स्तर पर राजकीय व निजी विद्यालयों में परित्याग की स्थिति ज्ञात करने का प्रयास भी किया गया । तदनुसार प्राप्त समंक सारणी 9-10 में दर्शाए जा रहे है :

सारणी - 9

संभाग एवं राज्य स्तर पर राजकीय और निजी विद्यालयों में परित्याग दर

(प्रतिशत में)

संभाग	राजकीय विद्यालय			निजी विद्यालय		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
चूरू	38.74	41.66	39.68	34.30	50.68	39.587
जयपुर	42.49	55.00	46.13	31.18	22.48	27.45
जोधपुर	38.21	55.46	43.14	56.52	60.00	58.38
कोटा	49.49	69.54	54.70	20.75	24.13	21.95
उदयपुर	42.19	54.88	46.16	-	-	-
राजस्थान राज्य	41.01	55.49	45.36	36.13	37.50	36.65

सारणी - 10

विद्यालय प्रबन्धानुसार परित्याग दरों के अन्तर की सार्थकता

लिंग	राजकीय विद्यालय		निजी विद्यालय				
	संख्या	परित्याग दर	संख्या	परित्याग दर	प्र. वि. अ. प्र.	टी मान	सार्थकता
बालक	8952	41.01	703	36.13	1.92	2.54	.05
बालिका	3842	55.49	432	37.50	2.53	7.11	.01
योग	12794	45.36	1135	36.65	1.54	5.66	.01

प्र० वि० अ० प्र० = प्रमाप विचलन अन्तर प्रतिशत

उक्त सारणियों से स्पष्ट होता है कि :

1. राज्य स्तर पर निजी विद्यालयों (36.65%) की अपेक्षा राजकीय विद्यालयों (45.36%) में विद्यालय परित्याग अधिक होता है । यही स्थिति केवल बालकों व केवल बालिकाओं के प्रसंग में भी दृष्टिगत होती है । बालकों और बालिकाओं के परित्याग दर के अन्तर की सार्थकता (सारणी-10) भी यही पुष्टि करती है ।
2. संभागवार स्थिति (सारणी-9) का अवलोकन करने पर पता चलता कि जोधपुर संभाग में प्रवृत्ति विपरीत हो गई है । वहाँ निजी विद्यालयों (58.38%) में राजकीय विद्यालयों (43.14%) की तुलना में परित्याग अधिक हुआ । जोधपुर संभाग में केवल बालकों व केवल बालिकाओं के संदर्भ में भी यही स्थिति दिखाई देती है ।
3. चूरू संभाग में भी राजकीय विद्यालयों (41.66%) की अपेक्षा निजी विद्यालयों (50.68%) में बालिकाओं द्वारा परित्याग अधिक हुआ ।
4. राजकीय विद्यालयों में राज्य स्तरीय समग्र परित्याग (45.36%) जयपुर (0.77%) कोटा (9.34%) तथा उदयपुर संभाग (0.80%) में परित्याग की दर अधिक रही । कोटा संभाग में वह सर्वाधिक है ।
5. निजी विद्यालयों में समग्र परित्याग (36.65%) की स्थिति से चूरू (39.57%) तथा जोधपुर संभाग (58.38%) आगे है । जोधपुर संभाग में निजी स्कूलों में परित्याग की दर सर्वाधिक है ।

निष्कर्ष यह है कि राज्य स्तर पर निजी विद्यालयों की अपेक्षा राजकीय विद्यालयों में परित्याग की दर अधिक रहीं है । जोधपुर संभाग इसका अपवाद है ।

प्राक्कल्पना-4 के संदर्भ में ज्ञात की गई प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में परित्याग स्थिति इस प्रकार है :

सारणी - 11

संभाग एवं राज्य स्तर पर विद्यालय स्तरानुसार परित्याग दर

(प्रतिशत में)

संभाग	प्राथमिक विद्यालय			उच्च प्राथमिक विद्यालय		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
चूरू	33.83	48.94	38.68	38.28	49.34	41.86
जयपुर	40.75	50.39	43.70	41.69	47.00	43.53
जोधपुर	37.70	58.44	43.66	40.46	51.66	44.21
कोटा	49.64	65.79	53.85	43.18	69.30	50.41
उदयपुर	42.71	60.47	47.99	40.27	39.75	40.08
राजस्थान राज्य	40.62	55.86	45.14	40.75	48.96	43.47

सारणी - 12

विद्यालय स्तरानुसार परित्याग दरों के अन्तर की सार्थकता

लिंग	प्राथमिक विद्यालय संख्या	परित्याग दर	उच्च प्राथमिक विद्यालय संख्या	परित्याग दर	प्र. वि. अ. प्र.	टी मान	सार्थकता
बालक	6912	40.62	2743	40.75	1.11	0.12	निरर्थक
बालिका	2918	55.86	1356	48.96	1.64	4.20	.01
योग	9830	45.14	4099	43.47	0.92	1.82	निरर्थक

प्र.वि.अ.प्र. = प्रमाप विचलन अन्तर प्रतिशत

1. समग्रभावेन प्राथमिक विद्यालयों (45.14%) की अपेक्षा उच्च प्राथमिक विद्यालयों (43.47%) में राज्य स्तर पर परित्याग की दर कम रही

है तथा यह अन्तर सार्थक प्रतीत नहीं होता । केवल बालिकाओं प्रसंग में दोनों प्रकार के विद्यालयों की परित्याग दर का अन्तर स्तर पर सार्थक है, जबकि केवल बालकों के प्रसंग में प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों की परित्याग दर में कोई उल्लेखनीय दृष्टिगोचर नहीं होता हैं । सारणी-12 इसे पुष्ट करती है ।

2. संभागवार स्थिति का अवलोकन करने पर विदित होता है कि प्राथ विद्यालयों की तुलना में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम परित्याग राज्य स्तरीय प्रवृत्ति जयपुर, कोटा एवं उदयपुर संभाग में भी हैं, चूरू और जोधपुर संभाग इसके अपवाद हैं । इन दोनों संभागों में विद्य परित्याग की दर प्राथमिक विद्यालयों की अपेक्षा उच्च प्राथमिक विद्य में अधिक रही ।
3. केवल बालकों के प्रसंग में जहाँ राज्य स्तर पर प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालयों में परित्याग दर का अन्तर सार्थक नहीं रहा यह दर चूरू, जयपुर और जोधपुर इन तीनों संभागों में प्राथमिक विद्य से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः 4.45, 0.94 और 3.06 प्रा अधिक रही ।
4. केवल बालिकाओं के प्रसंग में राज्य स्तर पर प्राथमिक विद्यालय परि दर में उच्च प्राथमिक विद्यालयों से लगभग 7 प्रतिशत अग्रणी हैं । (उ० प्रा० 48.96 प्राथ० 55.86) किन्तु चूरू और कोटा इसके अपवाद हैं । इन दोनों संभागों में प्राथमिक विद्यालयों की उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं ने विद्यालय परित्याग किया है ।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि संभागों के पैमाने पर कतिपय अ को छोड़ कर राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में उच्च प्राथमिक विद्यालय अपेक्षा विद्यालय परित्याग की दर अधिक रही है ।

प्राक्कल्पना-5 के परीक्षण हेतु संभाग और राज्य स्तर पर विद्यालयों तथा बालिका विद्यालयों में परित्याग दर की जानकारी प्राप्त गई । इस सम्बन्ध में प्राप्त हुई जानकारी सारणी क्रमांक-13 व दर्शाई जा रही है :

सारणी - 13

संभाग एवं राज्य स्तर पर बालक तथा बालिका विद्यालयों में परित्याग दर

(प्रतिशत में)

संभाग	बालक विद्यालय			बालिका विद्यालय		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
चूरू	33.89	47.34	37.64	59.49	55.42	56.69
जयपुर	40.62	51.44	43.63	54.54	40.25	43.76
जोधपुर	37.76	52.78	41.53	66.66	65.76	66.00
कोटा	48.26	66.59	53.11	-	-	-
उदयपुर	41.93	58.14	46.47	46.49	41.34	43.34
राजस्थान राज्य	40.09	54.36	43.96	55.74	50.73	52.24

सारणी - 14

बालक एवं बालिका विद्यालयों में परित्याग दरों के अन्तर की सार्थकता

लिंग	बालक विद्यालय		बालिका विद्यालय				
	संख्या	परित्याग दर	संख्या	परित्याग दर	प्र. वि. अ. प्र.	टी मान	सार्थकता
बालक	9307	40.09	348	55.74	2.68	5.84	.01
बालिका	3462	54.36	812	50.73	1.94	1.87	निरर्थक
योग	12769	43.96	1160	52.24	1.52	5.45	.01

प्र० वि० अ० प्र० = प्रमाप विचलन अन्तर प्रतिशत

1. राज्य स्तर पर बालक विद्यालयों (43.96%) की तुलना में बालिका विद्यालयों (52.24%) में परित्याग की दर अधिक है । उन दरों के

अन्तर की सार्थकता 99 प्रतिशत स्थितियों में वास्तविक है, इसकी पुष्टि सारणी-14 से होती है।

2. बालक विद्यालयों (40.09%) की अपेक्षा बालिका विद्यालयों (55.74%) में पढ़ रहे बालक अधिक परित्याग करते है और यह अन्तर भी सार्थक है (सा० 14) यद्यपि बालिका विद्यालयों (50.73%) की अपेक्षा बालकों के विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाएँ (54.36%) अधिक परित्याग करती है परन्तु इन दोनों परित्याग दरों का अंतर सांख्यिकी दृष्टि से सार्थक नहीं है ।
3. संभागवार (सा० 13) देखें तो उदयपुर संभाग में सामान्य प्रवृत्ति (बालिका विद्यालयों में बालक विद्यालयों की अपेक्षा परित्याग दर अधिक) का अपवाद दृष्टिगत होता है । इस संभाग में बालिका विद्यालयों (43.34%) की तुलना में बालकों के विद्यालयों (46.47%) में समग्र परित्याग की दर 3.13 प्रतिशत अधिक रही ।
4. बालिकाओं के प्रसंग में चूरू और जोधपुर इन दो संभागों में अपवाद की स्थिति दृष्टिगत होती है । इन दोनों संभागों में बालक विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं की तुलना में बालिका विद्यालयों में ही उनके परित्याग की दर अधिक है जो क्रमशः 47.34% व 55.42% चूरू तथा 52.78% व 65.76% जोधपुर में पाई जाती है ।

निष्कर्ष यह है कि बालिका विद्यालयों में बालक विद्यालयों की अपेक्षा विद्यालय परित्याग की दर अधिक रहती है । जहाँ तक बालिकाओं द्वारा विद्यालय परित्याग का प्रश्न है सामान्यतः बालक विद्यालयों की अपेक्षा बालिका विद्यालयों में परित्याग दर कम होती है, किन्तु इसे प्रवृत्ति का नाम नहीं दिया जा सकता क्योंकि ऐसा अन्तर सार्थक नहीं ठहरता (सा० 14) ।

जिलेवार विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय परित्याग (परिशिष्ट-ज व झ)

1. राज्य में विद्यालय परित्याग की न्यूनतम समग्र दर सीकर जिले (24.95%) में तथा अधिकतम दर झालावाड़ जिले (76.38%) में रही ।
2. झालावाड़ (76.38%), टोंक (65.01%), जोधपुर(58.80%), बूंदी (54.33%), श्रीगंगानगर (52.18%), जालोर (52.09%), बीकानेर (50.15%), धौलपुर (50.00%) उदयपुर (49.49%), कोटा (48.915%), जयपुर (47.94%), एवं बाड़मेर (47.04%) ये 12 जिले ऐसे है जिनमें बालक-बालिकाओं (संयुक्त) का विद्यालय परित्याग राज्य स्तरीय मानक (44.66%) से अधिक है ।
3. सीकर (24.95%), नागोर (26.06%), सिरोही (26.47%), अजमेर

(30.95%), झुंझुनू (32.97%), चूरू (33.99%), सवाईमाधोपुर (34.02%), भरतपुर (38.44%), जैसलमेर (38.74%), बाँसवाड़ा (42.31%), डूँगरपुर (42.08%), भीलवाड़ा (43.55%), चित्तौड़ (44.05%), अलवर (44.35%) एवं पाली (44.39%) ये 15 जिले ऐसे हैं जिनमें परित्याग की दर राज्य स्तरीय मानक दर (44.66%) से कम है ।

4. केवल बालकों के प्रंसग में भी विद्यालय परित्याग की न्यूनतम दर सीकर (17.81%) में तथा अधिकतम दर झालावाड़ (71.72%) में रही ।
5. केवल बालिकाओं के प्रसंग में विद्यालय परित्याग की न्यूनतम दर सिरोही (34.48%) तथा अधिकतम दर झालावाड़ (89.04%) जिले में रही ।
6. ग्रामीण क्षेत्र में बालकों की न्यूनतम परित्याग दर सीकर जिले (13.22%) में, बालिकाओं की नागौर जिले (35.12%) में तथा समग्रतः सीकर जिले (19.70%) में रही । वैसे ही बालकों की (71.72%), बालिकाओं की (89.04%) और समग्रतः अधिकतम दर झालावाड़ जिले (676.38%) में ही रही । यानि ग्रामीण क्षेत्र में बालकों की परित्याग दर में क्षेत्रीय समरूपता नहीं है जबकि बालिकाओं में वह विद्यमान है ।
7. शहरी क्षेत्र में बालक, बालिका तथा समग्रतः न्यूनतम परित्याग दर अजमेर में ही रही जो क्रमशः 8.64, 16.53 तथा 13.33 प्रतिशत थी, जबकि अधिकतम परित्याग दर बालकों की टोंक जिले (72.97%) में, बालिकाओं की बूँदी जिले (100%) में तथा समग्रतः टोंक जिले (76.40%) में रहीं ।

उपर्युक्त बिन्दु 6 व 7 से यह तथ्य उभरता है कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम परित्याग और शहरी क्षेत्र में न्यूनतम परित्याग की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत सुस्थिरता दर्शाती है ।

सारांशतः राज्य में 12 जिले ऐसे है जहाँ विद्यालय परित्याग की दर राज्य स्तरीय दर से अधिक है तथा इन जिलों में विद्यार्थियों का ठहराव बढ़ाने के लिए अपेक्षया अधिक ठोस और प्रभावी कदम तत्काल उठाए जाने की आवश्यकता है ।

संवर्गों के अनुसार विद्यालय परित्याग

अध्ययन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य संवर्ग के विद्यार्थियों की परित्याग दर निकाली गई ताकि यह ज्ञात किया जा सके कि तुलनात्मक दृष्टि से अधिक परित्याग किस संवर्ग में होता है ।

सारणी - 15

राज्य स्तर पर जाति संवर्गों के अनुसार विद्यालय परित्याग दर

(प्रतिशत में)

संवर्ग	ग्रामीण क्षेत्र			शहरी क्षेत्र			योग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
अनुसूचित जाति	40.67	59.62	45.07	52.86	54.01	53.37	43.11	57.41	47.19
अनुसूचित जनजाति	45.83	66.41	51.31	46.97	63.33	52.08	45.89	66.19	51.35
सामान्य संवर्ग	36.82	50.66	40.77	47.65	52.19	49.53	39.13	51.15	42.95
योग	38.75	54.06	42.95	48.65	52.81	50.39	40.66	53.67	44.66

उक्त सारणी बताती है कि :

1. समेकित रूप से अनुसूचित जनजाति के बालक, बालिका तथा कुल की विद्यालय परित्याग की दर तुलनात्मक दृष्टि से अधिक है ।
2. ग्रामीण क्षेत्र में भी उक्त प्रवृत्ति (सर्वाधिक परित्याग दर अनुसूचित जनजाति में) उसी तरह से विद्यमान है ।
3. शहरी क्षेत्र की बालिकाओं में तो उक्त प्रवृत्ति (सर्वाधिक परित्याग दर अनुसूचित जनजाति में) दिखाई देती है, परन्तु बालकों में तथा समग्र रूप से स्थिति अन्यथा दिखाई देती है । वहाँ बालकों की सर्वाधिक परित्याग दर अनुसूचित जाति संवर्ग में तथा न्यूनतम दर अनुसूचित जनजाति के बालकों में पाई जाती है । शहरी क्षेत्र में समग्रतः सर्वाधिक परित्याग दर अनुसूचित जाति में तथा न्यूनतम दर सामान्य संवर्ग में पाई जाती है ।

जाति संवर्गानुसार परित्याग दर के अंतर की सार्थकता

प्राक्कल्पना-6 के परीक्षण हेतु निर्मित सारणी 16 में तीनों संवर्गों की परित्याग दर के अन्तर की सार्थकता देखने पर स्पष्ट होता है कि :

सारणी - 16

जाति संवर्गानुसार परित्याग दरों के अन्तर की सार्थकता

(क) अनुसूचित जाति V/S अनुसूचित जनजाति

लिंग वर्ग	अनुसूचित जाति संख्या	अनुसूचित जाति परित्याग दर	अनुसूचित जनजाति संख्या	अनुसूचित जनजाति परित्याग दर	प्र.वि. अ.प्र	टी मान	सार्थकता
बालक	1744	43.11	1157	45.89	1.88	1.48	निरर्थक
बालिका	695	57.41	426	66.19	3.00	2.92	.01
योग	2439	47.19	1583	51.35	1.61	2.58	.01

(ख) अनुसूचित जाति V/S सामान्य संवर्ग

लिंग वर्ग	अनुसूचित जाति संख्या	अनुसूचित जाति परित्याग दर	सामान्य संवर्ग संख्या	सामान्य संवर्ग परित्याग दर	प्र.वि. अ.प्र	टी मान	सार्थकता
बालक	1744	43.11	6754	39.13	1.32	3.02	.01
बालिका	695	57.41	3153	51.15	1.29	3.00	.01
योग	2439	47.19	9907	42.95	1.12	3.78	.01

(ग) अनुसूचित जनजाति V/S सामान्य संवर्ग

लिंग वर्ग	अनुसूचित जनजाति संख्या	अनुसूचित जनजाति परित्याग दर	सामान्य संवर्ग संख्या	सामान्य संवर्ग परित्याग दर	प्र.वि. अ.प्र	टी मान	सार्थकता
बालक	1157	45.89	6754	39.13	1.56	4.33	.01
बालिका	426	66.19	3153	51.15	2.58	5.83	.01
योग	1583	51.35	9907	42.95	1.34	6.27	.01

प्र. वि. अ. प्र. = प्रमाप विचलन अन्तर प्रतिशत

(क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों में 99 प्रतिशत स्थितियों में यह अन्तर वास्तविक है किन्तु केवल बालकों के प्रसंग में वह सार्थक नहीं है ।

(ख) सामान्य संवर्ग और अनुसूचित जाति के बीच तीनों ही प्रसंगों (बालक, बालिका, कुल) में अन्तर 99 प्रतिशत स्थितियों में सार्थक है ।

(ग) वैसे ही सामान्य संवर्ग और अनुसूचित जन जाति के बीच भी त्रिकोणात्मक सार्थकता .01 स्तर पर है ।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामान्य संवर्गों के बालक-बालिकाओं को संभागवार परित्याग दर (परिशिष्ट-ट)

1. अनुसूचित जाति के बालक, बालिका व समग्र परित्याग दर की सर्वाधिक स्थिति कोटा संभाग (क्रमशः 50.1%, 65.38% व 53.52%) में तथा न्यूनतम स्थिति जोधपुर संभाग (क्रमशः 39.20%, 55.37% व 43.55%) में रही ।
2. अनुसूचित जनजाति के बालकों में अधिकतम परित्याग दर उदयपुर संभाग (47.63%) व न्यूनतम दर चूरू संभाग (11.11%) है । बालिकाओं की अधिकतम परित्याग दर कोटा संभाग (75.00%) में व न्यूनतम दर चुरू संभाग (42.85%) में है ।
   बालक-बालिकाओं की कुल परित्याग दर की अधिकतम स्थिति कोटा संभाग (53.83%) व न्यूनतम दर चुरू संभाग (25.00%) में पाई गई है ।
3. सामान्य संवर्ग के बालकों में अधिकतम परित्याग दर कोटा संभाग (48.11%) में व न्यूनतम चुरू संभाग (33.73%) में है ।
   बालिकाओं की अधिकतम दर कोटा संभाग (64.13%) में ही व न्यूनतम दर जयपुर संभाग (46.97%) में है ।
   कुल विद्यार्थियों की अधिकतम दर कोटा संभाग (52.69%) में व न्यूनतम दर चुरू संभाग (35.45%) में पाई गई है ।

विभिन्न संभागों में संवर्ग अनुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की परित्याग दर (परिशिष्ट-ठ)

राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों में परित्याग दर सर्वाधिक है और सामान्य संवर्ग में न्यूनतम किन्तु शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति का संवर्ग अधिकतम परित्याग की कोटि में आता है ।

1. ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों (संयुक्त) की सर्वाधिक परित्याग दर कोटा संभाग (54.97%) में व न्यूनतम दर जोधपुर संभाग (41.74%) में है ।

अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक परित्याग दर कोटा संभाग (54.10%) में व न्यूनतम चुरू संभाग (26.67%) में है ।

सामान्य संवर्ग के विद्यार्थियों की सर्वाधिक परित्याग दर कोटा संभाग (52.82%) तथा न्यूनतम चुरू संभाग (35.14%) में रही ।

2. शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की (संयुक्त) सर्वाधिक परित्याग दर जयपुर संभाग (56.77%) में व न्यूनतम कोटा संभाग (45.28%) में रही ।

अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक परित्याग दर उदयपुर संभाग (75.00%) में तथा न्यूनतम शून्य प्रतिशत चुरू व कोटा संभाग में रही । (यह न्यूनता न्यादर्श इकाइयों में इस वर्ग के बालक-बालिकाओं की बहुत कम संख्या होने के कारण भी हो सकती है ।)

सामान्य संवर्ग की अधिकतम परित्याग दर जोधपुर संभाग (58.40%) में व न्यूनतम जयपुर संभाग (44.50%) में रही ।

इससे स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक परित्याग अनुसूचित जन् जाति के विद्यार्थियों में उससे कम अनुसूचित जाति में तथा न्यूनतम परित्याग दर सामान्य संवर्ग में है ।

अभिभावकों का व्यवसाय और विद्यालय परित्याग-

अभिभावकों के व्यवसाय और विद्यार्थियों की परित्याग दर में सम्बन्ध ज्ञात करने के संदर्भ में निर्मित प्राक्कल्पना-7 के परीक्षण का प्रयास भी प्रस्तुत अध्ययन में किया गया । अभिभावकों के व्यवसायों में कृषि, मजदूरी, नौकरी तथा व्यापार/गैर-कृषि स्वरोजगार इन चार व्यवसायों को सम्मिलित करके इन चार व्यवसायों में सम्बद्ध जानकारी का वर्गीकरण किया गया । तदनुसार उक्त चारों व्यवसाय समूहों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बालक-बालिकाओं की विद्यालय परित्याग दर इस प्रकार आई -

सारणी - 17

राज्य स्तर पर अभिभावकों के व्यवसायानुसार विद्यालय परित्याग दर

(प्रतिशत में)

अभिभावक का व्यवसाय	ग्रामीण क्षेत्र			शहरी क्षेत्र			योग (ग्रामीण+शहरी)		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
कृषि	39.76	59.76	44.52	44.40	60.49	45.14	39.96	59.78	44.68
मजदूरी	41.32	62.80	46.35	61.56	67.73	63.47	48.83	65.10	53.17
नौकरी	27.44	35.16	30.79	46.92	52.59	49.62	36.82	44.30	40.22
व्यापार/गैर कृषि स्वरोजगार	36.08	44.23	39.38	39.75	41.81	40.70	37.84	42.93	40.04
योग.	38.75	54.06	42.95	48.65	52.81	50.39	40.66	53.67	44.66

उक्त सारणी यह बताती है कि· :

1. सर्वाधिक परित्याग ऐसे विद्यार्थियों का होता है जिनके अभिभावक मजदूरी (53.17%) करते हैं । जबकि व्यापार/गैर कृषि, स्वरोजगार वाले तथा नौकरी करने वाले अभिभावकों के बालक-बालिकाओं की परित्याग दर (40.04% व 40.22%) तुलनात्मक दृष्टि से तीन चौथाई से भी कम होती है । यही प्रवृत्ति केवल बालिकाओं के सन्दर्भ में भी दृष्टिगत होती है । केवल बालकों के सन्दर्भ में न्यूनतम परित्याग दर नौकरी करने वाले अभिभावकों के बच्चों (36.82%) की है ।
2. ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के अधिकतम विद्यालय परित्याग करने वाले बालकों व बालिकाओं के अभिभावकों का व्यवसाय मजदूरी है जबकि ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी करने वाले अभिभावकों के विद्यार्थी न्यूनतम परित्याग करते है ।
3. किन्तु शहरी क्षेत्र में उन अभिभावकों के विद्यार्थी न्यूनतम विद्यालय परित्याग करते है जिनके अभिभावक व्यापार/गैर कृषि स्वरोजगार में निरत हैं । ये सब सम्बन्ध परस्पर .01 स्तर पर सार्थक भी है जैसा कि सारणी-18, 19 व 20 से स्पष्ट होता है :

सारणी - 18

ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अभिभावकों के व्यवसायानुसार विद्यार्थियों की परित्याग स्थिति में अन्तर की सार्थकता

क्षेत्र	विवरण	अभिभावकों का व्यवसाय कृषि	मजदूरी	नौकरी	व्यापार	χ^2	सार्थकता
ग्रामीण	नामांकित	7621	1068	1049	876	45.98	.01
	परित्याग	3393	495	323	345		
शहरी	नामांकित	349	709	1054	892	41.39	.01
	परित्याग	16	450	523	363		
योग	नामांकित	7970	1777	2103	1768	46.65	.01
	परित्याग	3561	945	46	708		

सारणी - 19

ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अभिभावकों के व्यवसायानुसार बालकों की परित्याग स्थिति में अन्तर की सार्थकता

क्षेत्र	विवरण	अभिभावकों का व्यवसाय कृषि	मजदूरी	नौकरी	व्यापार	χ^2	सार्थकता
ग्रामीण	नामांकित	580	818	594	521	23.49	.01
	परित्याग	2309	338	163	188		
शहरी	नामांकित	268	489	552	483	25.95	.01
	परित्याग	119	301	259	192		
योग	नामांकित	6075	1307	1146	1004	28.63	.01
	परित्याग	2428	639	422	380		

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-7191
DOC, No ....
Date ....5.9.92........

सारणी - 20
ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अभिभावकों के व्यवसायानुसार बालिकाओं की परित्याग स्थिति में अन्तर की सार्थकता

क्षेत्र	विवरण	अभिभावकों का व्यवसाय				χ^2	सार्थकता
		कृषि	मजदूरी	नौकरी	व्यापार		
ग्रामीण	नामांकित	1814	250	455	355	50.67	.01
	परित्याग	1084	157	160	157		
शहरी	नामांकित	81	220	502	409	19.67	.01
	परित्याग	49	149	264	171		
योग	नामांकित	1895	470	957	764	56.77	.01
	परित्याग	1133	306	424	328		

अभिभावकों के व्यवसायानुसार विद्यालय परित्याग दर की संभागवार स्थिति (परिशिष्ट-ड)

1. कृषि और मजदूरी व्यवसाय वाले अभिभावकों के बच्चों की परित्याग दर सर्वाधिक कोटा संभाग में तथा न्यूनतम चुरू संभाग में रही ।

नौकरी वाले अभिभावकों के बालकों की अधिकतम दर जोधपुर संभाग व न्यूनतम कोटा संभाग में । बालिकाओं की अधिकतम परित्याग दर कोटा व न्यूनतम जयपुर संभाग में रही ।

व्यापार और गैर-कृषि स्वरोजगार वाले अभिभावकों के बालकों की अधिकतम दर जयपुर संभाग न न्यूनतम दर चुरू संभाग में तथा बालिकाओं की अधिकतम चुरू व न्यूनतम दर उदयपुर संभाग में रही ।

अभिभावकों के व्यवसायानुसार ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में परित्याग दर (परिशिष्ट-ढ)

उक्त दर का अवलोकन करने पर विदित होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में चारों प्रकार के व्यवसायों वाले अभिभावकों के बच्चों में परित्याग की सर्वाधिक दर कोटा संभाग में रही । न्यूनतम दर कृषि वाले अभिभावकों के बच्चों में चुरू संभाग, मजदूरी व नौकरी करने वाले अभिभावकों के सन्दर्भ में उदयपुर संभाग में रही ।

जहाँ तक शहरी क्षेत्र का प्रश्न है कृषि व्यवसाय वाले अभिभावकों के बच्चों की अधिकतम परित्याग दर उदयपुर संभाग में व न्यूनतम जयपुर

संभाग में रही । मजदूरी वाले अभिभावकों के सन्दर्भ में अधिकतम कोटा संभाग व न्यूनतम दर चुरू संभाग में, नौकरी वाले अभिभावकों के सन्दर्भ में अधिकतम जोधपुर संभाग में व न्यूनतम कोटा संभाग में रही । व्यापार/गैर-कृषि स्वरोजगार वाले अभिभावकों के सन्दर्भ में अधिकतम दर चुरू संभाग में व न्यूनतम दर कोटा संभाग में रही ।

प्रवेश के समय विद्यार्थी की आयु और विद्यालय परित्याग में सम्बन्ध

प्राक्कल्पना-8 के परीक्षण हेतु प्रस्तुत अध्ययन में प्रवेश के समय बालक-बालिका की आयु और विद्यालय परित्याग दर ज्ञात करने का प्रयास किया गया । प्रवेशायु के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बालक-बालिकाओं की विद्यालय परित्याग दर इस प्रकार से ज्ञात हुई :

सारणी - 21

प्रवेशायु के अनुसार विद्यालय परित्याग

(प्रतिशत में)

प्रवेश के समय आयु (वर्षों में)	ग्रामीण क्षेत्र			शहरी क्षेत्र			योग (ग्रामीण+शहरी)		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
4	29.41	46.28	34.61	44.44	53.50	48.66	35.39	50.35	41.09
5	34.81	49.16	38.53	47.29	49.48	48.78	37.29	49.25	40.98
6	38.10	54.20	42.19	46.80	49.02	47.65	39.46	52.88	43.16
7	43.06	56.97	47.05	51.70	59.81	55.27	44.72	57.81	48.96
8	46.95	66.67	53.94	54.64	59.62	51.21	48.70	64.08	54.84
9	54.67	74.58	60.29	60.42	53.85	57.47	56.06	63.70	59.45
10	70.27	76.19	71.58	55.56	62.50	58.14	66.33	70.27	67.39
11	57.27	64.29	72.22	85.71	100.00	92.31	79.31	75.00	77.55
12	84.62	20.00	66.67	100.00	100.00	100.00	88.88	42.82	76.00
13	75.00	0.00	66.67	50.00	50.00	50.00	66.67	33.33	60.00
14	66.67	-	66.67	66.67	-	66.67	66.67	-	66.67

नोट- 13 और 14 वर्ष की आयु में प्रवेश लेने वाले बालक बालिकाओं की संख्या अत्यल्प (5 से कम) रही है ।

उक्त सारणी से यह विदित होता है कि जैसे-जैसे बालक-बालिकाओं की विद्यालय में प्रवेश लेने की आयु बढ़ती है, विद्यालय परित्याग की दर भी बढ़ती जाती है । यह परित्याग दर 10 से 12 वर्ष की आयु में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के सन्दर्भ में बहुत अधिक (55.56 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक) है, जबकि 4 से 6 वर्ष की वय में प्रवेश लेने वाले बालक-बालिकाओं के सन्दर्भ में यह दर न्यूनतम (29.41 प्रतिशत से 54.20 प्रतिशत तक) रही । इसका अभिप्राय यह है कि 4 से 6 वर्ष की वय में ही बालक-बालिकाओं की विद्यालय में प्रविष्ट कराने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि विद्यालय परित्याग की स्थितियाँ न्यूनतम रहें ।

विद्यालय की दूरी और विद्यालय परित्याग :

अध्ययन के दौरान प्राक्कल्पना-9 के क्रम में यह पता लगाने का प्रावधान भी रखा गया था कि विद्यार्थी के आवास से विद्यालय की दूरी के अनुसार परित्याग की दर क्या है । इसके लिए विद्यालय की दूरी को तीन वर्गों में विभक्त किया गया एक किलोमीटर से कम दूरी, एक से दो किलोमीटर तक मी दूरी और दो किलोमीटर से अधिक दूरी । इन तीनों वर्गों की दूरी में परित्याग की दर ज्ञात की गई :

सारणी - 22

आवास से विद्यालय की दूरी के अनुसार विद्यालय परित्याग दर

(प्रतिशत में)

दूरी	ग्रामीण क्षेत्र			शहरी क्षेत्र			योग (ग्रामीण+शहरी)		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बलिका	योग	बालक	बालिका	योग
एक कि.मी. कम	37.94	53.70	42.51	49.43	53.31	51.06	40.24	53.58	44.52
एक से दो कि.मी.	43.08	60.77	46.74	40.49	47.78	43.47	42.59	55.78	45.96
दो कि.मी. से अधिक	43.93	48.97	44.42	50.00	50.00	50.00	44.30	49.15	44.82
योग	38.75	54.06	42.95	48.65	52.81	50.39	40.66	53.67	44.66

उपर्युक्त सारणी बताती है कि :

समेकित रूप से एक किलोमीटर से कम दूरी वाले 44.52 प्रतिशत, एक से दो किलोमीटर तक दूरी वाले 45.96 प्रतिशत तथा दो किलो मीटर से अधिक दूरी के आवास वाले 44.82 प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय परित्याग करते हैं । इससे स्पष्ट होता है कि विद्यार्थी के आवास से विद्यालय की दूरी का विद्यालय परित्याग दर पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ता । अत्यल्प विचलन के साथ यही स्थिति ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बालकों व बालिकाओं में भी देखने को मिलती है ।

त्रैमासिक अवधि के अनुसार विद्यालय परित्याग

विद्यार्थी सत्र के अलग-अलग भागों में विद्यालय परित्याग करते हैं। सर्वाधिक परित्याग दर वाली अवधि को ज्ञात करके उस अवधि विशेष में विद्यार्थियों के ठहराव के ठोस प्रयत्न करना अपव्यय कम करने में प्रभावी रहेगा । इस विचार को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन में प्राक्कल्पना-10 के परीक्षण हेतु त्रैमासिक अवधि के अनुसार विद्यार्थियों का परित्याग ज्ञात किया गया । एतदर्थ पूरे सत्र को चार त्रैमासिक अवधि वर्गों में बाँटा गया, जो इस प्रकार हैं -

1. जुलाई से सितम्बर
2. अक्टूबर से दिसम्बर
3. जनवरी से मार्च, तथा
4. अप्रेल से मई

जुलाई से मई तक हुए सम्पूर्ण परित्याग (100 प्रतिशत) में से उक्त चारों अवधि वर्गों में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बालकों, बालिकाओं में तथा संयुक्त रूप (योग) से रहा परित्याग का प्रतिशत इस प्रकार हैं :

सारणी - 23
ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में - त्रैमासिक अवधि के अनुसार विद्यालय परित्याग

(प्रतिशत में)

परित्याग अवधि	ग्रामीण क्षेत्र			शहरी क्षेत्र			योग (ग्रामीण+शहरी)		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
जुलाई-सितं०	40.15	39.92	40.07	51.38	51.64	51.49	42.75	43.51	43.02
अक्टू-दिस०	21.22	21.87	21.45	13.48	11.66	12.69	19.43	18.75	19.18
जन०'मार्च	21.06	22.12	21.42	14.03	14.65	14.30	19.43	19.83	19.58
अप्रेल-मई	17.57	16.09	17.06	21.11	22.05	21.52	18.39	17.91	18.22
योग	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

उक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि :

1. विद्यार्थियों का सर्वाधिक परित्याग (39 से 52 प्रतिशत तक) जुलाई से सितम्बर वाली सत्र की पहली त्रैमासिकी में होता है ।
2. सत्र की पहली त्रैमासिकी में भी बालकों व बालिकाओं का विद्यालय परित्याग ग्रामीण क्षेत्र (क्रमशः 40.15 एवं 39.92 प्रतिशत) की अपेक्षा शहरी क्षेत्र (क्रमशः 51.38 एवं 51.64 प्रतिशत) में 10 प्रतिशत से भी अधिक होता है ।
3. सत्र के शेष तीन अवधि वर्गों (अक्टू० से दिसम्बर, जनवरी से मार्च तथा अप्रेल-मई) के विद्यालय परित्याग प्रतिशत में कोई विशेष उल्लेखनीय अन्तर नहीं होता है, जबकि अन्तिम दो महीनों में वह न्यूनतम रहता है ।

स्पष्ट है कि यदि बालक-बालिकाओं को विद्यालय प्रवेश वाली त्रैमासिकी (जुलाई से सितम्बर) में विद्यालय में बनाए रखने की दृष्टि से प्रभावी व ठोस व्यवस्था कर ली जाय तो विद्यालय परित्याग विषयक लगभग आधी समस्या का निराकरण सहजता से हो सकता है ।

विकलांगता और विद्यालय परित्याग :

अध्ययन के प्रारम्भ में यह प्राक्कल्पना (क्रमांक -11) की गई थी कि सामान्य बालक-बालिकाओं की तुलना में विकलांग बालक-बालिकाओं द्वारा विद्यालय परित्याग अधिक होता है । अध्ययन में इस प्राक्कल्पना के परीक्षण हेतु उपकरण-1 में यह प्रावधान किया गया कि सम्बद्ध बालकों के बारे में विकलांगता की स्थिति ज्ञात कर उनकी विद्यालय परित्याग की जानकारी की जाए ।

इस प्रकार सामान्य तथा ज्ञात विकलांग बालक-बलिकाओं की परित्याग दर सारणी-24 में दर्शाई जा रही है :

सारणी - 24

संभाग एवं राज्य स्तर पर विकलांग बालक-बालिकाओं की विद्यालय परित्याग दर

(प्रतिशत में)

संभाग	सामान्य/ विकलांग	ग्रामीण क्षेत्र			शहरी क्षेत्र			योग (शहरी+ग्रामीण)		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
रू	सामान्य	32.60	47.47	37.11	46.93	54.19	49.80	35.25	49.18	39.75
	विकलांग	0.00	66.67	16.67	100.00	-	100.00	10.00	66.67	42.50
यपुर	सामान्य	38.26	52.03	41.74	47.87	46.52	47.28	41.09	49.31	43.72
	विकलांग	38.46	50.00	40.00	25.00	0.00	14.29	35.29	20.00	31.82
घपुर	सामान्य	36.54	52.35	40.56	51.34	63.64	57.12	38.79	55.94	43.89
	विकलांग	41.67	40.00	41.18	0.00	-	0.00	41.67	50.00	43.75
टा	सामान्य	48.28	68.87	53.64	48.37	53.13	49.77	48.29	66.59	53.14
	विकलांग	37.50	66.67	45.45	66.67	-	66.67	45.45	66.67	50.00
यपुर	सामान्य	40.89	55.02	45.14	49.07	54.45	51.07	42.20	54.90	46.38
	विकलांग	33.33	50.00	38.46	66.67	-	66.67	41.67	50.00	43.75
स्थान	सामान्य	38.81	54.07	43.00	48.59	52.94	50.41	40.69	53.71	44.69
य	विकलांग	31.37	52.94	36.76	50.00	0.00	40.00	34.92	45.00	37.34

उक्त सारणी के अनुसार :

1. समेकित रूप से राज्य स्तर पर विकलांग विद्यार्थियों की परित्याग दर (37.34%) सामान्य बालक-बालिकाओं की परित्याग दर (44.69%) की तुलना में कम है ।
2. शहरी क्षेत्र के बालकों के अतिरिक्त सामान्यतः समेकित रूप से सभी स्तरों पर सामान्य बालक-बालिकाओं की तुलना में विकलांग बालक-बालिकाओं की परित्याग दर कम रही है ।

इस प्रकार दृष्टया रूप से यह प्राक्कल्पना अस्वीकृत होती है कि सामान्य बालक-बालिकाओं की तुलना में विकलांग बालक-बलिकाओं का विद्यालय परित्याग अधिक होता है ।

कक्षास्तरवार विद्यालय परित्याग

अध्ययनान्तर्गत प्राक्कल्पना-12 के परीक्षण हेतु विद्यालय परित्याग कर चुके कुल विद्यार्थियों (100%) में से कक्षावार प्रतिशत ज्ञात किए गए । तदनुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में बालकों-बालिकाओं (संयुक्त) के सन्दर्भ में रहा कक्षानुसार प्रतिशत विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है :

1. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के आधार पर (सारणी -25)
2. राजकीय एवं निजी क्षेत्र के आधार पर (सारणी-26)
3. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर (सारणी-27)
4. बालक एवं बालिका विद्यालयों के आधार पर (सारणी-28)
5. कक्षावार परित्याग दर दर्शक चित्र-2

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में कक्षानुसार परित्याग :

सारणी - 25

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में कुल परित्याग का कक्षानुसार प्रतिशत

कक्षा	ग्रामीण क्षेत्र			शहरी क्षेत्र			योग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
अवि. इकाई	75.07	79.45	76.58	73.03	70.41	71.89	74.61	76.68	75.37
3	1579	13.26	14.92	17.91	20.77	19.15	16.28	15.56	16.01
4	6.39	4.59	5.77	5.97	5.97	5.97	6.29	5.01	5.82
5.	2.75	2.70	2.73	3.09	2.85	2.99	2.82	2.75	2.80
योग	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

उक्त सारणी बताती है कि कुल मिला कर 75 प्रतिशत परित्याग कक्षा I व II के स्तर पर हो रहा है जबकि कक्षा IV, V में यह दर नगण्य है । स्थूल रूप से यदि कक्षा I, II, III के स्तर पर व्यक्तिगत ध्यान अवसरोपयुक्त शिक्षा, सुविधानुसार प्रयास, प्रोत्साहन और बच्चे की उदासीनता को रोकने के उपाय हो सकें तो 91 प्रतिशत परित्याग रोका जा सकता है ।

यह परित्याग ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में कक्षा I व II पर केवल 4.69 प्रतिशत ही अधिक है तथा कक्षा III पर यह शहरी क्षेत्रों में 4.23 प्रतिशत अधिक है । इससे यह मान्यता उपयुक्त नहीं ठहरती कि परित्याग की दर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रहती है अथवा शहरी क्षेत्र में ही अधिक रहती है । यह सामान्य प्रवृत्ति कही जा सकती है कि परित्याग आयु वर्ग 6-9 के बीच होता है ।

राजकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षानुसार परित्याग

सारणी - 26

राजकीय एवं निजी विद्यालयों में कुल परित्याग का कक्षानुसार प्रतिशत

कक्षा	राजकीय विद्यालय			निजी विद्यालय			योग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
अवि. इकाई	74.76	76.74	75.48	72.44	75.93	73.80	74.61	76.68	75.37
3	16.11	15.66	15.95	18.50	14.20	16.83	16.28	15.56	16.01
4	6.43	5.07	5.93	4.33	4.32	4.33	6.29	5.01	5.82
5	2.70	2.53	2.64	4.73	5.55	5.04	2.82	2.75	2.80
योग	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

इस आधार पर भी कुल स्थिति यह ठहरती है कि आरम्भिक तीन वर्षों में 91.38 प्रतिशत परित्याग हो जाता है । राजकीय और निजी विद्यालयों के आधार पर तुलनात्मक स्थिति लगभग समान रही है । नगण्य रूप से कक्षा I, II में राजकीय विद्यालय अग्रसर है तो कक्षा III में निजी विद्यालय ।

यहाँ भी हम यह कहने की स्थिति में है कि विद्यालय प्रबन्ध का

राजकीय या निजी होना परित्याग का आधार नही बनता । परित्याग का आधार है आयु वर्ग 6-9 ।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में परित्याग

सारणी - 27

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल परित्याग का कक्षानुसार प्रतिशत

कक्षा	प्राथमिक विद्यालय			उच्च विद्यालय			योग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
अवि. इकाई	74.36	76.32	75.08	75.22	77.56	76.09	74.61	76.68	75.37
3	16.63	16.50	16.58	15.38	13.25	14.59	16.28	15.56	16.01
4	6.34	4.66	5.72	6.17	5.87	6.06	6.29	5.01	5.82
5	2.67	2.52	2.62	3.23	3.32	3.26	2.82	2.75	2.80
योग	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

यह आधार भी यही तथ्य प्रकाशित करता है कि कुल मिला कर कक्षा I से III तक 91 प्रतिशत से अधिक परित्याग हो चुकता है । कक्षा III में प्राथमिक विद्यालयों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की तुलना में 1.99 प्रतिशत अधिक है, किन्तु कक्षा I, II में यह उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1.01 प्रतिशत अधिक है ।

अतः विद्यालय प्रकार भी महत्वपूर्ण प्रतिकारक सिद्ध नहीं होता । सिद्ध यह होता है कि परित्याग दर 6-9 वय-वर्ग में ही सर्वाधिक है ।

बालक एवं बालिका विद्यालयों में कक्षानुसार परित्याग

सारणी - 28

बालक एवं बालिका विद्यालयों में कुल परित्याग का कक्षानुसार प्रतिशत

कक्षा	बालक विद्यालय			बालिका विद्यालय			योग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
अवि. इकाई	74.14	77.79	75.37	83.50	71.60	75.41	74.61	76.68	75.37
3	16.48	14.13	15.69	12.37	22.08	18.98	16.28	15.56	16.01
4	6.46	5.21	6.04	3.09	4.13	3.80	6.29	5.01	5.82
5	2.92	2.87	2.90	1.04	2.19	1.81	2.82	2.75	2.80
योग	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

बालक और बालिकाओं के सम्मिलित परित्याग की सर्वाधिक दर तो कक्षा । से ।।। तक ही केन्द्रित है, किन्तु अलग-अलग करके देखें तो -

1. बालक विद्यालयों में बालिकाओं का परित्याग 91.92 प्रतिशत और बालकों का 90.62 प्रतिशत है, यानि केवल 1.30 प्रति 100 अधिक ।
2. वैसे ही बालिका विद्यालयों में बालकों का परित्याग 95.87 प्रतिशत और बालिकाओं का 93.68 प्रतिशत है, यानि 2.19 प्रति 100 अधिक । स्पष्ट है कि 8-9 वर्ष की वय प्राप्त करने पर बालक विद्यालय से बालिकाएँ और बालिका विद्यालय से बालक परित्याग कर जाते हैं ।
3. कक्षा ।।। की परित्याग दर यह तथ्य उभारती है कि -
   (१) बालिका विद्यालयों में बालिकाओं की परित्याग दर (22.08) बालक विद्यालयों की तत्समान दर (14.13) से काफी कम है ।
   (२) वैसे ही बालक विद्यालयों में बालकों की परित्याग दर (16.48) तत्समान बालिका विद्यालयों की तुलना (12.37) में अधिक है ।
4. सर्वाधिक परित्याग दर जिसे बालक/बालिका विद्यालय भेद का परिणाम माना जा सकता है, वह कक्षा, ।, ।। के स्तर पर दिखाई देती है ।

(१) बालक विद्यालयों में कक्षा I, II पर 77.79 प्रतिशत बालिकाएँ परित्याग करती हैं, जबकि वे बालिका विद्यालयों में 71.60 प्रतिशत ही करती हैं ।

(२) उसी स्तर पर बालक विद्यालयों में 74.14 प्रतिशत बालक विद्यालय परित्याग करते हैं, जबकि तत्स्तरीय बालिका विद्यालयों में वे 83.50 प्रतिशत करते हैं । यह सार्थक अन्तर है ।

अतः यह कहने की स्थिति बनती है कि समग्रतः तो कक्षा I से III तक सर्वाधिक परित्याग होता है किन्तु बालक विद्यालयों से बालिकाएँ और बालिका विद्यालय से बालक 6-8 आयु वर्ग में सर्वाधिक परित्याग करते हैं ।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि राज्य में सत्र 85-86 से 89-90 की अवधि में प्राथमिक स्तर पर 44.66 प्रतिशत दर से विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय परित्याग हुआ । संभाग की दृष्टि से न्यूनतम परित्याग दर चूरू संभाग में तथा अधिकतम कोटा संभाग में है । पूरे राज्य में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में विद्यालय परित्याग की दर अधिक है ।

समग्र रूप से केवल बालकों के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में परित्याग अधिक होता है जबकि केवल बलिकाओं के प्रसंग में स्थिति इसके विपरीत है ।

राज्य स्तर पर निजी विद्यालयों की अपेक्षा राजकीय विद्यालयों में परित्याग की दर अधिक है । जोधपुर संभाग इसका अपवाद है ।

संभागों के पैमाने पर कतिपय अपवादों की छोड़कर राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की अपेक्षा विद्यालय परित्याग की दर अधिक है । साथ ही बालिका विद्यालयों में बालक विद्यालयों की अपेक्षा विद्यालय परित्याग की दर अधिक रहती है ।

जिलों के संदर्भ में न्यूनतम समग्र परित्याग की दर सीकर में तथा अधिकतम दर झालावाड़ में रही ।

राज्य में 12 जिले ऐसे हैं जहाँ विद्यालय परित्याग की दर राज्य स्तरीय दर से अधिक है ।

राज्य स्तर पर संवर्गो के अनुसार समेकित रूप से अनुसूचित जन जाति के बालक, बालिका तथा समग्र के विद्यालय परित्याग की दर तुलनात्मक दृष्टि से अधिकतम तथा सामान्य संवर्ग की न्यूनतम है ।

अनुसूचित जाति के बालक, बालिका व समग्र की सर्वाधिक परित्याग दर कोटा संभाग में तथा न्यूनतम जोधपुर संभाग में है ।

चित्र-2 : राज्य में कक्षानुसार परित्याग

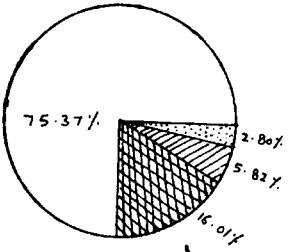

समग्र रूप से

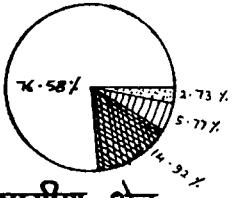

ग्रामीण क्षेत्र

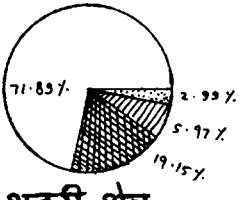

शहरी क्षेत्र

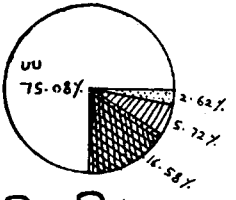

प्राथमिक विद्यालय

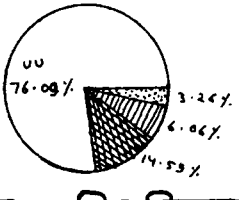

उच्च प्राथमिक विद्यालय

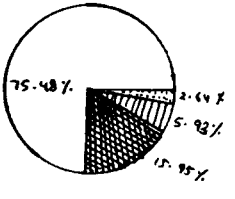

राजकीय विद्यालय

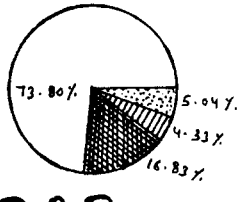

निजी विद्यालय

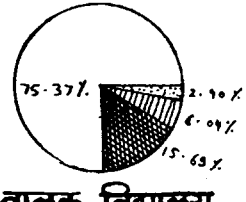

बालक विद्यालय

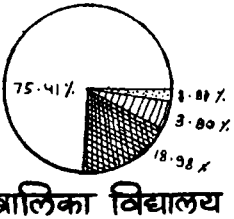

बालिका विद्यालय

अविभक्त इकाई

कक्षा - 3

कक्षा - 4

कक्षा - 5

अनुसूचित जनजाति के बालकों में अधिकतम परित्याग दर उदयपुर संभाग व न्यूनतम दर चूरू संभाग में एवं बालिकाओं की अधिकतम परित्याग दर कोटा संभाग में व न्यूनतम दर चूरू संभाग में है ।

अभिभावकों के व्यवसाय की दृष्टि से सर्वाधिक परित्याग ऐसे विद्यार्थियों का होता है जिनके अभिभावक मजदूरी करते हैं, जबकि व्यापार/गैर कृषि स्वरोजगार वाले तथा नौकरी करने वाले अभिभावकों में बालक-बालिकाओं की परित्याग दर तुलनात्मक दृष्टि से तीन-चौथाई से भी कम होती है ।

जैसे-जैसे बालक-बालिकाओं की विद्यालय में प्रवेश लेने की आयु बढ़ती है वैसे-वैसे विद्यालय परित्याग की दर भी बढ़ती है ।

विद्यार्थियों के आवास से विद्यालय की दूरी का विद्यालय परित्याग पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ता है ।

अवधि की दृष्टि से विद्यार्थियों का सर्वाधिक परित्याग जुलाई से सितम्बर माह की त्रैमासिकी में होता है ।

राज्य स्तर पर विकलांग विद्यार्थियों की परित्याग दर सामान्य विद्यार्थियों की परित्याग दर की तुलना में कम है ।

विद्यालय परित्याग कर चुके कुल विद्यार्थियों में से लगभग 75 प्रतिशत परित्याग कक्षा । व ॥ के स्तर पर हो रहा है, जबकि कक्षा IV, V में यह दर नगण्य है ।

* * *

अध्याय - 4

आधारभूत सुविधाएँ और विद्यालय परित्याग

विद्यालय में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं का विद्यार्थियों के विद्यालय परित्याग से सम्बन्ध ज्ञात करने हेतु काईवर्ग मान (X^2) द्वारा नकारात्मक प्राक्कल्पनाओं का परीक्षण किया गया, जिसे क्रमशः प्रस्तुत किया जा रहा है :

(क) शिक्षक-छात्र अनुपात और परित्याग दर :

प्रक्कल्पना-13 के परीक्षण के संदर्भ में विद्यालयों का शिक्षक-छात्र अनुपात ज्ञात करने हेतु अध्ययन की कुल अवधि (सत्र 1985-86 से 1989-90 तक) में सत्रवार रही शिक्षकों व छात्रों की संख्या से औसत अनुपात निकाला गया । इस प्रकार प्राप्त हुए अनुपात और परित्याग दर की स्थिति सारणी -29 में दर्शाई जा रही है :

सारणी - 29

शिक्षक-छात्र अनुपात और परित्याग दर के अनुसार विद्यालय

शिक्षक-छात्र अनुपात	विद्यालय संख्या			
	विद्यालय परित्याग की प्रतिशत दर			
	0 - 30	31 - 70	71 - 100	योग
1-20	4	14	8	26
21-40	37	110	26	173
41-60	42	95	17	154
61-80	19	20	1	40
योग	122	239	52	413

$\chi^2 = 17.41$

प्राप्त काई वर्ग मान (17.41) 6 df पर तालिका मान (12.59) से अधिक है । अतः नकारात्मक प्राक्कल्पना कि 'शिक्षक-छात्र अनुपात और परित्याग दर में कोई संबंध नहीं है' अस्वीकृत की जाती है तथा वह निष्कर्ष निकलता है कि इन दोनों चरों के बीच संबंध है ।

(ख) विद्यालय में भौतिक साधन-सुविधाओं की उपलब्धता और विद्यार्थियों का परित्याग

प्राक्कल्पना के संदर्भ में विद्यालयों में भौतिक साधन सुविधाओं की उपलब्धता और विद्यार्थियों के विद्यालय परित्याग के बीच सम्बन्ध मालूम करने के लिए निम्नांकित साधन सुविधाओं को आधार बनाया गया :

1. विद्यालय भवन
2. श्यामपट्ट व्यवस्था
3. दरीपट्टियां/बिछात
4. शिक्षणोपकरण और खेल सामग्री
5. जल व्यवस्था

1. विद्यालय भवन की संस्थिति और परित्याग

विद्यालय भवन की संस्थिति और परित्याग में सम्बन्ध जानने हेतु विद्यालयों को भवन की संस्थितियों के अनुसार छः श्रेणियों (उपलब्ध नहीं, कच्चा, पक्का, अनुपयुक्त अपर्याप्त, पक्का उपयुक्त अपर्याप्त, पक्का अनुपयुक्त पर्याप्त और पक्का उपयुक्त पर्याप्त) में बांटकर विद्यालय परित्याग दर की श्रेणीयों (0-30, 31-70, 71-100) के अनुसार विद्यालयों की संख्या ज्ञात कर काई वर्ग मान निकाला गया :

सारणी - 30

विद्यालय भवन की संस्थिति और परित्याग दर के अनुसार विद्यालय

भवन संस्थिति	विद्यालय संख्या			
	विद्यालय परित्याग की प्रतिशत दर			
	0 - 30	31 - 70	71 - 100	योग
उपलब्ध नहीं	3	7	2	12
कच्चा	7	21	5	33
पक्का अनुपयुक्त अपर्याप्त	32	61	14	107
पक्का उपयुक्त अपर्याप्त	10	25	4	39
पक्का अनुपयुक्त पर्याप्त	5	10	4	19
पक्का उपयुक्त पर्याप्त	65	115	23	203
योग	122	239	52	413

$X^2 = 4.02$

प्राप्त काईवर्ग मान (4.02) 10 df पर तालिका मान (18.31) से कम है । अतः यह नकारात्मक प्राक्कल्पना कि 'भवन उपलब्धता की संस्थिति और विद्यालय परित्याग के बीच सम्बन्ध नहीं है' स्वीकृत होती है । इसका अभिप्राय यह हुआ कि विद्यालय भवन और विद्यार्थियों के परित्याग के बीच सम्बन्ध नहीं है ।

2. श्यामपट्ट व्यवस्था और विद्यालय परित्याग

विद्यालयों में उपलब्ध श्यामपट्ट व्यवस्था की श्रेणियों (अपर्याप्त अनुपयुक्त, पर्याप्त अनुपयुक्त, अपर्याप्त उपयुक्त और पर्याप्त उपयुक्त) तथा विद्यार्थियों की परित्याग दर के अनुसार विद्यालयों की संख्या व प्राप्त काईवर्ग मान इस प्रकार है :

सारणी - 31

श्याामपट्ट संस्थिति और परित्याग दर के अनुसार विद्यालय

श्यामपट्ट संस्थिति	विद्यालयों की संख्या			
	विद्यालय परित्याग प्रतिशत दर			
	0-30	31-70	71-100	योग
अपर्याप्त अनुपयुक्त	28	74	18	120
पर्याप्त अनुपयुक्त	3	6	1	10
अपर्याप्त उपयुक्त	10	18	6	34
पर्याप्त उपयुक्त	81	141	27	249
योग	122	239	52	413

$\chi^2 = 4.73$

इस प्रकार प्राप्त काईवर्ग मान (4.73) 6 df पर प्रदत्त तालिका मान (12.59) से कम है । अतः 'श्यामपट्ट संस्थिति और विद्यार्थियों की परित्याग दर में संबंध नहीं है' यह नकारात्मक प्राक्कल्पना स्वीकृत होती है । इन दोनों चरों के बीच संम्बन्ध नहीं है ।

3. दरी पट्टियां/बिछात व्यवस्था और परित्याग

विद्यालयों में दरी पट्टियों/बिछात व्यवस्था की 5 श्रेणियों (उपलब्ध

नहीं, अपर्याप्त अनुपयुक्त, पर्याप्त अनुपयुक्त, अपर्याप्त उपयुक्त और पर्याप्त उपयुक्त) तथा परित्याग दर के अनुसार विद्यालयों की संख्या सारणी-32 में दी गई है :

सारणी - 32

दरी पट्टियों/बिछात की संस्थिति और परित्याग दर के अनुसार विद्यालय

दरी पट्टियां/बिछात की संस्थिति	विद्यालयों की संख्या			
	विद्यालय परित्याग प्रतिशत दर			
	0-30	31-70	71-100	योग
उपलब्ध नहीं	8	14	1	23
अपर्याप्त अनुपयुक्त	46	83	19	148
पर्याप्त अनुपयुक्त	4	13	2	19
अपर्याप्त उपयुक्त	16	18	1	35
पर्याप्त उपयुक्त	48	111	29	188
योग	122	239	52	413

$\chi^2 = 10.84$

उपर्युक्त प्राप्त काईवर्ग मान (10.84) 8 df पर प्रदत्त तालिका मान (15.50) से कम है । अतः यह नकारात्मक प्राक्कल्पना कि 'दरी पट्टियों/बिछात की उपलब्धता तथा विद्यार्थियों के परित्याग में सम्बन्ध नहीं है' स्वीकृत की जाती है । इससे तात्पर्य यह है कि दरी पट्टियों/बिछात की उपलब्धता और विद्यार्थियों के परित्याग के बीच सम्बन्ध नहीं है ।

4. शिक्षाणोपकरण व खेल सामग्री और विद्यालय परित्याग

शिक्षणोपकरण व खेल सामग्री तथा परित्याग दर के अनुसार विद्यालयों की संख्या सारणी-33 में दी गई है :

सारणी - 33

शिक्षाणोपकरण व खेल सामग्री की संस्थिति और परित्याग दर के अनुसार विद्यालय

शिक्षणोपकरणों व खेल सामग्री की संस्थिति	विद्यालयों की संख्या			
	विद्यालय परित्याग प्रतिशत दर			
	0-30	31-70	71-100	योग
उपलब्ध नहीं	43	96	23	162
पर्याप्त उपयुक्त	25	39	2	66
पर्याप्त अनुपयुक्त	2	4	1	7
अपर्याप्त उपयुक्त	9	21	1	31
उपर्याप्त अनुपयुक्त	43	79	25	147
योग	122	239	52	413

$\chi^2 = 12.66$

उपर्युक्त दत्तों से काईवर्ग मान 12.66 प्राप्त हुआ जो 8 df के तालिका मान (15.50) से कम है । अतः यह नकारात्मक प्राक्कल्पना कि 'शिक्षणोपकरणों व खेल सामग्री की उपलब्धता और विद्यार्थियों के विद्यालय परित्याग के बीच सम्बन्ध नहीं है' स्वीकृत होती है । इससे तात्पर्य यह है कि उक्त दोनों चरों के बीच सम्बन्ध नहीं है ।

5. जल व्यवस्था और विद्यालय परित्याग

उपलब्ध जल व्यवस्था की संस्थिति और परित्याग दर के अनुसार विद्यालयों की संख्या सारणी-34 में दी गई है :

सारणी - 34

जल व्यवस्था संस्थिति और परित्याग दर के अनुसार विद्यालय

जल व्यवस्था संस्थिति	विद्यालयों की संख्या			
	विद्यालय परित्याग प्रतिशत दर			
	0-30	31-70	71-100	योग
पर्याप्त उपयुक्त	75	150	26	251
पर्याप्त अनुपयुक्त	2	11	1	14
अपर्याप्त उपयुक्त	16	16	7	39
अपर्याप्त अनुपयुक्त	29	62	18	109
योग	122	239	52	413

$\chi^2 = 9.84$

उक्त काईवर्ग मान (9.84) 6 df पर प्रदत्त तालिका मान (12.59) से कम है । अतः यह नकारात्मक प्राक्कल्पना कि 'जल व्यवस्था और विद्यार्थियों के विद्यालय परित्याग के बीच संबंध नहीं है' स्वीकार की जाती है । अर्थात् उक्त दोनों चरों के बीच संबंध नहीं है, यह प्रमाणित होता है ।

(ग) उत्प्रेरक और विद्यालय परित्याग

राज्य में विगत वर्षों में बालक बालिकाओं को विद्यालय में नामांकित करने और बनाए रखने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के उत्प्रेरकों की व्यवस्था की जाती रही है । इन उत्प्रेरकों में पोषाहार, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, निःशुल्क लेखन-सामग्री, निःशुल्क पोशाक व उपस्थिति छात्रवृत्तियां महत्वपूर्ण हैं ।

अध्ययन के प्रारम्भ में निर्मित प्राक्कल्पना क्रमांक -15 के परीक्षण हेतु इन उत्प्रेरकों की विद्यालयों में व्यवस्था स्थिति और विद्यार्थियों की परित्याग दर के बीच संबंध ज्ञात करने का प्रयास भी किया गया । इस हेतु उत्प्रेरकों की व्यवस्था युक्त विद्यालयों को आगे अंकित पांच श्रेणीयों में बांटते हुए परित्याग दर के अनुसार विद्यालयों की संख्या मालूम करके काईवर्ग मान निकाले गए :

(क) व्यवस्था नहीं
(ख) 25 प्रतिशत तक विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था
(ग) 26 से 50 प्रतिशत तक विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था
(घ) 51 से 75 प्रतिशत तक विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था
(ङ) 76 से 100 प्रतिशत तक विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था

उत्प्रेरकों और विद्यालय परित्याग के बीच काईवर्ग मान (परिशिष्ट-त) निम्नानुसार प्राप्त हुए :

(क) पोषाहार और विद्यालय परित्याग के बीच : 4.39
(ख) निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और विद्यालय परित्याग के बीच : 8.06
(ग) निःशुल्क लेखन सामग्री और विद्यालय परित्याग के बीच : 2.19
(घ) निःशुल्क पोशाक और विद्यालय परित्याग के बीच : 9.39
(ङ) उपस्थिति छात्रवृत्ति और विद्यालय परित्याग के बीच : 5.46

इस प्रकार इन उत्प्रेरकों के संदर्भ में प्राप्त काईवर्ग मान (क्रमशः 4.39, 8.06, 2.19, 9.39 तथा 5.46) 8 df पर प्रदत्त तालिका मान (15.50) से कम है । अतः यह सार्थक नहीं है । परिणामतः निम्नांकित नकारात्मक प्राक्कल्पनाएँ स्वीकृत की जाती है :

- पोषाहार तथा विद्यार्थियों के परित्याग के बीच संबंध नहीं है ।
- निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों और विद्यार्थियों के परित्याग के बीच संबंध नहीं है ।
- निःशुल्क लेखन सामग्री और विद्यार्थियों के परित्याग के बीच संबंध नहीं है ।
- निःशुल्क पोशाक और विद्यार्थियों के परित्याग के बीच संबंध नहीं है, तथा
- उपस्थिति छात्रवृति और विद्यार्थियों के परित्याग के बीच संबंध नहीं है ।

प्रस्तुत अध्याय में प्रदत्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात और विद्यार्थियों के परित्याग के बीच तो संबंध है, परन्तु अन्य भौतिक सुविधाओं व विद्यार्थियों को प्रदान किए जाने वाले विविध उत्प्रेरकों तथा विद्यार्थियों के विद्यालय परित्याग के बीच कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है ।

यहां यह स्पष्ट करना उपयुक्त होगा कि उक्त चरों में सम्बन्ध की सार्थकता की यह स्थिति यद्यपि सांख्यिकी दृष्टि से प्रमाणित नहीं होती है तथापि विद्यार्थियों के वैयक्तिक स्तर पर उन्हें विद्यालय में बनाए रखने की दृष्टि से इनका अपना महत्व है, जिसे नकारा नहीं जा सकता ।

* * *

अध्याय - 5

विद्यालय परित्याग के अन्य कारण एवं निराकरण के उपाय

अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय परित्याग की वस्तुस्थिति ज्ञात करने के साथ-साथ परित्याग के अन्य कारण ज्ञात करना भी था । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्वयं विद्यालय छोड़ चुके विद्यार्थियों तथा संस्था प्रधानों से कारणों की जानकारी की गई । तदनुसार ज्ञात हुए कारण क्रमशः इस प्रकार है :

विद्यालय छोड़ चुके विद्यार्थियों के अनुसार कारण :

साक्षात्कार के माध्यम से विद्यालय छोड़ चुके 1388 विद्यार्थियों (808 बालक तथा 580 बालिकाओं) से विद्यालय छोड़ने के कारण ज्ञात किए गए । कारणों के चार बड़े वर्ग परिवार सम्बन्धी, विद्यालय सम्बन्धी, व्यक्तिगत और अन्य बताए गए । विभिन्न कारणों के इन चारों वर्गों के सन्दर्भ में उत्तर देने वाले बालक बालिकाओं की संख्या और प्रतिशत निम्नांकित सारणी में हैं :

सारणी - 35

परित्याग कारण वर्गानुसार विद्यालय परित्याग करने वाले विद्यार्थियों की संख्या और प्रतिशत

कारण वर्ग	बालक N=808		बालिकाएँ N=580		समेकित N=1388	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
परिवार सम्बन्धी	752	93.07	540	93.10	1292	93.08
विद्यालय सम्बन्धी	314	38.86	235	40.51	549	39.55
व्यक्तिगत	268	33.17	151	26.03	419	30.18
अन्य	35	436	45	7.75	80	5.76

उक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि :

1. विद्यालय परित्याग कर चुके विद्यार्थियों (बालक + बालिकाओं) में से 93.08 प्रतिशत के अनुसार उनके द्वारा विद्यालय परित्याग के प्रमुख कारण परिवार सम्बन्धी हैं । अर्थात् परिवार सम्बन्धी कारण विद्यार्थियों के विद्यालय परित्याग के सन्दर्भ में सर्वाधिक प्रभावी हैं ।
2. 39.55 प्रतिशत विद्यार्थियों के अनुसार उनके द्वारा विद्यालय परित्याग के कारण विद्यालय से सम्बन्धित हैं । इसी आधार पर यह कहना ही अधिक उचित होगा कि विद्यालय सम्बन्धी कारण इस सन्दर्भ में अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं ।
3. विद्यालय छोड़ने से सम्बन्धित व्यक्तिगत कारण भी महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं होते, क्योंकि इन कारणों को महत्वपूर्ण बताने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत भाग 30.18 है ।
4. परिवार व विद्यालय से सम्बन्धित तथा व्यक्तिगत कारणों के अतिरिक्त 'अन्य कारणों' (शैक्षिक चेतना का अभाव, सामाजिक वातावरण की अनुकूलता न होना,' रूढ़िवादिता आदि) से लगभग 6 प्रतिशत विद्यार्थियों ने विद्यालय छोड़ा । अतः ये कारण भी बहुत कम महत्व के प्रतीत होते हैं ।
5. जाति संवर्गों के अनुसार देखें (परिशिष्ट-थ) तो उक्त कारण वर्गों के प्रतिशत में कोई खास विचलन दृष्टिगत नहीं होता है ।

विभिन्न कारण - वर्गों के अनुसार कारण -

परिवार व विद्यालय सम्बन्धी, व्यक्तिगत तथा अन्य वर्गों के अन्तर्गत आने वाले कारण, प्रतिशत एवं कोटिक्रम (Rank Order) के अनुसार संयोजित किए गए, जो क्रमशः प्रस्तुत किए जा रहे हैं :

परिवार सम्बन्धी कारण - लगभग 93 प्रतिशत विद्यार्थियों के अनुसार उनके विद्यालय छोड़ने के पीछे परिवार सम्बन्धी कारण रहे हैं । परिवार से सम्बन्धित विभिन्न कारण, उन्हें बताने वाले बालक-बालिकाओं का प्रतिशत और कोटिक्रम इस प्रकार है :

सारणी - 36

परित्याग कर चुके विद्यार्थियों के अनुसार परित्याग के परिवार से संबंधित कारण (प्रतिशत एवं कोटिक्रम)

कारण	बालक		बालिका		समेकित	
	%	कोटि क्रम	%	कोटि क्रम	%	कोटि क्रम
आर्थिक विपन्नता	44.68	1	29.96	3	38.11	1
घर के काम में व्यस्त रहना	24.38	3	50.34	1	35.23	2
किसी व्यवसाय में लग जाना/मजदूरी	32.80	2	11.90	6	24.06	3
माता-पिता नहीं पढ़ाना चाहते हैं	14.11	6	29.83	2	20.68	4
पशु चराना	21.16	4	14.48	5	18.37	5
माता-पिता का निरक्षर होना	16.58	5	17.76	4	17.07	6
परिवार का स्थान छोड़ देना	5.69	7	5.00	7	5.40	7
पिता का देहान्त हो जाना	4.33	8	2.93	8	3.75	8
माता-पिता की बीमारी	3.47	9	2.41	10	3.03	9
घरेलू परिस्थितियाँ (घर में कमाने वाला कोई न होना, घर का वातावरण अनुकूल न होना, घर में इकलौता होना, घर में सबसे बड़ी सन्तान होना)	2.85	10	2.41	11	2.67	10
छोटे भाई-बहिनों को रखना	0.49	14	2.76	9	1.40	11
माता का देहान्त	1.61	11	1.05	14	1.37	12
परिवार का बड़ा होना	1.24	12	1.37	13	1.30	13
पिता का शराबी होना	0.12	15	2.07	12	0.95	14
पिता का घर से मजदूरी के लिए बाहर जाना	0.99	13	0.52	15	0.79	15

उक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि-

1. समेकित रूप से तथा बालकों के सन्दर्भ में जहां आर्थिक विपन्नता प्रथम कोटि का कारण है, वहां बालिकाओं के सन्दर्भ में घर के काम में व्यस्तता को पहला स्थान मिला है। आधी से अधिक (50.34%) बालिकाओं ने घर के काम में व्यस्त रहने के कारण विद्यालय छोड़ा।

2. बालकों के सन्दर्भ में जहां दूसरी कोटि का कारण किसी व्यवसाय में अथवा मजदूरी में लग जाना है वहां बालिकाओं की कठिनाई यह है कि उनके माता-पिता पढ़ाना ही नहीं चाहते ।
3. आगे की कोटियों में पशु चराना, माता-पिता की निरक्षरता, परिवार द्वारा स्थान छोड़ देना, माता-पिता की बीमारी अथवा निधन हो जाना, घरेलू परिस्थितियों की प्रतिकूलता, (कमाने वाला कोई न होना, इकलौती संतान होना, घर का वातावरण ठीक न होना, सबसे बड़ी संतान होना), छोटे भाई-बहिनों की देखभाल, बड़ा परिवार, पिता की नशाखोरी अथवा मजदूरी के लिए बाहर चले जाना आदि हैं।
4. जाति संवर्गानुसार (परिशिष्ट-द) भी थोड़े विचलन के साथ यही स्थिति दृष्टिगत होती है ।

विद्यालय सम्बन्धी कारण- परिवार सम्बन्धी कारणों के बाद दूसरा प्रभावी कारण वर्ग विद्यालय सम्बन्धी कारणों का है । विद्यालय सम्बन्धी विभिन्न कारण उत्तरदाता बालक-बालिकाओं के प्रतिशत और प्राप्त कोटिक्रम की स्थिति सारणी-37 में दी गई है :

सारणी - 37

परित्याग कर चुके विद्यार्थियों के अनुसार परित्याग के विद्यालय संबंधित कारण (प्रतिशत एवं कोटिक्रम)

कारण	बालक N=808		बालिका N=580		समेकित N=1388	
	%	कोटि क्रम	%	कोटि क्रम	%	कोटि क्रम
आवास से विद्यालय की दूरी	12.75	1	10.17	1	11.67	1
विद्यालय में सभी प्रकार की सुविधाओं का अभाव	7.30	2	4.31	6	6.05	2
शिक्षकों की कमी	5.07	3	4.48	5	4.82	3
विद्यालय में महिला अध्यापक का न होना	0.49	17	10.17	2	4.54	4
शिक्षकों की शिक्षण कार्य में रूचि कम होना	4.46	4	4.66	4	4.54	5
पाठ्य पुस्तकों का उपलब्ध न होना	4.33	5	2.76	10	3.67	6

बैठक व्यवस्था का अभाव	3.09	8	3.62	7	3.31	7
विद्यालय भवन की अपर्याप्तता	3.09	9	3.45	8	3.24	8
पढ़ाई पर खर्चा अधिक होना	3.59	6	2.60	11	3.17	9
सहशिक्षा की व्यवस्था होना	0.12	21	7.41	3	3.17	10
खेल उपकरणों का न होना	3.22	7	3.10	9	3.17	11
गणवेश की अनिवार्यता	2.97	11	1.72	14	2.45	12
उत्प्रेरणा का अभाव	3.09	10	1.53	15	2.45	13
पेयजल का अभाव	2.60	13	2.07	12	2.38	14
छात्रवृत्ति न मिलना	2.85	12	0.34	20	1.80	15
मध्याह्न भोजन की व्यवस्था न होना	1.86	14	1.21	16	1.53	16
शौचालय व मूत्रालय का न होना	0.49	18	1.90	13	1.08	17
छात्र संख्या का अधिक होना	1.11	15	0.68	18	0.94	18
विद्यालय में शिक्षकों का कमी- कमी आना	0.99	16	0.34	21	0.72	19
अध्यापक/अध्यापिका द्वारा पिटाई/ दुर्व्यवहार	0.37	20	1.02	17	0.65	20
अनुतीर्ण हो जाना	0.49	19	0.51	19	0.50	21
अन्य (मातृभाषा में पढ़ाई व्यवस्था न होना, छात्रावास सुविधा का न होना, छुआछूत, अनुपयुक्त विद्यालय समय, विद्यालय में महिला अध्यापकों की अधिकता आदि	0.99	-	0.85	-	0.94	-

1. बालक व बालिकाओं द्वारा आवास से विद्यालय की दूरी को प्रथम कोटि का कारण बताया गया है ।
2. समेकित रूप से तथा बालकों के सन्दर्भ में जहां विद्यालय में किसी प्रकार की सुविधा का न होना दूसरी कोटि का कारण आया वहां बालिकाओं के सन्दर्भ में विद्यालय में महिला अध्यापक के न होने को दूसरी कोटि दी गई ।
3. शिक्षकों की कमी तथा शिक्षकों में शिक्षण कार्य में रूचि के अभाव को क्रमशः तीसरी व चौथी कोटि दी गई ।
4. अन्य कारणों में पाठ्यपुस्तकों का उपलब्ध न होना, विद्यालय में बैठक व्यवस्था की कमी, अपर्याप्त विद्यालय भवन, पढ़ाई पर अधिक खर्च आना, सहशिक्षा, खेल उपकरणों का अभाव, गणवेश की अनिवार्यता,

पेयजल व उत्प्रेरणा की कमी, छात्रवृत्ति न मिलना, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था न होना, विद्यालय में शौचालय-मूत्रालय का न होना, अधिक छात्र संख्या, शिक्षकों का कभी-कभी आना, पिटाई व दुर्व्यवहार, फेल हो जाना आदि हैं ।

5. बालिकाओं ने तीसरी कोटि पर सहशिक्षा की व्यवस्था को कारण बताया है । सहशिक्षा की व्यवस्था और महिला अध्यापक का अभाव इन दो कारणों के मिलने से बालिकाओं के विद्यालय परित्याग की स्थिति अधिक बनती है ।
6. सारणी में एक प्रतिशत से भी कम बालक-बालिकाओं के अनुसार दिए गए कारणों की 'अन्य' कारणों में रखा गया है । इन कारणों में मातृभाषा में पढ़ाई की व्यवस्थां न होना, छात्रावास का अभाव, छुआछूत, विद्यालय समय की अनुपयुक्तता तथा महिला अध्यापकों का अधिक होना सम्मिलित है ।
7. जाति संवर्गानुसार (परिशिष्ट-ध) देखें तो दो बातें खास तौर से उभर कर सामने आती हैं - एक तो यह कि अनुसूचित जाति की बालिकाओं ने विद्यालय परित्याग का प्रथम कोटि का कारण सहशिक्षा की व्यवस्था की बताया हैं तथा दूसरी यह कि अनुसूचित जनजाति के बालक-बालिकाओं ने विद्यालय भवन की अपर्याप्तता को दूसरी कोटि का कारण बताया है । ये दोनों तथ्य ध्यातव्य हैं ।

व्यक्तिगत कारण-विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय परित्याग के वैयक्तिक कारण भी महत्त्वपूर्ण हैं, जिनकी तरफ ध्यान दिया जाना आवश्यक है । ये व्यक्तिगत कारण इस प्रकार है :

सारणी - 38

परित्याग कर चुके विद्यार्थियों के अनुसार परित्याग के व्यक्तिगत कारण

(प्रतिशत एवं कोटिक्रम)

कारण	बालक		बालिका		समेकित	
	%	कोटि क्रम	%	कोटि क्रम	%	कोटि क्रम
पढ़ने में रुचि न होना	20.30	1	14.32	1	17.80	1
अस्वस्थ होना	7.67	2	6.38	2	7.13	2
पढ़ाई में कमजोर होना	4.33	3	1.72	4	3.24	3
डर/हीनभावना	2.48	4	1.55	6	2.09	4
मन्दबुद्धि होना	2.48	5	1.53	7	2.09	5
विवाह हो जाना	0.12	10	3.28	3	1.44	6
पढ़ाई के बाद रोजगार की अनिश्चितता	2.10	6	0.34	10	1.37	7
विकलांगता	1.48	7	0.86	9	1.22	8
उम्र अधिक हो जाना	0.74	8	1.72	5	1.15	9
अध्ययन में सहयोग देने वाला नहीं होना	0.25	9	1.21	8	0.65	10
नशाखोरी/चोरी की आदत	0.12	11	-	-	0.07	11

उक्त सारणी दर्शाती है कि-

1. पढ़ने में रुचि का अभाव प्रथम कोटि का कारण है तथा अस्वस्थता की दूसरा स्थान दिया गया है ।
2. पढ़ाई में कमजोर होना तथा इस कारण फेल हो जाना विद्यालय परित्याग का एक उल्लेखनीय कारण है ।
3. बालिकाओं का विवाह हो जाना तीसरी कोटि का कारण है ।
4. अन्य वैयक्तिगत कारण हैं- डर/हीनभावना, मन्दबुद्धि, पढ़ाई के बाद रोजगार मिलने की अनिश्चितता, विकलांगता, अधिक उम्र, अध्ययन में सहयोग देने वाला कोई न होना तथा नशाखोरी/चोरी की आदत ।
5. जाति संवर्गवार (परिशिष्ट-न) स्थिति देखें तो विदित होता है कि तीनों संवर्णों की बालिकाओं के सन्दर्भ में विवाह हो जाने को तीसरी या चौथी कोटि मिली है । अनुसूचित जनजाति के सन्दर्भ में विकलांगता

को चौथा व पांचवा स्थान मिला है । नशाखोरी/चोरी की आदत अनुसूचित जनजाति के सन्दर्भ में ही पाई गई ।

अन्य कारण- परिवार व विद्यालय से सम्बन्धित तथा व्यक्तिगत कारणों के अलावा प्राप्त हुए कुछ उल्लेखनीय कारण इस शीर्षक के अन्तर्गत दिए गए हैं । ये अन्य कारण निम्नांकित सारणी में दिए गए हैं :

सारणी - 39

परित्याग कर चुके विद्यार्थियों के अनुसार परित्याग के अन्य कारण

(प्रतिशत एवं कोटिक्रम)

कारण	बालक		बालिका		समेकित	
	%	कोटि क्रम	%	कोटि क्रम	%	कोटि क्रम
शैक्षणिक चेतना का अभाव	3.34	1	3.28	2	3.31	1
सामाजिक वातावरण अनुकूल न होना	2.22	2	3.61	1	2.80	2
साथी/भाई द्वारा पढ़ाई छोड़ देना	0.74	3	0.34	5	0.56	3
चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होना	0.25	4	0.52	4	0.35	4
रूढ़िवादिता	-	-	0.69	3	0.28	5
धार्मिक शिक्षा लेने के कारण	0.25	5	-	-	0.14	6
आरक्षण का प्रावधान होना	0.12	6	-	-	0.07	7
पढ़ी-लिखी लड़की के लिए वर ढूँढ़ना कठिन	-	-	0.17	6	0.07	8
बालक-बालिका के प्रति व्यवहार में भेदभाव	-	-	0.17	7	0.07	9

1. समेकित रूप से तथा बालकों के सन्दर्भ में शैक्षिक चेतना की कमी को प्रथम कोटि का कारण बताया गया है ।
2. बालिकाओं के सन्दर्भ में सामाजिक वातावरण की अनुकूलता की कमी को प्रथम कोटि दी गई हैं । कुल मिला कर शैक्षिक चेतना का अभाव और सामाजिक वातावरण का अनुकूल न होना भी वे प्रमुख कारण हैं जिनसे विद्यार्थियों को विद्यालय छोड़ना पड़ता है ।
3. बालिकाओं के सन्दर्भ में रूढ़िवादिता तीसरी कोटि का कारण है ।
4. अन्य कारण हैं- साथी/भाई का पढ़ाई छोड़ देना, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने से लगातार बीमार रहना, धार्मिक शिक्षा प्राप्त

करना, आरक्षण का प्रावधान, पढ़ी-लिखी लड़की के लिए वर ढूँढ़ने में कठिनाई तथा बालक व बालिका के प्रति व्यवहार में भेदभाव ।

5. जाति संवर्गानुसार कारणों अन्य (परिशिष्ट-प) में थोड़ा विचलन है । रूढ़िवादिता की स्थिति अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग की बालिकाओं के सन्दर्भ में है । धार्मिक शिक्षा सामान्य संवर्ग के बालकों के सन्दर्भ में एक कारण है । इसी प्रकार आरक्षण के प्रावधान का कारण सामान्य संवर्ग के बालकों के सन्दर्भ में, पढ़ी-लिखी लड़की के लिए वर ढूँढ़ने की कठिनाई अनुसूचित जाति की बालिकाओं के सन्दर्भ में, तथा बालिकाओं के प्रति व्यवहार में भेदभाव का कारण सामान्य संवर्ग की बालिकाओं के सन्दर्भ में ही बताया गया है ।

संस्था-प्रधानों के अनुसार परित्याग के कारण-

साक्षात्कार के माध्यम से बालक-बालिकाओं से विद्यालय परित्याग के कारण जानने के साथ-साथ न्यादर्श में चयनित विद्यालयों के प्रधानों से भी 'प्रश्नावली' के माध्यम से बालक-बालिकाओं द्वारा विद्यालय परित्याग के कारण ज्ञात किए गए । तदनुसार संभागवार और समेकित रूप से उत्तरदाताओं की संख्या पर आधारित कोटिक्रम इस सारणी में दिए जा रहे हैं :

सारणी - 40

संख्या प्रधानों के अनुसार संभागवार और समेकित रूप से विद्यालय परित्याग के कारण

(कोटिक्रम)

	चूरू		जयपुर		जोधपुर		कोटा		उदयपुर		समेकित			
कारण	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	योग का	कोटिक्रम
आर्थिक विपन्नता	1	2	1	2	1	2	3	4	1	3	1	3	98.79	1
माता-पिता की निरक्षरता	3	4	2	5	3	3	1	2	3	4	3	1	97.34	2
घर का काम	6	1	4	1	4	1	6	1	4	5	4	2	66.83	3
खेती/व्यवसाय/मजदूरी	2	5	3	6	2	4	2	10	2	8	2	6	63.92	4
विवाह हो जाना	18	8	12	3	8	6	15	3	16	2	16	4	31.47	5
भाई-बहिनों की देखरेख	-	7	17	7	16	11	17	8	18	1	20	5	24.45	6
सामाजिक रूढ़िवादिता	17	6	21	4	12	8	-	7	24	6	21	6	22.28	7
उत्प्रेरकों/पोषाहार/पुस्तक आदि का अभाव	7	15	5	13	7	10	5	-	6	15	5	14	18.64	8
पढ़ाई में मन न लगना	8	25	6	15	6	12	7	12	9	10	7	12	16.95	9
छोटी उम्र में ही रोजगार में लगना	13	12	7	16	14	21	9	8	7	11	10	13	14.77	10

विद्यालय की दूरी	14	17	9	10	9	13	4	13	12	13	9	15	13.80	11
पढ़ाई के बाद भविष्य की अनिश्चितता	12	-	22	21	22	17	13	-	13	17	8	19	12.83	12
विद्यालय में भौतिक सुविधाओं का अभाव	9	14	14	12	19	20	8	8	19	19	13	11	12.59	13
बालिका विद्यालय/महिला अध्यापक का न होना	-	11	-	11	-	5	-	11	-	9	-	9	10.17	14
भगोड़ापन/पलायन	5	13	16	-	21	16	24	21	15	12	15	17	9.44	15
सहशिक्षा	-	10	-	8	-	9	-	16	-	14	-	10	9.20	16
अनुपयुक्त पाठ्यक्रम	19	16	20	14	20	22	20	20	8	16	17	16	8.96	17
विद्यालय भवन की कमी	15	22	10	17	18	-	11	18	10	21	11	21	8.47	18
लगातार अनुपस्थिति	16	26	11	25	-	23	12	19	11	22	14	23	7.51	19
घर पर कोई जिम्मेदार व्यक्ति न होना	20	-	13	-	5	-	16	-	17	-	12	-	6.54	20
स्टाफ की कमी	10	18	24	18	24	19	10	17	20	18	18	18	6.54	21
अनुकूल सामाजिक वातावरण का अभाव	11	21	26	20	-	-	19	14	21	19	-	20	5.57	22
विद्यालय समय अनुपयुक्त	-	20	19	-	13	-	23	-	21	20	23	25	3.87	23
अभिभावकों की उदासीनता	4	9	8	9	11	7	14	5	5	7	6	7	2.91	24

बालकों की मानसिक विकलांगता	23	-	18	-	17	-	18	-	23	-	22	-	2.90	25
भाग्यवादिता	-	23	23	22	10	18	-	-	-	-	24	26	2.66	26
विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था न होना	22	19	15	19	-	-	22	-	-	-	25	24	2.66	27
शारीरिक विकलांगता	-	-	-	-	15	-	21	-	-	-	26	-	1.11	28
मूत्रालय-शौचालय की पृथक् व्यवस्था न होना	21	24	25	23	-	-	-	-	-	-	28	27	1.11	29
पर्दाप्रथा	-	-	-	-	-	15	-	15	-	-	-	22	1.11	30
संकोच होना	-	-	-	24	-	14	-	-	-	-	-	28	0.73	31
माता-पिता द्वारा सभी बालकों को न पढ़ाना	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	27	-	0.48	32
माता-पिता की बीमारी	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	30	-	0.24	33
परिवार में अधिक सदस्य होना	24	-	-	-	-	-	-	-	25	-	29	-	0.24	34

1. संस्था-प्रधानों के अनुसार समेकित रूप से और बालको के सन्दर्भ में आर्थिक विपन्नता विद्यालय परित्याग का प्रथम कारण है । परित्याग कर चुके बालकों ने भी इस कारण को प्रथम स्थान दिया है । इसी कारण उन्हें खेती/व्यवसाय अथवा मजदूरी में लग जाना पड़ जाता है ।
2. बालिकाओं के सन्दर्भ में माता-पिता की निरक्षरता, घर का काम, आर्थिक विपन्नता तथा विवाह हो जाने को क्रमिक रूप से कोटियाँ प्राप्त हुई हैं ।
3. बालिकाओं के सन्दर्भ में सहशिक्षा की व्यवस्था का होना/पृथक् से बालिका विद्यालय न होना तथा विद्यालय में महिला अध्यापक का न होना भी परित्याग का उल्लेखनीय कारण है ।
4. बालिकाओं के सन्दर्भ में संकोचशीलता तथा पर्दाप्रथा भी परित्याग के कारण हैं ।
5. कारणों के सन्दर्भ में संभागों में कहीं-कहीं कोटिक्रम का विचलन है ।

पुनः प्रवेश की इच्छा

विद्यालय परित्याग कर चुके बालक-बालिकाओं का साक्षात्कार करते समय उनसे यह प्रश्न भी पूछा गया कि क्या वे पुनः विद्यालय में भर्ती होना चाहेंगे ? इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर देने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत मात्र 24.69 था । इस प्रश्न के उत्तरदाता विद्यार्थियों से सम्बन्धित विवरण निम्नांकित सारणी में है :

सारणी-41

पुनः प्रवेश की इच्छा व्यक्त करने वाले विद्यार्थी

(प्रतिशत में)

जाति संवर्ग	ग्रामीण क्षेत्र			शहरी क्षेत्र			योग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
अनुसूचित जाति	24.56	15.24	21.01	22.73	25.00	23.53	24.35	16.24	21.29
अनुसूचित जन जाति	30.65	25.64	28.71	0.00	0.00	0.00	29.23	25.00	27.62
सामान्य संवर्ग	22.28	27.30	24.49	27.78	40.00	33.33	22.75	28.44	25.26
योग	24.38	24.44	24.40	23.44	34.09	27.78	24.30	25.25	24.69

सारणी के अनुसार-

1. बालकों (24.30%) के अपेक्षा बालिकाओं (25.25%) में अधिक संख्या में पुनः प्रवेश की इच्छा प्रकट की हैं ।
2. ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों (24.40%) की अपेक्षा शहरी क्षेत्र के अधिक विद्यार्थियों (27.78%) ने पुनः प्रवेश की रूचि दर्शाई है ।
3. शहरी क्षेत्र के बालकों (23.44%) की अपेक्षा गामीण क्षेत्र के बालकों (24.38%) तथा ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं (24.44%) की अपेक्षा शहरी क्षेत्र की बालिकाओं (34.09%) ने अधिक संख्या में पुनः प्रवेश लेने की इच्छा व्यक्त की है । यद्यपि बालकों के सन्दर्भ में प्रतिशत का अन्तर बहुत कम है ।
4. पुनः प्रवेश की रूचि दर्शाने वाले सर्वाधिक बालक अनुसूचित जनजाति (29.23%) के तथा सर्वाधिक बालिकाएँ सामान्य संवर्ग (28.44%) की हैं ।
5. तीनों संवर्गों में से पुनः प्रवेश की कम से कम रूचि दर्शाने वाले बालक सामान्य संवर्ग (22.75%) के तथा बालिकाएँ अनुसूचित जातिं की (मात्र 16.24%) हैं ।
6. शहरी क्षेत्र में पुनः प्रवेश की इच्छा वाले अनुसूचित जनजाति के बालक-बालिकाओं का प्रतिशत शून्य है ।

पुनः प्रवेश के लिए चाही गई सुविधाएँ :

पुनः प्रवेश की इच्छा व्यक्त करने वाले बालक-बालिकाओं से साक्षात्कार के समय यह प्रश्न भी किया गया था कि विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए वे क्या सुविधाएँ चाहते हैं ? प्रश्न के उत्तर में व्यक्त की गई सुविधाओं का कोटिक्रमानुसार विवरण सारणी क्रमांक-42 में दिया गया है :

सारणी-42

परित्याग कर चुके विद्यार्थियों द्वारा पुनः प्रवेश के लिए चाही गई सुविधाएँ

अपेक्षित सुविधा	ग्रामीण क्षेत्र			शहरी क्षेत्र			समेकित ग्रामीण + शहरी का %	संयुक्त रूप से कोटि क्रम
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग		
निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें	1	1	1	1	1	1	53.65	1
निःशुल्क पोशाक	3	2	2	2	2	2	41.27	2
आर्थिक सहायता	2	3	3	4	4	4	37.26	3
अध्ययन में सहयोग	5	5	5	3	3	3	21.27	4
निःशुल्क लेखन-सामग्री	4	4	4	9	6	6	20.95	5
माता-पिता की सहमति	7	8	6	–	7	10	11.11	6
सुविधाजनक विद्यालय समय	6	9	7	7	8	7	10.79	7
पृथक् छात्रा विद्यालय की व्यवस्था	–	6	8	–	5	5	7.62	8
समीप ही विद्यालय हो	8	15	10	5	–	8	5.40	9
महिला शिक्षक की नियुक्ति	–	7	9	–	–	–	5.40	10
गृहकार्य से छूट	10	10	11	–	–	–	3.49	11
उपयोगी काम सिखाया जाय	9	11	12	6	9	9	3.17	12
विद्यालय में सुचारु शिक्षण की व्यवस्था	12	13	14	–	–	–	1.58	13
पशु चराने की व्यवस्था हो	13	14	15	8	–	11	1.27	14
छात्रावास की सुविधा	11	12	13	–	–	–	0.95	15
शारीरिक दण्ड न दें	15	16	16	–	–	–	0.63	16
अभिभावक के रूप में किसी का आश्रय मिले	14	–	17	–	–	–	0.32	17

1. पुनः प्रवेश के लिए सर्वाधिक (53.65%) विद्यार्थियों ने निःशुल्क पुस्तकों की सुविधा चाहकर इसे प्रथम कोटि प्रदान की है । यही स्थिति ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बालक-बालिकाओं की रही है ।
2. निःशुल्क पोशाक, आर्थिक सहायता (छात्रवृत्ति आदि), अध्ययन में सहयोग, निःशुल्क लेखन-सामग्री की व्यवस्था, माता-पिता की सहमति एवं विद्यालय समय की सुविधा 10 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों ने चाहकर क्रमशः दूसरे से सातवां स्थान दिया । यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि विद्यार्थियों ने माता-पिता की सहमति की सुविधा चाही है । अर्थात् इनके अध्ययन की निरन्तर रखने में माता-पिता की असहमति भी बाधक रही है ।
3. अन्य चाही गई सुविधाओं में बालिकाओं के लिए पृथक् बालिका विद्यालय, ग्रामीण क्षेत्र में महिला शिक्षक का पद स्थापन, विद्यालय की समीप व्यवस्था, गृहकार्य से मुक्ति, उपयोगी काम सिखाने की व्यवस्था, विद्यालय में सुचारु शिक्षण की व्यवस्था, पशु चराने की व्यवस्था, छात्रावास की सुविधा, शारीरिक दण्ड न देने की व्यवस्था तथा निराश्रित विद्यार्थियों की किसी का सहारा मिल जाय, हैं ।

यह द्रष्टव्य है कि इस प्रतिवेदन के चौथे अध्याय के विवेचन से यह विदित हुआ था कि विभिन्न उत्प्रेरकों और विद्यालय परित्याग दर के बीच सार्थक सम्बन्ध नहीं है, जबकि विद्यालय छोड़ चुके विद्यार्थियों में निःशुल्क पुस्तकें, निःशुल्क पोशाक तथा आर्थिक सहायता की सुविधा चाही है । ये विद्यार्थियों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से चाही गई वे सुविधाएँ हैं जो नामांकन के सन्दर्भ में भी प्रभावी हैं और उन्हें विद्यालय में बनाये रखने में भी संभवतः इसमें इन उत्प्रेरकों के यथासमय और अधिक मात्रा में उपलब्धता का प्रश्न भी अन्तर्निहित हो ।

जाति संवर्गानुसार (परिशिष्ट-फ) देखने पर विदित होता है कि जहां अन्य संवर्गों के बालक-बालिकाओं व अनुसूचित जाति की बालिकाओं ने निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था की प्रथम कोटिक्रम की सुविधा बताया गया है, वहां अनुसूचित जाति के बालकों ने आर्थिक सहायता (राशि) की प्रथम कोटिक्रम दिया । अन्य सुविधाओं की स्थिति थोड़े विचलन के साथ पूर्ववत् है ।

अभिभावकों का अभिमत-

अध्ययन में विद्यालय छोड़ चुके बालक-बालिकाओं से साक्षात्कार करने के साथ-साथ उनके अभिभावकों से भी साक्षात्कार किया गया । विद्यालय छोड़ चुके 1388 विद्यार्थियों में से 1368 के अभिभावकों से साक्षात्कार संभव हुआ । साक्षात्कार के समय अभिभावकों से यह पूछा गया कि क्या वे

अपने बालक/बालिका के भावी जीवन के लिए शिक्षा को आवश्यक मानते हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में क्षेत्रानुसार प्राप्त हुआ अभिभावकों का अभिमत इस प्रकार है :

सारणी-43

बालक-बालिका के भावी जीवन के लिए शिक्षा के सम्बन्ध में अभिभावकों का अभिमत (प्रतिशत में)

क्षेत्र	अभिभावकों का मत		
	आवश्यक	आवश्यक नहीं	अनिश्चित
ग्रामीण	63.97	19.39	16.64
शहरी	78.12	9.38	12.50
योग	65.30	18.45	16.25

1. समेकित रूप से लगभग दो तिहाई (65.30%) अभिभावक अपने बालक-बालिका के भावी जीवन के लिए शिक्षा को आवश्यक मानते हैं ।
2. अपने बालक-बालिका के लिए शिक्षा की आवश्यकता मानने की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों (63.97%) की अपेक्षा शहरी क्षेत्र के अभिभावकों (78.12%) का प्रतिशत (14.15%) अधिक है । यह शहरी क्षेत्र में शिक्षा के प्रति आम चेतना का सूचक है ।
3. 18.45 प्रतिशत अभिभावक बालक-बालिका के भावी जीवन के लिए शिक्षा की आवश्यक नहीं मानते हैं ।

जाति संवर्गानुसार अभिभावकों का अभिमत निम्नांकित सारणी में दिया गया है-

सारणी-44

जाति संवर्गानुसार विद्यालय परित्याग कर चुके बालक-बालिकाओं के अभिभावकों का शिक्षा की आवश्यकता के सम्बन्ध में अभिमत

(प्रतिशत में)

ाति संवर्ग	अभिमत		
	आवश्यक	आवश्यक नहीं	अनिश्चित
नुसूचित जाति	66.57	18.07	15.36
नुसूचित जनजाति	70.98	16.97	12.05
सामान्य संवर्ग	63.21	19.01	17.78
योग	65.30	18.45	16.25

उक्त सारणी से प्रकट है कि अपने बालक-बालिका के भावी जीवन के लिए शिक्षा को आवश्यक मानने वाले अभिभावकों में अनुसूचित जनजाति (70.98%) के अभिभावक सर्वाधिक हैं । उनसे कम अनुसूचित जाति (66.57%) तथा सबसे कम सामान्य संवर्ग (63.21%) के अभिभावक हैं ।

पुनः प्रवेश दिलाने की इच्छा-

अपने बालक-बालिका को विद्यालय में पुनः प्रविष्ट कराने की दृष्टि से क्षेत्रानुसार अभिभावकों का विवरण इस प्रकार है-

सारणी-45

बालक-बालिका की विद्यालय में पुनः भर्ती कराने की इच्छा व्यक्त करने वाले अभिभावक (प्रतिशत में)

क्षेत्र	अभिभावक		
	बालक	बालिका	योग
ग्रामीण	30.19	23.45	27.38
शहरी	40.00	47.17	42.97
योग	31.12	25.66	28.84

इस सारणी के अवलोकन से पता चलता है कि-

1. समेकित रूप से मात्र 28.84 प्रतिशत बालक-बालिकाओं के अभिभावकों ने ही अपने बालक-बालिकाओं को पुनः विद्यालय में भर्ती कराना चाहा है ।
2. 31.12 प्रतिशत (ग्रामीण क्षेत्र में 30.19% तथा शहरी क्षेत्र में 40.00%) बालकों के अभिभावकों में अपने बालकों की विद्यालय में भर्ती कराने की इच्छा व्यक्त की है ।
3. 25.66 प्रतिशत बालिकाओं के अभिभावकों ने ही अपनी बालिकाओं को विद्यालय में पुनः भर्ती करवाना चाहा है । ग्रामीण क्षेत्र में तो यह प्रतिशत (23.45%) और भी कम है । ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में ऐसे अभिभावकों का प्रतिशत दुगुना है ।

जाति संवर्गानुसार पुनः प्रवेश की इच्छा-

जाति संवर्गानुसार अपने बालक-बालिका को विद्यालय में भर्ती कराने की इच्छा व्यक्त करने वाले अभिभावक निम्नांकित सारणी के अनुसार हैं-

सारणी-46

जाति संवर्गानुसार अपने बालक-बालिका को विद्यालय में पुनः भर्ती कराने की इच्छा व्यक्त करने वाले अभिभावक

(प्रतिशत में)

जाति संवर्ग	अभिभावक		
	बालक	बालिका	योग
अनुसूचित जाति	34.93	20.33	29.52
अनुसूचित जनजाति	29.50	22.35	26.79
सामान्य संवर्ग	29.84	28.25	29.14
योग	31.12	25.66	28.84

1. अनुसूचित जाति के अभिभावकों (29.52%) ने अपने बालक-बालिकाओं को विद्यालय में पुनः भर्ती करवाने में सर्वाधिक रुचि दर्शाई है जबकि अनुसूचित जनजाति के अभिभावकों ने सबसे कम (26.79%) ने ही रूचि दर्शायी .
2. केवल बालिकाओं के सन्दर्भ में पुनः प्रवेश की इच्छा का यह क्रम बदल गया है । बालिकाओं के सन्दर्भ में सामान्य संवर्ग के अभिभावकों

का प्रतिशत सर्वाधिक (28.25%) तथा अनुसूचित जाति के अभिभावकों का प्रतिशत सबसे से कम (20.33%) रहा ।

यहां यह विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि जहां बालक-बालिका के भावी जीवन में शिक्षा की आवश्यकता स्वीकार करने वाले अभिभावकों का प्रतिशत लगभग दो तिहाई था वहां उन्हें पुनः विद्यालय में भर्ती कराने के पक्ष में मत व्यक्त करने वाले अभिभावक एक तिहाई से भी कम रहे। यह स्थिति उनके चिन्तन और क्रियान्वयन के अन्तर को व्यक्त करती है।

बालक-बालिका को विद्यालय में पुनः भर्ती नहीं करने का मत व्यक्त करने वाले अभिभावकों के अनुसार कारण-

साक्षात्कार के समय अभिभावकों से उनके बालक-बालिका को पुनः विद्यालय में भर्ती कराने सम्बन्धी मत ज्ञात करने के साथ इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देने वाले अभिभावकों से पुनः भर्ती नही कराने के कारणों की जानकारी की गई । इस प्रकार जो जानकारी प्राप्त हुई, इसे सारणी-47 में दिया गया है -

सारणी - 47

अभिभावकों के अनुसार बालक-बालिका को पुनः विद्यालय में प्रविष्ट न कराने के कारण

(कोटिक्रम)

पुनः प्रवेश नहीं कराने के कारण	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			सामान्य संवर्ग			समेकित			
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालिक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग का प्रतिशत	कोटिक्रम
घर का काम	3	1	2	2	1	1	2	1	1	3	1	39.96	1
खेती/व्यवसाय/मजदूरी	1	7	3	3	2	3	1	4	2	1	4	32.48	2
अर्थिक विपन्नता	2	2	1	1	3	2	3	2	3	2	2	30.69	3
बालक/बालिका का पढ़ाई में मन न लगना	4	6	4	4	10	5	4	7	4	4	7	12.95	4
विवाह हो जाना	7	3	5	8	4	6	12	3	5	10	3	9.71	5
उम्र अधिक हो जाना	6	5	6	7	5	7	6	5	6	7	6	9.40	6
पढ़ना जरूरी नहीं	10	11	10	6	7	8	5	8	7	5	8	6.81	7

घर में अन्य जिम्मेदार व्यक्ति का न होना	9	9	9	5	9	4	8	9	8	6	9	6.25	8
लड़की को पढ़ना कतई जरूरी नहीं	-	4	7	-	6	10	-	6	9	-	5	5.58	9
पढ़े लिखे बेरोजगार हैं	5	10	8	13	11	14	7	15	10	8	15	3.36	10
स्वयं की अज्ञानता	12	8	11	10	-	13	9	11	11	9	11	3.13	11
अभिभावक की बीमारी	-	12	15	11	8	9	10	16	14	11	12	2.12	12
विद्यालय का दूर होना	14	-	19	12	13	12	14	12	13	15	13	1.79	13
पिता/माता की मृत्यु	8	14	12	-	17	19	13	14	15	12	16	1.79	14
सहशिक्षा ठीक नहीं	-	13	17	-	-	-	-	10	12	-	10	1.67	15
बालक-बालिका को संकोच होना	-	16	18	-	-	-	-	13	16	-	14	1.00	16
परिवार के सभी बालकों को पढ़ाना जरूरी नहीं	11	17	13	14	16	15	15	-	19	13	22	1.00	17
बालक को मानसिक विकलांगता	17	-	21	15	-	21	11	-	17	14	-	0.78	18

भाई-बहिनों को खेलाना	13	15	14	-	-	-	-	19	24	18	17	0.67	19
बीमार रहना	-	-	-	9	19	11	21	23	25	16	24	0.67	20
शारीरिक विकलांगता	15	-	20	-	14	17	18	21	22	17	21	0.45	21
विद्यालय में स्टाफ की कमी	-	-	-	-	-	-	19	17	18	22	18	0.45	22
विद्यालय में भौतिक सुविधा का अभाव	16	18	16	-	18	20	20	-	27	19	23	0.45	23
परिवार में अधिक सदस्य होना	-	-	-	-	12	16	17	20	21	21	20	0.33	24
छात्रा विद्यालय/अध्यापिका का न होना	-	-	-	-	15	18	-	18	23	-	19	0.33	25
फेल कर देने से	-	-	-	-	-	-	16	24	20	20	26	0.33	26

1. उक्त सारणी में समेकित रूप से घर के काम को 39.96 प्रतिशत अभिभावकों ने कारण बताते हुए प्रथम कोटि दी है ।
2. खेती/व्यवसाय/मजदूरी तथा आर्थिक विपन्नता को 30 प्रतिशत से अधिक अभिभावकों ने कारण बताया तथा क्रमशः दो या तीन कोटिक्रम दिया । आर्थिक विपन्नता को स्वयं विद्यालय छोड़ चुके विद्यार्थियों और संस्थाप्रधानों ने भी विद्यालय परित्याग का प्रभावी कारण माना है ।
3. बालक-बालिका का पढ़ाई में मन न लगना, विवाह हो जाना तथा अधिक उम्र हो जाने के 9 से 13 प्रतिशत तक अभिभावकों ने कारण बताते हुए क्रमशः 4, 5 व 6 कोटियां प्रदान कीं ।
4. 2 से 7 प्रतिशत तक अभिभावकों ने पढ़ना जरूरी नहीं माना, घर में अन्य जिम्मेदार व्यक्ति का न होना, लड़की को पढ़ाने को कोई आवश्यकता न मानना, पढ़े-लिखे युवकों का बेरोजगार घूमना, स्वयं की अज्ञानता तथा अभिभावक की बीमारी को कारण बताया और क्रमशः 7 से 12 तक की कोटियां दी ।
5. 1 से 2 प्रतिशत तक अभिभावक अपने बालक-बालिका को इसलिए पुनः विद्यालय में भर्ती नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि आवास से विद्यालय दूर है, माता अथवा पिता की मृत्यु हो गई है, वे सहशिक्षा को सही नहीं मानते, स्वयं बालक अथवा बालिका की संकोच है अथवा परिवार के सभी बालकों को पढ़ाना जरूरी नहीं मानते हैं । इन कारणों को समेकित रूप से क्रमशः 13 से 17 तक की कोटियां दी गई हैं ।
6. बालक की मानसिक विकलांगता, छोटे भाई-बहनों को खेलाना, बच्चे का बीमार रहना, शारीरिक विकलांगता, विद्यालय में स्टाफ की कमी होना, विद्यालय में भौतिक सुविधाओं का अभाव होना परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होना, पृथक् बालिका विद्यालय/विद्यालय में महिला शिक्षक का न होना, फेल कर दिया जाना, बालिकाओं के लिए विद्यालय में पृथक् मूत्रालय/शौचालय की व्यवस्था न होना तथा विद्यालय समय का अनुकूल न होना - ये वे कारण हैं जिन्हें 1 प्रतिशत से भी कम अभिभावकों ने अपने बालक-बालिका को पुनः भर्ती न कराने के संदर्भ में उल्लिखित करते हुए क्रमशः 18 से 28 तक का कोटिक्रम दिया है ।

संस्था प्रधानों द्वारा प्रदत्त सुझाव-

अध्ययन में सम्मिलित किए गए विद्यालय के प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापिकाओं से प्रश्नावली के माध्यम से विद्यार्थियों का विद्यालय परित्याग रोकने हेतु सुझाव मांगे गए । प्राप्त सुझावों का संभागवार एवं समेकित विवरण सारणी-48 में दिया गया है-

सारणी - 48
विद्यालय परित्याग हेतु संस्था प्रधानों द्वारा प्रदत्त सुझाव

परित्याग निराकरण हेतु प्रदत्त सुझाव	चूरू		जयपुर		जोधपुर		कोटा		उदयपुर		समेकित			
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग का प्रतिशत	कोटि क्रम
1. निःशुल्क पुस्तकें /पोषाक/लेखन सामग्री की सुविधा दी जाय	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	84.02	1
2. आर्थिक सहायता/छात्रवृत्ति की व्यवस्था	9	8	2	2	2	2	2	3	3	2	3	4	48.67	2
3. अन्य अभिप्रेरको की व्यवस्था	3	4	4	3	3	3	3	2	5	4	4	3	47.46	3
4. खेल सामग्री उपलब्ध हो	4	6	5	4	7	12	4	4	2	3	2	5	46.97	4
5. माता-पिता के लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था	12	19	3	5	5	6	5	5	6	7	5	6	34.87	5
6. अध्यापिका/छात्रा विद्यालय की व्यवस्था	-	2	-	6	-	4	-	7	-	9	-	2	31.48	6
7. अभिभावकों में शिक्षा के प्रति रूचि पैदा की जाय	5	5	7	10	7	10	7	14	4	5	6	7	31.23	7

8. गाँव में शिक्षा का वातावरण बनाया जाय, चेतना जागृत की जाय	8	9	6	9	11	7	19	25	9	10	8	9	20.34	8
9. छात्र-अध्यापक अनुपात सही हो	10	-	12	15	8	11	6	6	14	23	7	15	16.95	9
10. व्यावसायिक शिक्षा/सिलाई/कढाई की व्यवस्था	11	14	17	18	10	9	17	28	10	11	10	12	16.71	10
11. माता-पिता को प्रोत्साहित किया जाय	21	16	27	16	6	5	9	9	13	13	16	11	15.25	11
12. उपस्थिति छात्रवृत्ति/अभिप्रेरण दिया जाय	2	24	8	8	14	14	-	-	-	35	9	10	15.25	12
13. अभिभावकों से सम्पर्क	20	20	10	11	-	-	8	10	7	15	12	13	15.01	13
14. विद्यालय भवन पर्याप्त हो	26	29	9	12	17	16	10	20	8	16	11	16	14.29	14
15. निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो	15	18	21	19	15	17	12	12	11	14	15	14	13.07	15
16. सामाजिक कुरीतियों को दूर करें/बाल विवाह रोका जाय/पर्दा प्रथा दूर की जाय	19	7	-	7	19	-	-	26	18	8	26	18	12.35	16
17. छोटे भाई-बहिन हेतु आँगनवाड़ी/पालनागृह की व्यवस्था	13	13	-	13	9	8	-	23	12	19	17	17	11.86	17
18. विद्यालय का वातावरण आकर्षक हो	24	15	14	21	18	20	13	21	15	20	14	19	11.86	18
19. स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार राष्ट्रीय मुद्दा बने	-	3	-	33	-	13	-	13	-	6	-	8	11.38	19

20. मनोरंजन के साधन/टी.वी. आदि की व्यवस्था	6	10	13	20	31	18	21	31	21	22	13	24	11.14	20
21. विद्यालय में भौतिक संसाधन उपलब्ध हो	16	23	18	22	28	15	11	22	33	36	18	21	9.93	21
22. बाल मजदूरी पर रोक लगाई जाय	17	17	19	23	16	-	-	-	16	17	21	25	7.75	22
23. परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार मिल जाय	14	12	22	39	22	24	22	17	29	32	22	28	7.51	23
24. विद्यालय समय स्थानीय आवश्यकतानुसार अवकाश भी	29	31	32	27	12	19	20	15	17	27	23	29	7.26	24
25. पाठ्यक्रम को जीवनोपयोगी बनाया जाय	22	21	11	26	-	-	24	32	23	18	24	27	7.26	25
26. विद्यालय में शौचालय व मुत्रालय हो	34	-	29	29	23	22	-	8	19	21	29	23	7.02	26
27. लड़का/लड़की समानता का प्रचार किया जाय	31	32	23	-	13	23	16	16	22	28	20	31	7.02	27
28. ईधन व चारे की व्यवस्था का समाधान हो	18	11	20	14	21	-	-	-	34	38	25	26	6.78	28
29. बालकों में पढ़ाई के प्रति रूचि बढ़ाई जाय	23	22	16	24	-	-	-	33	24	24	27	32	5.81	29
30. शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू किया जाय	7	33	28	28	20	-	-	-	28	31	19	38	5.57	30
31. अध्यापकों का स्नेहपूर्ण व्यवहार हो	25	27	15	17	-	-	15	19	-	-	30	30	5.57	31
32. बालिका को विशेष छात्रवृत्ति दी जाय	-	26	-	25	-	21	-	18	-	12	-	20	5.08	32

33. शैक्षिक व व्यवसायिक निर्देशन की व्यवस्था हो	33	35	25	30	24	25	18	29	25	25	28	35	5.08	33
34. नाटक/फिल्म शो से वातावरण बनाया	28	30	-	32	-	-	-	11	-	29	31	22	4.60	34
35. शिक्षको को सेवारत प्रशिक्षण दिया जाय	-	-	-	-	30	27	14	30	26	26	33	36	3.39	35
36. विद्यालय की दूरी कम हो	35	28	30	31	25	26	23	24	20	35	32	34	2.91	36
37. विद्यालय सही समय पर खुले एवं बन्द हो	36	36	-	38	-	32	28	-	30	34	36	39	2.42	37
38. विद्यालय में अनुशासन ठीक हो	37	37	31	34	26	31	25	-	-	-	37	40	2.18	38
39. शिक्षकों को शिक्षण के अलावा अन्य कार्य नहीं दिया जाय	-	-	24	-	33	30	26	34	32	37	34	33	2.18	39
40. शिक्षा को पंचायतराज से मुक्त करादे	27	38	26	37	-	-	27	27	-	-	35	41	1.94	40
41. गृहकार्य न दिया जाय	-	25	-	35	-	29	-	-	-	-	-	37	1.45	41
42. विद्यार्थियों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता दी जाय	32	34	-	36	32	29	-	-	-	-	41	42	1.21	42
43. छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था हो	30	-	-	-	-	-	-	-	27	30	40	44	1.21	43
44. बाल केन्द्र/मनोविज्ञान सम्मत शिक्षा दी जाय	-	-	-	-	27	-	-	-	35	39	38	45	.97	44
45. उपस्थिति की अनिवार्यता खत्म हो	-	-	-	-	29	-	-	-	31	40	39	43	.97	45

इस सारणी से ज्ञात होता है कि :

1. सभी संभागों के और राज्य स्तर पर 84.02 प्रतिशत संस्था प्रधानों में विद्यालय परित्याग की समस्या के निराकरण हेतु उत्प्रेरकों (निःशुल्क पुस्तकों, पोशाकों व लेखन सामग्री) की व्यवस्था को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मानते हुए इसे प्रथम कोटि प्रदान की है ।
2. समकित रूप से 48.67 प्रतिशत संस्था प्रधानों ने आर्थिक सहायता/छात्रवृत्ति की व्यवस्था का सुझाव देते हुए इसे दूसरा स्थान दिया है ।
3. अन्य उत्प्रेरकों की व्यवस्था को 47.46 प्रतिशत संस्था प्रधानों में सुझाते हुए तीसरी कोटि प्रदान की है ।

   उक्त तीनों सुझाव पूर्वोक्त परित्याग कारणों में से सर्वाधिक प्रभावी कारण 'आर्थिक विपन्नता' से सम्बन्धित हैं तथा निर्धन अभिभावकों के बालक-बालिकाओं के संदर्भ में इनका अपना महत्त्व है ।
4. खेल सामग्री की उपलब्धता, माता-पिता के लिए प्रौढ शिक्षा की व्यवस्था, बालक विद्यालयों में महिला शिक्षक की नियुक्ति या पृथक बालिका विद्यालय की व्यवस्था तथा अभिभावकों में शिक्षा के प्रति रूचि जागृत करने को 25 प्रतिशत से अधिक संस्था प्रधानों ने सुझाया तथा इन्हें क्रमशः 4 से 7 तक का कोटिक्रम मिला ।
5. 15 से 25 प्रतिशत संस्था प्रधानों के अनुसार गांव में शिक्षा का वातावरण बनाना, उचित छात्र-शिक्षक अनुपात, व्यावसायिक शिक्षा (सिलाई-कढ़ाई आदि), माता-पिता को प्रोत्साहन, उपस्थिति छात्रवृत्ति की समुचित व्यवस्था तथा अभिभावकों से संम्पर्क किया जाना चाहिए । इन सुझावों की क्रमशः 8 से 13 कोटिक्रम मिला है ।
6. पर्याप्त विद्यालय भवन की व्यवस्था, निःशुल्क शिक्षा (निजी विद्यालयों के संदर्भ में) व्यवस्था, सामाजिक करीतियों को दूर करना (बाल विवाह रोकना), भाई/बहन के लिए आंगनवाड़ी/पालना गृह की व्यवस्था, आकर्षक विद्यालयी वातावरण, स्त्री शिक्षा के प्रचार की राष्ट्रीय मुद्दा बनाना तथा विद्यालय में मनोरंजन के साधनों (विशेषतः दूरदर्शन) की व्यवस्था की 10 से 15 प्रतिशत तक संस्था प्रधानों ने सुझाया तथा 14 से 20 तक का कोटिक्रम दिया ।
7. 10 प्रतिशत से कम संस्था प्रधानों द्वारा प्रदत्त इन सुझावों को क्रमशः 21 से 45 तक की कोटर्या प्राप्त हुई हैं - विद्यालय में भौतिक संसाधन उपलब्ध कराना, बाल मजदूरी पर रोक लगाना, परिवार में कम से

कम एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाना, स्थानीय आवश्यकतानुसार विद्यालय समय/अवकाश की व्यवस्था करना, पाठ्यक्रम की जीवनोपयोगी बनाना, विद्यालय में शौचालय व मूत्रालय की व्यवस्था करना, लड़के व लड़की की समानता का प्रचार करना, ईंधन व चारे की व्यवस्था करना (राममूर्ति समिति ने भी इस ओर ध्यान इंगित किया है), बालक-बालिकाओं में पढ़ाई के प्रति रूचि बढ़ाना, शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू करना, अध्यापकों का व्यवहार स्नेहपूर्ण हो, बालिकाओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति का प्रावधान हो, शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन की व्यवस्था हो, नाटक/फिल्म शो से शिक्षा के प्रति वातावरण बनाना, शिक्षकों के लिए सेवारत प्रशिक्षणों की व्यवस्था करना, विद्यालय की दूरी कम की जाय (नये विद्यालय खोल कर दूरी कम की करना) विद्यालयों को सही समय पर खोलने व बंद करने को समुचित व्यवस्था करना, विद्यालय में अनुशासन की स्थिति सुधारना, शिक्षकों को शिक्षणेत्तर कार्यों में न लगाना, शिक्षा को पंचायत राज से मुक्त करना, विद्यार्थियों की गृह कार्य न देना, विद्यार्थियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराना, बाल केन्द्रित/ मनोविज्ञान सम्मत शिक्षा की व्यवस्था करना तथा उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त करना ।

संक्षेपतः इस अध्याय से स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों के विद्यालय परित्याग के पीछे परिवार संबंधी कारण प्रमुखतः उत्तरदायी हैं उनसे कम क्रमशः विद्यालय संबंधी, व्यक्तिगत व अन्य कारणों का स्थान है ।. परिवार संबंधी कारणों में बालकों के संदर्भ में अर्थिक विपन्नता तथा बालिकाओं के संदर्भ में घर के कामों में व्यस्तता, प्रथम कोटि के कारण हैं । दूसरी कोटि में बालकों की जहाँ किसी व्यवसाय अथवा मजदूरी में लगना पड़ता है वहाँ बालिकाओं के माता-पिता उन्हें पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं । विद्यालय संबंधी कारणों में आवास से विद्यालय की दूरी को प्रथम काटि मिली है दूसरी कोटि में बालकों के संदर्भ में विद्यालय में साधन-सुविधा का अभाव तथा बालिकाओं के संदर्भ में विद्यालय में महिला शिक्षक का न होना कारण बताया गया है । व्यक्तिगत कारणों में पढ़ने में रूचि के अभाव तथा अस्वस्थता को क्रमशः प्रथम और द्वितीय कोटि प्राप्त हुई है । अन्य कारणों में बालकों के लिए शैक्षिक चेतना की कमी तथा बालिकाओं के लिए सामाजिक वातावरण में कभी को प्रथम कोटि का कारण बताया गया है ।

संस्था प्रधानों ने बालकों व समेकित रूप से आर्थिक विपन्नता तथा बालिकाओं के संदर्भ में माता-पिता की निरक्षरता, घर का काम,

विवाह हो जाना आदि कारणों को अग्रणी स्थान दिया है ।

ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्र के विद्यार्थी तथा बालकों की अपेक्षा बालिकाएँ अधिक संख्या में पुनः प्रवेश की इच्छा रखती हैं । पुनः प्रवेश के लिए सुविधा के रूप में उत्प्रेरकों (निःशुल्क पुस्तकें, पोशाक, आर्थिक सहायतादि) को महत्त्वपूर्ण माना गया है । अभिभावक अधिक संख्या में बालक-बालिकाओं के भावी जीवन के लिए शिक्षा की आवश्यकता तो स्वीकारते हैं पर अपने विद्यालय छोड़ चुके बालक-बालिकाओं को पुनः भर्ती कराने में इतनी रूचि नहीं रखते ।

संस्था प्रधानों ने भी विद्यालय के परित्याग की समस्या के निराकरण के लिए उत्प्ररकों व अर्थिक सहायता की प्रमुखता प्रदान की है ।

यहां यह पुनः स्पष्ट कर देना उपयुक्त होगा कि इस प्रतिवेदन के पूर्ववर्ती अध्याय में यद्यपि उत्प्रेरकों की उपलब्धता एवं विद्यालय परित्याग के बीच सम्बन्ध न होना विदित हुआ है परन्तु, विद्यार्थियों के विद्यालय परित्याग को रोकने की दृष्टि से उत्प्रेरकों के महत्व को स्वयं परित्याग कर चुके विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों तथा संस्था प्रधानों ने प्रमुखता के साथ स्वीकार किया है । अतएव उस संदर्भ में उत्प्रेरकों की संख्या वृद्धि तथा उनके यथा समय सुवितरण की व्यवस्था संबंधी आवश्यकता स्पष्टतः उभरती है ।

* * *

अध्याय - 6

सार-संक्षेप और निष्कर्ष

शिक्षा के सार्वजनीनीकरण की दृष्टि से राजस्थान में सार्वजनीन नामांकन की समस्या तो है ही, विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय परित्याग की समस्या भी जटिल है । विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय परित्याग की इस जटिल समस्या का अध्ययन करने हेतु प्रस्तुत शोध कार्य सम्पादित किया गया है ।

अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य राज्य में प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के विद्यालय परित्याग को वस्तुीस्थति और उसके कारण ज्ञात करना था ।

अध्ययन को राजकीय व निजी, शहरी व ग्रामीण, बालक व बालिका प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अविभक्त इकाई (कक्षा-1) से कक्षा 5 तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की सत्र 1985-86 से सत्र 1989-90 तक की पाँच वर्षो की स्थिति तक सीमित रखा गया ।

न्यादर्श में 1985-86 में विद्यमान् 35,571 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से चक्रात्मक व्यवस्था न्यादर्श निर्धारण विधि प्रयुक्त करते हुए 413 विद्यालयों का चयन किया गया । इन 413 विद्यालयों में से 316 प्राथमिक, 97 उच्च प्राथमिक; 390 राजकीय, 23 निजी; 343 ग्रामीण क्षेत्र के 70 शहरी क्षेत्र के तथा 382 बालकों के व 31 बालिकाओं के थे । संभाग की दृष्टि से चूरू संभाग के 70, जयपुर संभाग के 105, जोधपुर संभाग के 80, कोटा संभाग के 62 तथा उदयपुर संभाग के 96 विद्यालय थे ।

इन 413 विद्यालयों में सत्र 1985-86 में प्रथम बार कक्षा -। (अविभक्त इकाई) में प्रविष्ट सभी 13,979 विद्यार्थियों (9691 छात्र एवं 4288 छात्राओं) को दत्त संकलन का आधार बनाया गया ।

साक्षात्कार हेतु विद्यालय छोड़ चुके 1388 विद्यार्थियों (808 बालक व 580 बालिकाएँ) तथा उनके 1368 अभिभावकों को सम्मिलित किया गया।

दत्त संकलन के लिए निम्नांकित स्वनिर्मित उपकरण प्रयुक्त किए गए- उपकरण-1 'विद्यार्थी सूचना प्रपत्र', उपकरण-2 संस्था प्रधानों के लिए 'प्रश्नावली', उपरकरण -3 विद्यालयं छोड़ चुके विद्यार्थियों के लिए 'साक्षात्कार अनुसूची" तथा उपकरण-4 अभिभावकों के लिए 'साक्षात्कार अनुसूची' ।

(1) स्थितिपरक निष्कर्ष

विद्यालय परित्याग की वस्तुस्थिति

1. राज्य में विद्यार्थियों (बालक + बालिका) के विद्यालय परित्याग की समेकित दर 44.66 प्रतिशत है । बालकों (40.66%) की तुलना में बालिकाओं (53.67%) की परित्याग दर अधिक है ।

2. सर्वाधिक परित्याग कोटा संभाग (53.11%) में तथा न्यूनतम परित्याग चूरू संभाग (39.60%) में है । केवल बालकों व केवल बालिकाओं के प्रसंग में भी सर्वाधिक व न्यूनतम परित्याग वाले संभाग ये ही है ।
3. बालकों के सन्दर्भ में जयपुर, उदयपुर व कोटा संभाग ऐसे हैं जिनमें परित्याग दर राज्य स्तर पर बालकों की औसत परित्याग दर से अधिक है । इसी प्रकार केवल बालिकाओं के प्रसंग में राज्य स्तर पर बालिकाओं की औसत परित्याग दर से जोधपुर, उदयपुर व कोटा संभाग में परित्याग दर अधिक है ।
4. ग्रामीण क्षेत्र (42.95%) की अपेक्षा शहरी क्षेत्र (50.39%) में परित्याग अधिक होता है । केवल बालकों के सन्दर्भ में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में परित्याग दरों का अन्तर .01 स्तर पर सार्थक है, जबकि केवल बालिकाओं के सन्दर्भ में दोनों क्षेत्रों के बीच परित्याग दरों का अन्तर सार्थक नहीं है ।
5. कोटा संभाग को छोड़कर शेष चारों संभागों में ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में परित्याग दर अधिक है ।
6. राज्य स्तर पर निजी विद्यालयों (36.65%) की अपेक्षा राजकीय विद्यालयों (45.36%) में विद्यालय परित्याग अधिक होता है दोनों प्रकार के प्रबन्धों वाले विद्यालयों की परित्याग दर का अन्तर .01 स्तर पर सार्थक है ।
7. राज्य स्तर की उक्त प्रवृत्ति जोधपुर संभाग में उलट गई है । वहाँ निजी विद्यालयों (58.38%) में राजकीय विद्यालयों (43.14%) की तुलना में परित्याग दर अधिक है ।
8. राजकीय विद्यालयों में कोटा संभाग (54.70%) में तथा निजी विद्यालयों में जोधपुर संभाग (58.38%) में परित्याग दर सर्वाधिक है ।
9. समग्रतः प्राथमिक विद्यालयों (45.14%) की अपेक्षा उच्च प्राथमिक विद्यालयों (43.47%) में परित्याग दर यद्यपि कम है परन्तु दोनों के बीच का अन्तर सार्थक नहीं है । केवल बालकों के प्रसंग में भी दोनों प्रकार के विद्यालयों के बीच अन्तर सार्थक नहीं है, परन्तु केवल बालिकाओं के प्रसंग में यह अन्तर .01 स्तर पर सार्थक है ।
10. जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में राज्य स्तरीय प्रवृत्ति के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों की अपेक्षा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में परित्याग कम होता है, परन्तु चूरू और जोधपुर संभाग इसके अपवाद हैं ।
11. राज्य स्तर पर बालक विद्यालयों (43.96%) की अपेक्षा बालिका

विद्यालयों (52.24%) में परित्याग की दर अधिक है । दोनों के बीच का अंतर .01 स्तर पर सार्थक है ।

12. बालक विद्यालयों (40.09%) की अपेक्षा बालिका विद्यालयों (55.74%) में पढ़ रहे बालकों का परित्याग अधिक होता है । दोनों के बीच का अन्तर भी .01 स्तर पर सार्थक है, परन्तु बालिकाओं के सन्दर्भ में बालिका विद्यालयों (50.73%) की अपेक्षा बालक विद्यालयों (54.36%) में परित्याग अधिक होता है, लेकिन दोनों के बीच का अन्तर सांख्यिकी दृष्टि से सार्थक नहीं है ।
13. बालक विद्यालयों की अपेक्षा बालिका विद्यालयों में अधिक परित्याग की राज्य स्तरीय प्रवृति का उदयपुर संभाग अपवाद है, जहाँ बालिका विद्यालयों (43.34%) की तुलना में बालकों के विद्यालयों (46.47%) में परित्याग दर अधिक है ।
14. राज्य में विद्यालय परित्याग की न्यूनतम दर सीकर जिले (24.95%) में तथा अधिकतम दर झालावाड़ जिले (76.38%) में रही । केवल बालकों के सन्दर्भ में भी न्यूनतम अधिकतम दर वाले जिले ये ही हैं, परन्तु केवल बालिकाओं के प्रसंग में परित्याग की न्यूनतम दर सिरोही जिले (34.48%) तथा अधिकतम दर झालावाड़ जिले (89.84%) में रही ।
15. राज्य स्तरीय मानक परित्याग दर 44.66 प्रतिशत से सीकर, नागौर, सिरोही, अजमेर, झुंझूनू, चूरू, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, जैसलमेर, बाँसवाडा, डूँगरपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, अलवर और पाली इन 15 जिलों में परित्याग दर कम तथा झालावाड़, टोंक, जोधपुर, बूँदी, गंगानगर, जालोर, बीकानेर, धौलपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर और बाड़मेर इन 12 जिलों में परित्याग दर अधिक है ।
16. समेकित रूप से अनुसूचित जनजाति के बालकों, बालिकाओं तथा दोनों को मिला कर संयुक्त रूप से विद्यालय परित्याग दर अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग से अधिक है । ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र की केवल बालिकाओं के प्रसंग में भी यही प्रवृति विद्यमान है, परन्तु शहरी क्षेत्र के बालकों तथा संयुक्त (बालक + बालिकाओं) स्थिति में अधिकतम परित्याग अनुसूचित जाति संवर्ग में होता है ।
17. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के केवल बालकों के अतिरिक्त दोनों संवर्गों की केवल बालिकाओं और संयुक्त सन्दर्भ में परित्याग दर का अन्तर .01 स्तर पर सार्थक है । अनुसूचित जाति तथा सामान्य संवर्ग और अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य संवर्ग की परित्याग

दर का अन्तर भी तीनों स्थितियों (बालक, बालिका और संयुक्त) में .01 स्तर पर सार्थक पाया गया ।

18. मजदूरी करने वाले अभिभावकों के बच्चों (बालक +बालिकाओं) में सर्वाधिक (53.17%) तथा व्यापार / गैर कृषि स्वरोजगार (40.04%) व नौकरी करने वाले (40.22%) अभिभावकों के बच्चों में तुलनात्मक दृष्टि से तीन-चौथाई से भी कम परित्याग होता है ।
19. ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अभिभावकों के व्यवसाय (कृषि, मजदूरी, नौकरी व व्यापार) के अनुसार बालकों-बालिकाओं और संयुक्त रूप से परित्याग दरों का सम्बन्ध .01 स्तर पर सार्थक है ।
20. जैसे-जैसे बालक-बालिकाओं की विद्यालय में प्रविष्ट होने की आयु बढ़ती है, वैसे-वैसे विद्यालय परित्याग दर में भी वृद्धि होती है । यह परित्याग दर 10 से 12 वर्ष की उम्र में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के सन्दर्भ में बहुत अधिक है, जबकि 4 से 6 वर्ष की उम्र में प्रवेश लेने वाले बालक-बालिकाओं के सन्दर्भ में न्यून है ।
21. विद्यार्थी के आवास से विद्यालय की दूरी का विद्यालय परित्याग दर पर उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ता है ।
22. विद्यार्थियों का सर्वाधिक परित्याग सत्र की पहली त्रैमासिकी (जुलाई से सितम्बर) में होता है ।
23. विकलांग विद्यार्थियों में परित्याग (37.34%) सामान्य (गैर विकलांग) विद्यार्थियों (44.69%) की तुलना में कम होता है ।
24. कुल परित्याग का 75 प्रतिशत परित्याग कक्षा 1 व 2 के स्तर पर होता है । कक्षा 1 से 3 तक कुल परित्याग का लगभग 90 प्रतिशत परित्याग हो जाता है, जबकि कक्षा 4 व 5 में यह नगण्यप्राय रह जाता है । ग्रामीण-शहरी, राजकीय-निजी, प्राथमिक-उच्च-प्राथमिक और बालकों के व बालिकाओं के विद्यालयों में लगभग यही स्थिति दिखाई देती है ।

(2) कारणपरक निष्कर्ष

(क) आधारभूत सुविधाएँ और विद्यालय परित्याग

1. शिक्षक-छात्र अनुपात और परित्याग दर का प्राप्त काईवर्ग मान (17.41) 6 df पर तालिकामान 12.59 से अधिक होने से दोनों के बीच सम्बन्ध नहीं होने सम्बन्धी नकारात्मक प्राक्कल्पना अस्वीकृत होती है तथा निष्कर्ष यह निकलता है कि इन दोनों चरों के बीच सम्बन्ध है ।
2. विद्यालय भवन संस्थिति, श्यामपट्ट व्यवस्था, दरी पट्टियों/बिछात व्यवस्था, शिक्षणोपकरण खेल व्यवस्था व जल व्यवस्था तथा विद्यालय परित्याग

दर के बीच प्राप्त काईवर्ग मान सम्बन्धित तालिका मान से कम रहा अतः इनसे सम्बद्ध नकारात्मक प्राककल्पनाएँ स्वीकृत हुई और यह निष्कर्ष निकला कि उक्त चरों (विद्यालय भवन और परित्याग दर, श्यामपट्ट व्यवस्था और परित्याग दर, दरी पट्टियाँ/बिछात व्यवस्था और परित्याग दर, शिक्षणोपकरण-खेल व्यवस्था और परित्याग दर तथा जल व्यवस्था और परित्याग दर) के मध्य सम्बन्ध नहीं है ।

3. पोषाहार, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, निःशुल्क लेखन सामग्री निःशुल्क पोशलाक व उपस्थिति छात्रवृत्ति उत्प्रेरकों और विद्यालय परित्याग दर के बीच प्राप्त काईवर्ग मान के तालिका मान से कम होने से यद्यपि सम्बन्धित नकारात्मक प्राक्कल्पनाएँ स्वीकृत होती है तथा यह निष्कर्ष निकलता है कि उक्त चरों के बीच सार्थक सम्बन्ध नहीं है तथापि विद्यार्थियों के विद्यालय में बनाए रखने की दृष्टि से इनका अपना महत्व है ।

(ख) अपक्षरित विद्यार्थियों के अनुसार विद्यालय परित्याग के कारण

विद्यालय छोड़ चुके 1388 विद्यार्थियों के साक्षात्कार के आधार परः

1. विद्यालय परित्याग के लिए 53.08 प्रतिशत के अनुसार परिवार सम्बन्धी, 39.55 प्रतिशत के अनुसार विद्यालय सम्बन्धी, 30.18 प्रतिशत के अनुसार व्यक्तिगत तथा 5.76 प्रतिशत के अनुसार अन्य कारण उत्तरदायी रहे हैं ।
2. परिवार से सम्बन्धित कारणों में आर्थिक विपन्नता, घर के काम में व्यस्त रहना, व्यवसाय में लग जाना, माता-पिता द्वारा पढ़ाना न चाहना, पशु चराना, माता-पिता की निरक्षरता, परिवार द्वारा स्थान परिवर्तन कर देना, पिता का देहान्त, माता-पिता की बीमारी, घरेलू परिस्थितियों को क्रमशः एक से दस तक का कोटिक्रम मिला है ।
3. परिवार सम्बन्धी अन्य कारणों में छोटे भाई-बहिनों को रखना, माता का देहान्त, बड़ा परिवार, पिता का शराबी होना तथा पिता का मजदूरी के लिए बाहर चले जाना है ।
4. बालिकाओं के सन्दर्भ में घर के काम में व्यस्तता तथा माता-पिता द्वारा पढ़ाना न चाहना को प्रथम और द्वितीय कोटि प्राप्त हुई है ।
5. विद्यालय सम्बन्धी कारणों में आवास से विद्यालय की दूरी, विद्यालय में सभी प्रकार की सुविधाओं का अभाव, शिक्षकों की कमी, विद्यालय में महिला शिक्षक का न होना, शिक्षकों की शिक्षण कार्य में रूचि का अभाव, पाठ्य पुस्तकों की अनुपलब्धता, बैठक व्यवस्था का अभाव, विद्यालय भवन की अपर्याप्तता, पढ़ाई पर अधिक व्यय तथा सहशिक्षा को एक से दस तक की कोटियाँ दी गई हैं ।

6. विद्यालय सम्बन्धी अन्य कारण हैं – खेल उपकरणों का अभाव, गणवेश की अनिवार्यता, उत्प्रेरकों का अभाव, पेयजल का अभाव, छात्रवृत्ति का न मिलना, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था न होना, विद्यालय में मूत्रालय-शौचालय की व्यवस्था न होना, अधिक छात्र संख्या, विद्यालय में शिक्षकों का कभी कभी आना, अध्यापक/अध्यापिका द्वारा पिटाई, अनुत्तीर्ण हो जाना, मातृभाषा में पढ़ाई की व्यवस्था न होना, छात्रावास सुविधा का न होना, छुआछूत तथा अनुपयुक्त विद्यालय समय ।
7. व्यक्तिगत कारणों में पढ़ाई में रूचि का अभाव, अस्वस्थता, पढ़ाई में कमजोर होना, डर/हीनभावना, मन्दबुद्धि होना, विवाह हो जाना, पढ़ाई के बाद रोजगार की अनिश्चितता, विकलांगता, उम्र अधिक हो जाना, अध्ययन में किसी का सहयोग न मिलना व नशाखोरी/चोरी की आदत की क्रमशः एक से ग्यारह तक का कोटिक्रम मिला ।
8. विद्यालय परित्याग के ''अन्य कारणों'' में शैक्षिक चेतना का अभाव, सामाजिक वातावरण का अनुकूल न होना, साथी/भाई द्वारा पढ़ाई छोड़ देना, चिकित्सा सुविधा का अभाव, रूढिवादिता, धार्मिक शिक्षा लेना, आरक्षण का प्रावधान होना, पढ़ी-लिखी लड़की के लिए वर ढूँढ़ने की कठिनाई, बालक व बालिका के बीच व्यहार में भेदभाव को क्रमशः एक से नौ तक का कोटिक्रम दिया गया ।

(ग) संस्था प्रधानों के अनुसार विद्यालय परित्याग के कारण

1. आर्थिक विपन्नता, माता-पिता की निरक्षरता, घर का काम, खेती/व्यवसाय/मजदूरी, विवाह हो जाना, छोटे भाई-बहिनों की देखभाल, सामाजिक रूढ़िवादिता, उत्प्रेरकों की व्यवस्था का अभाव, विद्यार्थी का पढ़ाई में मन न लगना तथा रोजगार में लग जाना को संस्था प्रधानों द्वारा क्रमशः एक से दस तक का कोटिक्रम दिया गया ।
2. संस्था प्रधानों के अनुसार विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय परित्याग के अन्य कारण हैं – विद्यालय की दूरी, पढ़ाई के बाद भविष्य की अनिश्चितता, विद्यालय में भौतिक साधन-सुविधा का अभाव, बालिका विद्यालय/महिला अध्यापक का न होना, भगोड़ापन/पलायन, सहशिक्षा, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, विद्यालय भवन की कमी, निरन्तर अनुपस्थिति, घर पर किसी जिम्मेदार व्यक्ति का न होना, स्टाफ की कमी, सामाजिक वातावरण अनुकूल न होना, अनुपयुक्त विद्यालय समय, अभिभावकों की उदासीनता, बालकों की मानसिक विकलांगता, भाग्यवादिता, पेयजल की कमी, शारीरिक विकलांगता, मूत्रालय-शौचालय की पृथक् व्यवस्था का अभाव, पर्दाप्रथा, संकोचशीलता, माता-पिता द्वारा सभी बालकों को न पढ़ाना, माता-पिता की बीमारी तथा परिवार में सदस्यों की अधिकता ।

3) अन्य बिन्दु

1. विद्यालय परित्याग कर चुके बालकों (24.30%) की अपेक्षा बालिकाएँ (25.25%) अधिक संख्या में पुनः प्रवेश की इच्छा रखती हैं ।
2. ग्रामीण क्षेत्र (24.40%) की अपेक्षा शहरी क्षेत्र (27.78%) के विद्यालय छोड़ चुके विद्यार्थी अधिक संख्या में पुनः प्रवेश लेना चाहते हैं ।
3. पुनः प्रवेश की इच्छा दर्शाने वाले सर्वाधिक बालक अनुसूचित जनजाति (25.23%) तथा सर्वाधिक बालिकाएं सामान्य संवर्ग (28.44%) की हैं ।
4. पुनः प्रवेश की इच्छा दर्शाने वाले पढ़ाई छोड़ चुके विद्यार्थियों द्वारा चाही गई सुविधाओं का कोटिक्रम क्रमशः निःशुल्क पुस्तकें, निःशुल्क पोशाक, आर्थिक सहायता, अध्ययन में सहयोग, निःशुल्क लेखन सामग्री माता-पिता की सहमति, सुविधाजनक विद्यालय समय, पृथक बालिका विद्यालय की व्यवस्था, विद्यालय की समीपता, महिला अध्यापक की नियुक्ति, गृहकार्य से छूट, उपयोगी काम सिखाना, विद्यालय में सुचारू शिक्षण व्यवस्था, पशु चराने की व्यवस्था, छात्रावास की सुविधा, शारीरिक दण्ड न देना तथा अभिभावक के रूप में किसी का आश्रय मिलना रहा हैं ।
5. समेकित रूप से लगभग दो तिहाई (65.30%) अभिभावक अपने बालक बालिका के भावी जीवन के लिए शिक्षा को आवश्यक मानते हैं, जबकि 18.45 प्रतिशत अभिभावक इसे आवश्यक नहीं मानते हैं । 16.25 प्रतिशत अभिभावक इस सम्बन्ध में कोई मत व्यक्त नहीं कर पाए ।
6. समेकित रूप से 28.84 प्रतिशत अभिभावकों (31.12% बालकों के तथा 25.66% बालिकाओं के) ने अपने बच्चों को विद्यालय में पुनः प्रविष्ट कराने की इच्छा व्यक्त की । जाति संवर्गानुसार अनुसूचित जाति के 29.52 प्रतिशत, अनुसूचित जन जाति के 26.79 प्रतिशत तथा सामान्य संवर्ग के 29.14 प्रतिशत अभिभावक अपने बच्चों को पुनः विद्यालय में प्रविष्ट कराना चाहते हैं ।

4) विद्यालय परित्याग सम्बन्धी समस्या के निराकरण हेतु सुझाव

1. संस्था प्रधानों द्वारा प्रदत्त विद्यालय परित्याग की समस्या के निराकरण हेतु प्रारम्भिक दस कोटि के सुझाव हैं- निःशुल्क पुस्तकें, पोशाक, लेखन सामग्री की सुविधा देना; अर्थिक सहायता/छात्रवृति की व्यवस्था; अन्य उत्प्रेरकों की व्यवस्था; माता-पिता की शिक्षा व्यवस्था; अध्यापिका/छात्रा विद्यालय की व्यवस्था; अभिभावकों में शिक्षा के प्रति रूचि जागृत करना; गाँवों में शिक्षा का वातावरण बनाना, उपयुक्त अध्यापक छात्र अनुपात की व्यवस्था का प्रावधान तथा व्यावसायिक शिक्षा (सिलाई-कढ़ाई) की व्यवस्था करना ।

2. संस्था प्रधानों द्वारा प्रदत्त अन्य सुझाव हैं - माता-पिता को प्रोत्साहित किया जाय, अधिक संख्या में उपस्थिति छात्रवृति की व्यवस्था की जाय, अभिभावकों से सम्पर्क किया जाय, पर्याप्त विद्यालय भवन की व्यवस्था हो, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था हो, सामाजिक कुरीतियों को दूर किया जाय (बाल विवाह पर सख्ती से प्रतिबन्ध लगे), छोटे भाई-बहिनों को रखने हेतु आँगनवाड़ी/पालनागृह की व्यवस्था हो, स्त्री शिक्षा के प्रचार-प्रसार को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाय, विद्यालयों में मनोरंजन के साधनों (टी.वी. आदि) की व्यवस्था की जाय, विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था की जाय, बाल मजदूरी पर रोक लगाई जाय, प्रत्येक परिवार में कम-से-कम एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराया जाय, विद्यालय समय तथा अवकाश स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार किए जाएँ, पाठ्यक्रम को जीवनोपयोगी बनाया जाय, विद्यालय में शौचालय व मूत्रालय की समुचित व्यवस्था हो, लड़के व लड़की की समानता का व्यापक प्रचार किया जाय, ईधन व चारे की व्यवस्था की जाय, बालकों में पढ़ाई के प्रति रूचि बढ़ाई जाय, शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू किया जाय, अध्यापकों का विद्यार्थियों के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार हो, बालिकाओं को विशेष छात्रवृति दी जाय शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन की व्यवस्था हो, नाटक/फिल्म शो आदि से शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाय, शिक्षकों के लिए सेवारत प्रशिक्षण की अधिक व्यवस्था की जाय, विद्यालय की दूरी कम हो, विद्यालय सही समय पर खुले तथा सही समय पर ही बन्द हों, विद्यालयों में अनुशासन सुधारा जाय, शिक्षकों को शिक्षण के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नही दिए जाएँ, शिक्षा को पचायती राज से मुक्त कराया जाय, गृहकार्य न दिया जाय, विद्यार्थियों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता दी जाय, छात्राओं के लिए आवासीय व्यवस्था हो, बाल केन्द्रित मनोविज्ञान सम्मत शिक्षा दी जाय तथा उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त की जाय ।

उक्त सुझावों के क्रियान्वयन के साथ-साथ विभागीय स्तर पर विद्यालयों के सामयिक, समुचित परिवीक्षण, अधिकारियों की संख्या वृद्धि तथा परिवीक्षण मानदण्ड का पुननिर्धारण उपादेय हो सकता है । विद्यालयों में पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों से सम्बन्धित विद्यार्थीवार विस्तृत अभिलेख का प्रावधान भी किया जाना चाहिए । इस सम्बधी स्थिति के मासिक प्रबोधन की व्यवस्था जैसे प्रयत्नों से विद्यार्थियों के विद्यालय परित्याग की समस्या से काफी हद तक निबटा जा सकता है ।

* * *

विद्यालय परित्याग से सम्बन्धित पूर्व में सम्पादित अध्ययन

सन्	शोध शीर्षक	राज्य	अपव्यय दर
1955	इन्वेस्टीगेशन इन टू वेस्टेज एण्ड स्टेगनेशन इन प्राइमरी एजूकेशन इन सतारा डिस्ट्रिक्ट	महाराष्ट्र	तीसरी कक्षा तक 36.12 प्रतिशत
1956	द इन्सिडेन्स ऑफ ड्रोप आउट्स इन प्राइमरी स्कूल इन वर्ली फॉर सिक्स मन्थ्स बिट्विन सेप्टेम्बर 1955 एण्ड फेब्रुअरी, 1956 एण्ड द फेक्टर्स रेस्पोन्सिबल फॉर द सेम	महाराष्ट्र	छः माह में 16.08 प्रतिशत बालिकाओं में 19.40 प्रतिशत तथा दोनों में मिला कर 16.50 प्रतिशत
1957	ए स्टडी ऑफ एक्सटेंट एण्ड कॉलेज ऑफ नोन अटेन्डेन्स ऑफ कम्पलसरी एज चिल्ड्रन इन टेन डिफरेन्ट लोकेलिटीज इन ग्रेटर बाम्बे	महाराष्ट्र	
1967	स्टडी ऑफ द इन्सिडेन्स ऑफ वेस्टेज एण्ड स्टेगनेशन एण्ड द इंफेक्टिवनेस ऑफ आवर एजूकेशनल एफर्ट्स	महाराष्ट्र	43.30 से 21.40 प्रतिशत
1969	एजूकेशनल वेस्टेज इन प्राइमरी स्कूल लेवल इन हरियाना	हरियाणा	कक्षा I से V तक क्रमशः 31.8, 15.17,- 8.73, 4.8 व 3.7 प्रतिशत
1969	वेस्टेज एण्ड स्टेगनशन इन प्राइमरी एजूकेशन अमंग द ट्राईबल्स	गुजरात	
1969	वेस्टेज एण्ड स्टेगेनेशन इन प्राइमरी एण्ड मिडिल स्कूल्स इन इण्डिया	राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश व दिल्ली	पाँचवीं तक 65 प्रतिशत तथा आठवीं तक 78 प्रतिशत.

परिशिष्ट

1970	एन इन्वेस्टीगेशन इन टू द प्रोब्लेम ऑफ वेस्टेज एण्ड स्टगनेशन एट द प्राइमरी एजूकेशन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिब सागरों	असम	अपव्यय 14.24 एवं अवरोधन 62.03 दोनों मिलाकर 76.27
1970	ए स्डटी ऑफ द वेस्टेज एण्ड स्टेगनेशन ऑफ द इलेमेन्ट्री लेवल ऑफ एजूकेशन इन द स्टेट ऑफ असम विद स्पेशियल रेफेरेन्स टू द प्राइमरी स्टेज	असम	अपव्यावरोधन दर प्राथमिक स्तर पर 71.12 प्रतिशत तथा मिडिल स्तर पर 38.45 प्रतिशत
1970	द ड्रोपआउट्स इन ट्राइबल सिच्यूएशन	राजस्थान	
1971	वेस्टेज एण्ड स्टेग्नेशन इन प्राइमरी स्कूल्स अमंग द ट्राइबल्स ऑफ गुजरात	गुजरात	29 प्रतिशत
1971	वेस्टेज इन शिबसागर एण्ड गोलाघाट सब डिविजन ए कम्पेरेटिव स्टडी	असम	शिबसागर-7950 प्रतिशत गोलघाट-69.60 प्रतिशत
1972	वेस्टेज इन इण्डियन स्कूल एजूकेशन	देश के विभिन्न राज्य	
1972	वेस्टेज एण्ड स्टेग्नेशन इन महेन्द्रगढ़ टी.डी. ब्लॉक-ए सर्वे रिपोर्ट	मध्यप्रदेश	98 प्रतिशत
1973	ए स्टडी ऑफ इन्सिडन्स एण्ड कॉजेज़ ऑफ वेस्टेज एण्ड स्टेग्नेशन इन प्राइमरी स्कूल्स ऑफ एम.पी.	मध्यप्रदेश	बालक-42 प्रतिशत बालिकाए-53 प्रतिशत जनजाति बालिकाएँ-70 प्रतिशत
1973	एनेलेसिस ऑफ स्टूडेन्ट वेस्टेज इन एजूकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स इन जम्मू एण्ड कश्मीर	जम्मू-कश्मीर	मिडिल स्तर तक 22.2 प्रतिशत

1975	ए कम्पेरेटिव स्टडी ऑफ एजूकेशनल वेस्टेज इन अरबन एण्ड रूरल एरिया	असम	शहरी क्षेत्र-63.20 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र-77.90 प्रतिशत
1975	स्कूल ड्रापआउट अमंग हरिजन चिल्ड्रन-काजेज़ एण्ड क्योर	उत्तरप्रदेश	
1976	वेस्टेज एण्ड स्टेग्नेशन इन प्राइमरी एजूकेशन इन ट्राईबल एरियाज	गुजरात	65 प्रतिशत
1980	ए पायलट इन्वेस्टीगेशन ऑन स्कूल ड्रोपआउट रीजन्स	पश्चिमी बंगाल	
1981	ए स्टडी ऑफ द स्कूल ड्रोपआउट्स इन रूरल एरियाज इन कर्नाटक	कर्नाटक	
1982	वेस्टेज एण्ड स्टेग्नेशन इन प्राइमरी स्कूल्स ऑफ रूरल एरियाज इन भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट	राजस्थान	
1983	ए स्टडी ऑफ इन्सिडेन्स एण्ड फेक्टर्स रेस्पोन्सिबल फॉर ड्रापिंग आउट ऑफ चिल्ड्रन फ्राम म्युनिसिपल एण्ड लोकल ऑथेरिटी स्कूल्स इन ग्रेटर बोम्बे एण्ड थाना डिस्ट्रिक्ट फ्राम स्टेन्डर्ड । टू VII ड्यूरिंग द लास्ट फोर इयर्स देट इज 1973 टू 1977	महाराष्ट्र	
1983	प्रोब्लेम ऑफ ड्राप आउट इन प्राइमरी स्कूल्स ऑफ मनीपुर विद स्पेशियल रेफेरेन्स टू इम्फाल टाउन (1963-1970)	मनीपुर	बालकों व बालिकाओं के ड्राप आउट की दर में उच्च सार्थक अंतर

न्यादर्श में सम्मिलित विद्यालयों की सूची

जिले की क्र.सं.	जिले का नाम	क्रम संख्या	नाम विद्यालय
1.	बीकानेर	(1)	रा.प्रा.वि. हुसनसर (पंचायत समिति-बीकानेर)
		(2)	रा. प्रा. वि. रातडिया (नोखा)
		(3)	रा. प्रा. वि. मून्दड (नोखा)
		(4)	रा. प्रा. वि. जसवन्तसर (लूणकरनसर)
		(5)	रा.प्रा.वि. सियाणा भाटियान (कोलायत)
		(6)	श्री स्वा.उ.प्रा.वि. खाजूवाना (बीकानेर)
		(7)	आदर्श विद्या भारती प्रा.वि. बेणीसरकुंआ, बीकानेर
		(8)	रा.उ.प्रा.वि. अर्जुनसर (लूणकरनसर)
		(9)	रा.बा.उ.प्रा.वि. लालगढ़ (बीकानेर)
2.	चूरू	(10)	रा.प्रा.वि. बास सिरसलां (चूरू)
		(11)	रा.प्रा.वि. ढाणी कुम्हारव (तारानगर)
		(12)	रा.प्रा.वि. करणपुरा (तारानगर)
		(13)	रा.प्रा.वि. मेहरी (सरदारशहर)
		(14)	रा.प्रा.वि. आलसर नयाबास (रतनगढ़)
		(15)	रा.उ.प्रा.वि. ढूंकर (सुजानगढ़)
		(16)	रा.प्रा.वि. नं. 10 (चूरू)
		(17)	रा.प्रा.वि. सं. 6 रतनगढ़
		(18)	रा.उ.प्रा.वि. जोड़ी (चूरू)
		(19)	रा.उ.प्रा.वि. गाजुवास (तारानगर)
		(20)	रा.उ.प्रा.वि. देराजसर (श्रीडूंगरगढ़)
3.	श्रीगंगानगर	(21)	रा.प्रा.वि. 18 F 1 (श्रीगंगानगर)
		(22)	रा.प्रा.वि. जण्डावाली सांसियान (सार्दुलशहर)
		(23)	रा.प्रा.वि. 5 E F (श्री करनपुर)
		(24)	रा.प्रा.वि. 8 R B(पदमपुर)
		(25)	रा.प्रा.वि. 1 M M K (हनुमानगढ़)
		(26)	रा.प्रा.वि. 9 T K (रायसिंहनगर)
		(27)	रा.प्रा.वि. 83 R B (रायसिंहनगर)
		(28)	रा.प्रा.वि. बीबीपुर (भादरा)
		(29)	रा.प्रा.वि. अमरपुरा जाटान (सूरतगढ़)

	(30) रा.प्रा.वि. सरदारपुरा खर्धा (सूरतगढ़)
	(31) रा.प्रा.वि. 87 G.B (अनूपगढ़)
	(32) रा.बा.उ.प्रा.वि. भाखरोंवाली (सार्दुलशहर)
	(33) रा.बा.प्रा.वि. केसरीसिंहपुर (श्रीकरणपुर)
	(34) श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर आदर्श विद्यालय छानीबड़ी (भादरा)
	(35) आदर्श प्राथमिक विद्यालय, अनूपगढ़ (अनूपगढ़)
	(36) रा.स.प्रा.वि. 9 F बड़ा (श्रीगंगानगर)
	(37) रा.उ.प्रा.वि. लखूवाली हैड (हनुमानगढ़)
	(38) रा.उ.प्रा.वि. डेलवा (पदमपुर)
	(39) रा.उ.प्रा.वि. 10 K S D (रायसिंहनगर)
	(40) जवाहर बाल मन्दिर उ.प्रा.वि. श्रीकरनपुर (श्रीकरनपुर)
	(41) दयानन्द पब्लिक स्कूल, श्रीगंगानगर
4. झुन्झुनू	(42) रा.प्रा.वि. गोविन्दपुरा (अलसीसर)
	(43) रा.प्रा.वि. बड़सरों की ढाणी (चिड़ावा)
	(44) रा.प्रा.वि. मदनसर (बुहाना)
	(45) रा.प्रा.वि. कुदोलकलां (झुन्झुनू)
	(46) रा.प्रा.वि. टीलावाली (खेतड़ी)
	(47) रा.प्रा.वि. आसलवास (सूरज़गढ़)
	(48) रा.प्रा.वि. कुमावास (नवलगढ़)
	(49) रा.प्रा.वि. डूडियों की ढाणी भोड़की (उदयपुरवाटी)
	(50) रा.प्रा.वि. मोहल्ला डेरावाली ढाणी, नवलगढ़
	(51) रा.बा.प्रा.वि. कुहाड़वास (बुहाना)
	(52) रा.उ.प्रा.वि. सोनासर (भलसीसर)
	(53) रा.उ.प्रा.वि. सूर्रों का बजावा (चिड़ावा)
	(54) रा.उ.प्रा.वि. पचाना (नवलगढ़)
5. सीकर	(55) रा.प्रा.वि. नीमावास (दांतारामगढ़)
	(56) रा.प्रा.वि. रघुनाथपुरा (दांतारामगढ़)
	(57) रा.प्रा.वि. गढ़भोपजी (खण्डेला)
	(58) रा.प्रा. संस्कृत विद्यालय श्यामावाली (नीम का थाना)
	(59) रा.प्रा.वि. कांकड की ढाणी (नीम का थाना)
	(60) रा.प्रा.वि. रिणाऊ (फतेहपुर)
	(61) रा.प्रा.वि. छोटी तासर (धोर)

	(62) रा.प्रा.वि. ढोलास (लक्ष्मणगढ़)
	(63) रा.प्रा.वि. जाजोद (लक्ष्मणगढ़)
	(64) रा.प्रा.वि. नं. 1 नीम का थाना
	(65) रा.बा.प्रा.वि. नाथूसर (श्रीमाधोपुर)
	(66) सुबोध बाल मंदिर उ.प्रा.वि. सीकर
	(67) रा.उ.प्रा.वि. सूतोद (लक्ष्मणगढ़)
	(68) रा.उ.प्रा.वि. उमाझ (दांतारामगढ़)
	(69) रा.उ.प्रा.वि. महावा (नीम का थाना)
	(70) रा.बा.उ.प्रा.वि. माउण्डा खुर्द (नीम का थाना)
6. अजमेर	(71) रा.प्रा.वि. गगवाना (श्रीनगर)
	(72) रा.प्रा.वि. मुण्डोती (अरांई)
	(73) रा.प्रा.वि. खेड़ी (भिनाय)
	(74) रा.प्रा.वि. कुशलपुरा (जवाजा)
	(75) रा.प्रा.वि. मण्डा (केकड़ी)
	(76) रा.प्रा.वि. सालरवाला II (मसूदा)
	(77) रा.प्रा.वि. काचरिया (सिलोरा)
	(78) रा.प्रा.वि. काजीपुरा (अजमेर)
	(79) रा.बा.प्रा.वि. नांद (पीसांगन)
	(80) रा.बा.प्रा.वि. पहाड़गंज, अजमेर
	(81) राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय अजमेर
	(82) रा.उ.प्रा.वि. केवानिया (भिनाय)
	(83) रा.उ.प्रा.वि. डोडियाना (पीसांगन)
	(84) रा.उ.प्रा.वि. भीमडावास (केकड़ी)
	(85) राष्ट्रीय प्रेम उ.प्रा.वि., अजमेर
7. अलवर	(86) रा.प्रा.वि. जाटियाना (उमेरण)
	(87) रा. प्रा. वि. हरसौली (कोटकासिंग)
	(88) रा.प्रा.वि. कराणा (बाजसर)
	(89) रा.प्रा.वि. कोलगांव (किशनगढ़बास)
	(90) रा.प्रा.वि. पुराना राजगढ़ (राजगढ़)
	(91) रा.प्रा.वि. माधोगढ़ (थानागाजी)
	(92) रा.प्रा.वि. नं. 2 रेणी (रेणी)
	(93) रा.प्रा.वि. नौगांव (रामगढ़)
	(94) रा.प्रा.वि. जावली (लक्ष्मणगढ़)
	(95) रा.प्रा.वि. सिरमौर
	(96) रा.प्रा.वि. हसनपुरमाजी (तिजारा)

	(97) रा.प्रा.वि., मिलकपुरगुर्जर (तिजारा)
	(98) रा.प्रा.वि. भुनुकर (कठूमर)
	(99) रा.प्रा.वि. सौडांवास (मुण्डावर)
	(100) रा.प्रा.वि., भड़कोल (उबरायण)
	(101) रा.बा.प्रा.वि. गढ़बसाई (थानागाजी)
	(102) जय दुर्गा प्रा.वि. राजगढ़
	(103) रा.उ.प्रा.वि. बहाला (रामगढ़)
	(104) रा.उ.प्रा.वि. माधोगढ़ (उबरायण)
	(105) रा.उ.प्रा.वि. कलसाड़ा (उबरायण)
	(106) रा.उ.प्रा.वि. चिकानी (किशनगढ़वास)
	(107) राजा हैप्पी उ.प्रा.वि. रामगढ़
8. भरतपुर	(108) रा.प्रा.वि. मण्डौली (सेवर)
	(109) रा.प्रा.वि. सवाईराम (कुम्भैर)
	(110) रा.प्रा.वि. पूंछरी (डीग)
	(111) रा.प्रावि. नीमला (कामां)
	(112) रा.प्रा.वि. लहरबाड़ी (नगर)
	(113) रा.प्रा.वि. खानपुर (कामां)
	(114) रा.प्रा.वि. बसैया (नदबई)
	(115) रा.प्रा.वि. माइदपुरा (वैर)
	(116) रा.प्रा.वि. अड्डा (बयाना)
	(117) रा.प्रा.वि. खैरीडांग (बयाना)
	(118) रा.प्रा.वि. बंसीबागरी (रूपवास)
	(119) रा.बा.प्रा.वि. पुराना बस स्टैण्ड डीग
	(120) गुरुनानक प्रा.वि. बयाना
	(121) रा.उ.प्रा.वि. सिंघानिया (बयाना)
	(122) रा.उ.प्रा.वि. बडेसरा (डीग)
	(123) रा.उ.प्रा.वि. गोपीनाथ (कामां)
	(124) रा.बा.उ.प्रा.वि. पहाड़ी (नगर)
9. धौलपुर	(125) रा.प्रा.वि. धरमपुरा (धौलपुर)
	(126) रा.प्रा.वि. सिध्यापुरा (राजाखेड़ा)
	(127) रा.प्रा.वि. भैसाख (राजाखेड़ा)
	(128) रा.प्रा.वि. सहैड़ी (बाडी)
	(129) रा.प्रा.वि. खेमरी (बसैड़ी)
	(130) रा.प्रा.वि. चौरपुरा (बसैड़ी)
	(131) रा.उ.प्रा.वि. बरेठा (धौलपुर)

	(132) रा.उ.प्रा.वि. गूमरवाड़ी (बाड़ी)
10. जयपुर	(133) रा.प्रा.वि. गणेशपुरा (फागी)
	(134) रा.प्रा.वि. आथुनाबाद छिनाई (गोविन्दगढ़)
	(135) रा.प्रा.वि. अचरौल (आमेर)
	(136) रा.प्रा.वि. गोनेर (सांगानेर)
	(137) रा.प्रा.वि. चारणवास (सांभरलेक)
	(138) रा.प्रा.वि. सीतापुर (विराटनगर)
	(139) रा.प्रा.वि. पावटा (विराटनगर)
	(140) रा.प्रा.वि. पूतली (कोटपूतली)
	(141) रा.प्रा.वि. मारखी (शाहपुरा)
	(142) रा.प्रा.वि. तुंगा (बस्सी)
	(143) रा.प्रा.वि. भाखरी (बस्सी)
	(144) रा.प्रा.वि. कालबाग झोटवाड़ा
	(145) रा.प्रा.वि. न्यू कॉलानी बस्सी
	(146) रा.प्रा.वि. मौजमाबाद (दूदू)
	(147) रा.प्रा.वि. झाग (दूदू)
	(148) रा.प्रा.वि. बापूबस्ती (शाहपुरा)
	(149) रा.प्रा.वि. ब्रजराजबिहारी जयपुर
	(150) रा.प्रा.वि. कली का कोठा जयपुर
	(151) रा.प्रा.वि. देवड़ी जी का मंदिर जयपुर
	(152) रा.प्रा.वि. बाई जी का मंदिर जयपुर
	(153) रा.प्रा.वि. तेलीपाड़ा जयपुर-3
	(154) रा.प्रा.वि. रेगरों की कोठी जयपुर
	(155) रा.प्रा.वि. रामपुरा, रूपा (जयपुर)
	(156) रा.प्रा.वि. मानसिंहपुरा (जयपुर)
	(157) रा.प्रा.वि. बजाजनगर (जयपुर)
	(158) रा.प्रा.वि. दुर्गापुरा (जयपुर)
	(159) रा.प्रा.वि. एयरपोर्ट, सांगानेर
	(160) रा.बा.प्रा.वि. शिवसिंहपुरा (शाहपुरा)
	(161) रा.बा.प्रा.वि. बस्सी (बस्सी)
	(162) रा.बा.प्रा.वि. पानो का दरीबा जयपुर
	(163) रा.बा.प्रा.वि. जमनाबाल मंदिर, रामगंज जयपुर
	(164) रा.उ.प्रा.वि. लबाना, आमेर
	(165) रा.उ.प्रा.वि. दांतली, सांगानेर
	(166) रा.उ.प्रा.वि. बड़ौदियाबस्ती, जयपुर

	(167) रा.उ.प्रा.वि. किशनपुरा (दूदू)
	(168) रा.उ.प्रा.वि. कौंट (शाहपुरा)
	(169) रा.उ.प्रा.वि. बिहारी रामगंज (जयपुर)
	(170) रा.उ.प्रा.वि. कोठी कोलियान, जयपुर
	(171) रा.बा.उ.प्रा.वि. गोनेर (गोनेर)
	(172) रा.बा.उ.प्रा.वि. लिपोलिया जयपुर
	(173) शिवाजी आदर्श विद्यापीठ तुंगा, बस्सी
	(174) श्री प्रदीप शिक्षण केन्द्र, जयपुर
	(175) किरण शिक्षा विकास समिति उ.प्रा.वि. सुभाष चौक, जयपुर
11. बाड़मेर	(176) रा.प्रा.वि. शिव (शिव)
	(177) रा.प्रा.वि. रामजी का गोल (धोरीमन्ना)
	(178) रा.प्रा.वि. चम्पाबेरी (धोरीमन्ना)
	(179) रा.प्रा.वि. गोल स्टेशन (बालोतरा)
	(180) रा.प्रा.वि. चिरडिया (सिवाना)
	(181) रा.प्रा.वि. बोली (चोटन)
	(182) रा.प्रा.वि. बसरा (बाड़मेर)
	(183) रा.प्रा.वि. जैसार (बाड़मेर)
	(184) रा.प्रा.वि. सोहड़ा (बायतु)
	(185) रा.प्रा.वि. कादानाड़ी (सिंणधरी)
	(16) रा.प्रा.वि. ढेलाणीमाड़ी (सिंणधरी)
	(187) रा.उ.प्रा.वि. काणासर (शिव)
	(188) रा.उ.प्रा.वि. केकड़ (धोरीमन्ना)
	(189) रा.उ.प्रा.वि. रेल्वे कॉलोनी बाड़मेर
12. जैसलमेर	(190) रा.प्रा.वि. मोहनगढ़, जैसलमेर
	(191) रा.उ.प्रा.वि. भणियाणा (साँकड़ा)
	(192) रा.उ.प्रा.वि. मेहरेरी (सम)
	(193) रा.उ.प्रा.वि. रामगढ़ (सम)
	(194) रा.उ.प्रा.वि. खुईयाला (सम)
13. जालौर	(195) रा.प्रा.वि. अजितपुरा (आहोर)
	(196) रा.प्रा.वि. कोरी कवेचा (भीनमाल)
	(197) रा.प्रा.वि. जेलातरा (सांचोर)
	(198) रा.प्रा.वि. नीम्बज गोतियां (सांचोर)
	(199) रा.प्रा.वि. उचमत (जसवन्तपुरा)
	(200) रा.प्रा.वि. चाड़पुरा (रानीवाड़ा)

	(201) रा.प्रा.वि. टंकरावास (भीनमाल)
	(202) रा.प्रा.उ.वि. रामपुरिया (जालौर)
	(203) रा.उ.प्रा.वि. मालपुरवाड़ा (सांचोर)
14. जोधपुर	(204) रा.प्रा.वि. धणामगरा (बिलाड़ा)
	(205) रा.प्रा.वि. भाकरों की ढाणी भोब (ओसियां)
	(206) रा.प्रा.वि. भैसेर कूतड़ी (ओसियां)
	(207) रा.प्रा.वि. गोदरली (बाप)
	(208) रा.प्रा.वि. आटियो कला भोपालगढ़
	(209) रा.प्रा.वि. राजोरढाणी (लूणी)
	(210) रा.प्रा.वि. लिम्बानिया की बेरी (शेरगढ़)
	(211) रा.प्रा.वि. इशरू (फलौदी)
	(212) रा.प्रा.वि. नांदणी (मण्डोर)
	(213) रा.प्रा.वि. बासनी भनना (बालसर)
	(214) रा.बा.प्रा.वि. महेश हॉस्टल, जोधपुर
	(215) श्रीनर्बदा बाल निकेतन आड़ा बाजार जोधपुर
	(216) रा.उ.प्रा.वि. जेठानिया (शेरगढ़)
	(217) रा.उ.प्रा.वि. जेतीवास (बिलाड़ा)
	(218) रा.उ.प्रा.वि. पिपाड़रोड़ (भोपालगढ़)
	(219) बाल विकास उ.प्रा.वि. जोधपुर
15. पाली	(220) रा.प्रा.वि. सोकड़ा बाली
	(221) रा.प्रा.वि. कुराड़ा (सुमेरपुर)
	(222) रा.प्रा.वि. रूपावास (सोजत)
	(223) रा.प्रा.वि. मगरतालाब (देसुरी)
	(224) रा.प्रा.वि. जेतपुर (मारवाड़ जंक्शन)
	(225) रा.प्रा.वि. धोलेरिया शासन (रोहत)
	(226) रा.प्रा.वि. सादों की प्याऊ (रायपुर)
	(227) रा.प्रा.वि. अमरपुरा (जैतारण)
	(228) रा.बा.प्रा.वि. कुशालपुरा (रामपुर)
	(229) रा.उ.प्रा.वि. बिरातिया खुर्द रायपुर
	(230) रा.उ.प्रा.वि. कराड़ी मारवाड़ जंक्शन
	(231) रा.उ.प्रा.वि. नाना गांव बाली
16. नागौर	(232) रा.प्रा.वि. नं. 4 सथेरण
	(233) रा.प्रा.वि. दियावड़ी (मुण्डवा)
	(234) रा.प्रा.वि. दोतिठा नं. 2 (जायल)
	(235) रा.प्रा.वि. जालसू खुर्द (डेगाना)

	(236) रा.प्रा.वि. बिचपुड़ी (डेगाना)
	(237) रा.प्रा.वि. जैजासनी (रीयां बड़ी)
	(238) रा.प्रा.वि. समदोलाव (रीयां बड़ी)
	(239) रा.प्रा.वि. अडाणी (परबतसर)
	(240) रा.प्रा.वि. दम्बोई कलां (मकराना)
	(241) रा.प्रा.वि. चान्दपुरा (कुचामनसिटी)
	(242) रा.प्रा.वि. आजवा (डीडवाना)
	(243) रा.प्रा.वि. सिगरावट खुर्द (डीडवाना)
	(244) रा.प्रा.वि. असोटापुरा (लाडनूं)
	(245) रा.प्रा.वि. नं. 8 डीडवानी (डीडवाना)
	(246) रा.प्रा.वि. सेनणी (मुण्डवा)
	(247) रा.प्रा.वि. राणासर (कुचामन सिटी)
	(248) रा.प्रा.वि. खुनखुना स्टेशन डीडवाना
	(249) रा.बा.उ.प्रा.वि. बडू (परबतसर)
17. सिरोही	(250) रा.प्रा.वि. टूंका (आबूरोड़)
	(251) रा.उ.प्रा.वि. अनापुर (रेवदर)
	(252) रा.प्रा.वि. झांकर (पिन्डवाड़ा)
	(253) रा.प्रा.वि. धानता सिरोही
	(254) रा.प्रा.वि. M S भवन शिवगज
	(255) रा.उ.प्रा.वि. मनोरा सिरोही
18. बूंदी	(256) रा.प्रा.वि. अकतासा तालेडा
	(257) रा.प्रा.वि. गुडली (केशोरायपाटन)
	(258) रा.प्रा.वि. अभयपुर (केशोरायपाटन)
	(259) रा.प्रा.वि. बड़ी पड़ाप (नैनवा)
	(260) रा.प्रा.वि. ठाकरवाड़ा (काप्रेन)
	(261) रा.उ.प्रा.वि. दोलाड़ा (तालेड़ा)
	(262) रा.प्रा.वि. देई I नैनवा
	(263) रा.उ.प्रा.वि. रौनिजा (हिण्डोली)
19. झालावाड़	(264) रा.प्रा.वि. गोवर्धनपुरा (झालरापाटन)
	(265) रा.प्रा.वि. आमजर खुर्द (बकानी)
	(266) रा.प्रा.वि. बिन्दायका (बकानी)
	(267) रा.प्रा.वि. खुरी (मनहर थाना)
	(268) रा.प्रा.वि. खटकड़ (पिडावा)
	(269) रा.प्रा.वि. पिपल्या खुर्द (डग)
	(270) रा.प्रा वि. गुवालद (डग)

	(271) रा.उ.प्रा.वि. सारोला (खानपुर)
	(272) रा.उ.प्रा.वि. हरनावदा गजा (पिडावा)
	(273) रा.प्रा.वि. मोड़ी (बकानी)
20. कोटा	(274) रा.प्रा.वि. नया नोहरा (लाड़पुरा)
	(275) रा.प्रा.वि. चौमाबिबु (सुल्तानपुर)
	(276) रा.प्रा.वि. निमोदा हिरिनी (सुल्तानपुर)
	(277) रा.प्रा.वि. भेरूपुरा (अंता)
	(278) रा.प्रा.वि. कुण्डला (अंता)
	(279) रा.प्रा.वि. अमरोली (किशनगंज)
	(280) रा.प्रा.वि. ओंघाड़ (शाहबाद)
	(281) रा.प्रा.वि. बिछालस (अटरू)
	(282) रा.प्रा.वि. रामपुरिया (छबड़ा)
	(283) रा.प्रा.वि. दांता (सागोद)
	(284) रा.प्रा.वि. झिलारा (खेराबाद)
	(285) रा.प्रा.वि. श्रीपुरा I (कोटा)
	(286) अंजली विध्याबाड़ी कोटा
	(287) रा.उ.प्रा.वि. रेलावन (किशनगंज)
	(288) रा.उ.प्रा.वि. बालूहेड़ा (सांगोद)
	(289) गांधी बाल ज्ञान मंदिर सांगोद
	(290) रा.प्रा.वि. भरूआपुरा (करौली)
21. सवाईमाधोपुर	(291) रा.प्रा.वि. बरेड़ सपोटरा
	(292) रा.प्रा.वि. बिनेगा (हिण्डोन)
	(293) रा.प्रा.वि. विजयपुरा (हिण्डोन)
	(294) रा.प्रा.वि. ग्वारकी (महवा)
	(295) रा.प्रा.वि. जिन्दो की ढाणी (नादोली)
	(296) रा.प्रा.वि. बिशनपुरा (टोड़ाभीम)
	(297) रा.प्रा.वि. मीना ठीकरी (बामनवास)
	(298) रा.प्रा.वि. आटूनकलां सवाईमाधोपुर
	(299) रा.उ.प्रा.वि. सांकड़ा बौली
	(300) रा.प्रा.वि. कटार (खण्डार)
	(301) रा.प्रा.वि. रेती (गंगापुरसिटी)
	(302) श्री महावीर दि. जैन उ.प्रा.वि. श्री महावीरजी, (हिण्डौन)
	(303) विवेक प्रा.वि. महुकला (गंगापुर सिटी)
	(304) रा.उ.प्रा.वि. दीपपुरा (करौली)

	(305) रा.उ.प्रा.वि. शीशवाड़ा (महवा)
	(306) रा.उ.प्रा.वि. मीना कोलेता (बामनवास)
	(307) रा.उ.प्रा.वि. केशवपुरा हिण्डौन
22. टोंक	(308) रा.प्रा.वि. नयागांव (ढिग्गारिया)
	(309) रा.प्रा.वि. आमली चारणान (मालपुरा)
	(310) रा.प्रा.वि. बाढ़ दामोदरपुरा (निवाई)
	(311) रा.प्रा.वि. शुक्शपुरा (टोंक)
	(312) रा.प्रा.वि. रानौली (टोंक)
	(313) रा.प्रा.वि. छाण (टोड़ारायसिंह)
	(314) रा.प्रा.वि. गलवालिया (उनियारा)
	(315) रा.प्रा.वि. जिन्सी टोंक (टोंक)
	(316) रा.प्रा.वि. सोनवा (ग्राम)
	(317) रा.प्रा.वि. टोड़ारायसिंह (टोड़ारायसिंह)
23. बांसवाड़ा	(318) रा.प्रा.वि. शंभुपुरा (बागीदोरा)
	(319) रा.प्रा.वि. झरकनीया (घाटोल)
	(320) रा.प्रा.वि. पड़ोली राठोड़ (घाटोल)
	(321) रा.प्रा.वि. ज्ञानछामणा (आनन्दपुरी)
	(322) रा.प्रा.वि. गोदावाड़ा (सज्जनगढ़)
	(323) रा.प्रा.वि. झारकडियां पाडा (गढ़ी)
	(324) रा.प्रा.वि. खाकरिया गाडा (गढ़ी)
	(325) रा.प्रा.वि. वरसाला (कुशलगढ़)
	(326) रा.प्रा.वि. डोरियारेल (बांसवाड़ा)
	(327) रा.प्रा.वि. कुशलपुरा (पिपलखुंट)
	(328) रा.उ.प्रा.वि. परतापुर गढ
	(329) रा.उ.प्रा.वि. डूंगरबाड़ा (सज्जनगढ़)
24. भीलवाड़ा	(330) रा.प्रा.वि. कालामाटा (जहाजपुर)
	(331) रा.प्रा.वि. अभयपुर (जहाजपुर)
	(332) रा.प्रा.वि. फलासेड़ (कोटड़ी)
	(333) रा.प्रा.वि. बीगोद (माण्डलगढ़)
	(334) रा.प्रा.वि. सायला (सुवाण)
	(335) रा.प्रा.वि. टपरियाखेड़ी (सहाड़ा)
	(336) रा.प्रा.वि. बलेव (आसीन्द)
	(337) रा.प्रा.वि. राक्षी (बनेड़ा)
	(338) रा.प्रा.वि. आपल्लियास (हुरड़ा)
	(339) रा.प्रा.वि. नासरदा (शाहपुर)

	(340) रा.प्रा.वि. चिताम्ब (माण्डलगढ़)
	(341) रा.प्रा.वि. वार्ड नं. 1 (भीलवाड़ा)
	(342) रा.बा.प्रा.वि. आमलीकलां (शाहपुरा)
	(343) रा.उ.प्रा.वि. नं. 1 भीलवाड़ा
	(344) रा.उ.प्रा.वि. फूलामादा (हुरड़ा)
	(345) रा.उ.प्रा.वि. बरण बनेड़ा
	(346) रा.बा.उ.प्रा.वि. रूपाहेली कलां (हुरड़ा)
25. चित्तौड़गढ़	(347) रा.प्रा.वि. विरावली, अरनोद
	(348) रा.प्रा.वि. चरलिया भदेसर
	(349) रा.प्रा.वि. सुखपुरा (भौलंरोड़गढ़)
	(350) रा.प्रा.वि. सियाखेड़ी (छोटी सादड़ी)
	(351) रा.प्रा.वि. भवानीपुरा (गंगरार)
	(352) रा.प्रा.वि. बस्सीखेड़ा (चित्तौड़गढ़)
	(353) रा.प्रा.वि. नाड़ाखेड़ा डूंगला
	(354) रा. आदर्श प्रा.वि. कनेरा (निम्बाहेड़ा)
	(355) रा.प्रा.वि. साकरिया (प्रतापगढ़)
	(356) रा.प्रा.वि. जहाजपुर (प्रतापगढ़)
	(357) रा.प्रा.वि. आरनी (राशमी)
	(358) रा.प्रा.वि. (प्रथम) कपासन
	(359) रा.बा.प्रा.वि. ठुकराई (बेगूं)
	(360) रा.उ.प्रा.वि. मोहेड़ा (अरनोद)
	(361) रा.उ.प्रा.वि. सुन्दरी (गंगरार)
	(362) रा.उ.प्रा.वि. नं. 2, बड़ी सादड़ी
26. डूंगरपुर	(363) रा.प्रा.वि. तोरणिया (डूंगरपुर)
	(364) रा.प्रा.वि. तिलूड़ा (आसपुर)
	(365) रा.प्रा.वि. निहालपुरा (आसपुर)
	(366) रा.प्रा.वि. न्यूकोलोनी_डोला (सागवाड़ा)
	(367) रा.प्रा.वि. पादरड़ी छोटी (सागवाड़ा)
	(368) रा.प्रा.वि. पुनावाड़ा (सीमलवाड़ा)
	(369) रा.प्रा.वि. बरौठी निचली (बिछीवाड़ा)
	(370) रा.प्रा.वि. छोटी ओड़ा (बिछीवाड़ा)
	(371) रा.उ.प्रा.वि. देवला (आसपुर)
	(372) रा.प्रा.वि. चारवाड़ा (बिछीवाड़ा)
27. उदयपुर	(373) रा.प्रा.वि. कैलाशपुरी (बड़गाँव)
	(374) रा.प्रा.वि. पुलां (उदयपुर)
	(375) रा.प्रा.वि. केशागुढा (भीम)
	(376) रा.प्रा.वि. गोठीया (भीण्डर)

(377) रा.प्रा.वि. जवाहरनगर (धारियावाद)
(378) रा.प्रा.वि. सुखेर (बड़गाँव)
(379) रा.प्रा.वि. आम्बा का फला (गिर्वा)
(380) रा.उ.प्रा.वि. राव भादड़ा (गोगुन्दा)
(381) रा.प्रा.वि. ढीमड़ी (झाड़ोल)
(382) रा.प्रा.वि. सालूखेडा (खमनोर)
(383) रा.प्रा.वि. मोलेला (खमनोर)
(384) रा.प्रा.वि. कानपुर (गिर्वा)
(385) रा.प्रा.वि. थोबावाज (खैरवाड़ा)
(386) रा.प्रा.वि. केलघरा (कोटड़ा)
(387) रा.प्रा.वि. खेड़ा (कुम्भलगढ़)
(389) रा.प्रा.वि. मूणवास (बड़गाँव)
(390) रा.प्रा.वि. नान्दोड़ा का खेड़ा (राजसमन्द)
(390) रा.प्रा.वि. जीवाखेड़ा (रेलमगरा)
(391) रा.प्रा.वि. भोरीता सलूम्बर
(392) रा.प्रा.वि. पलूना (सराड़ा)
(393) रा.प्रा.वि. सेमारी (सराड़ा)
(394) रा.प्रा.वि. देवजी का खेड़ा (मावली)
(395) रा.प्रा.वि. नीमच माता कालोनी, उदयपुर
(396) रा.प्रा.वि. बड़ा बाजार (नाथद्वारा)
(397) रा.प्रा.वि. वल्लभपुरा वार्ड नं. 1 (नाथद्वारा)
(398) रा.प्रा.वि. भूपालपुरा उदयपुर
(399) रा.प्रा.वि. करोली, (खमनोर)
(400) रा. कन्या प्रा.वि. ऋषभदेव (खेरवाड़ा)
(401) रा.बा.प्रा.वि. हिरणमगरी से०-11, उदयपुर
(402) रा.बा.प्रा.वि. भूपालपुरा उदयपुर
(403) रा.उ.प्रा.वि. कालादेह (भीम)
(404) रा.उ.प्रा.वि. सिघाड़ा (गोगुन्दा)
(405) रा.उ.प्रा.वि. देवगाँव (सलूम्बर)
(406) रा.उ.प्रा.वि. बड़गाँव (सराड़ा)
(407) रा.उ.प्रा.वि. खाणी ओवरी (खेरवाड़ा)
(408) रा.उ.प्रा.वि. सापोटिया (बड़गांव)
(409) रा.उ.प्रा.वि. ब्रह्मपोल (उदयपुर)
(410) रामादेवी मालचन्द बागड़ी रा.उ.प्रा.वि. फौज नाथद्वारा
(411) रा.उ.प्रा.वि. रेल्वे ट्रेनिंग स्कूल, उदयपुर
(412) रा.बा.उ.प्रा.वि. लावा सरदारगढ़ (आमेट)
(413) रा.बा.उ.प्रा.वि. नाई (गिर्वा)

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर

उपकरण-1

ग्रामीण/शहरी
छात्र/छात्रा
राजकीय/निजी संस्था

(शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसार सेवा विभाग-7)
राजस्थान में बालकों द्वारा विद्यालय परित्याग

विद्यार्थी सूचना प्रपत्र

जिला पंचायत समिति विद्यालय का नाम विद्यालय का कोड नं.

	सत्र 85-86 में अविभक्त इकाई (कक्षा I) में प्रथम बार प्रविष्ट हुए छात्र/छात्रा का विवरण									प्रविष्ट कक्षा, परीक्षा परिणाम तथा परित्याग का सत्रवार विवरण																	विद्यालय परित्याग करने वाले विद्यार्थियों के सन्दर्भ में भरा जावे (उपलब्ध सूचना के आधार पर)					
										1985-86			1986-87			1987-88			1988-89				1989-90						यदि कालम 29 में कोड 1 हो तो			
											यदि विद्यालय परित्याग तो			यदि विद्यालय परित्याग तो			यदि विद्यालय परित्याग तो				यदि विद्यालय परित्याग तो				यदि विद्यालय परित्याग तो							
क्र. सं.	विद्यार्थी का नाम	प्रवेशांक	पिता का नाम	विद्यार्थी का लिंग (M/F)	1-7-85 को विद्यार्थी की आयु (पूर्ण वर्षों में)	जाति (कोड)	शारीरिक विकलांगता की स्थिति (यदि विकलांग हो ✓ करें)	पिता का व्यवसाय	विद्यार्थी के आवास से विद्यालय की दूरी (कोड)	कक्षा	परित्याग प्रकार (कोड)	अवधि कोड	कक्षा	परित्याग प्रकार (कोड)	अवधि कोड	कक्षा	परित्याग प्रकार (कोड)	अवधि कोड	कक्षा	परीक्षा परिणाम (कोड)	परित्याग प्रकार (कोड)	अवधि कोड	कक्षा	परीक्षा परिणाम (कोड)	परित्याग प्रकार (कोड)	अवधि कोड	अन्य विद्यालय में प्रवेश स्थिति (कोड)	यदि कालम 28 में कोड 1 हो तो 89-90 में अध्ययन स्थिति (कोड)	89-90 में कक्षा	परीक्षा परिणाम (कोड)	यदि कालम 29 में कोड 2 हो तो कक्षा जिसमें पढ़ते हुए विद्यालय छोड़ा	वि. वि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

कोड सूची:

कालम संख्या	कोड विवरण
7	अनुसूचित जाति (SC)-1, अनुसूचित जनजाति (ST)-2, अन्य-3
10	एक कि.मी. से कम-1, एक से दो कि.मी.-2, दो कि.मी. से अधिक-3
12, 15, 18, 22, 26	टी.सी. लेकर विद्यालय छोड़ा-1, बिना टी.सी. लिये विद्यालय छोड़ा-2, मृत्यु हो गई-3
13, 16, 19, 23, 27,	जुलाई से सित.-1, अक्टू. से दिस.-2, जन. से मार्च-3, अप्रेल से मई-4
21, 25, 31,	उत्तीर्ण-P, अनुत्तीर्ण-F, परीक्षा में प्रविष्ट नहीं-X
28,	प्रविष्ट हुआ-1, प्रविष्ट नहीं हुआ-2, जानकारी नहीं हो पाई-3
29	विद्यालय में अध्ययनरत-1, अध्ययनरत नहीं-2, मृत्यु हो गई-3

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के जाँच अधिकारी का नाम ____________________

पद ____________________

हस्ताक्षर ____________________

दिनांक ____________________

	1. जिला स्तरीय सर्वेक्षण अधिकारी	2. संस्था प्रधान
नाम		
पद एवं		
पदस्थल		
हस्ताक्षर		
दिनांक		

उपकरण -2

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर

(शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसार सेवा विभाग-7)

अनुसंधान अनुभाग

"राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय परित्याग"

प्रश्नावली

(संस्था प्रधानों के लिए)

1- परिचयात्मक विवरण-

विद्यालय का नाम.....

पंचायत समिति/नगर.....जिला.....

संस्था प्रधान का नाम.....

योग्यता-शैक्षिक.....

व्यावसायिक.....

2- सत्र 1985-86 से 1989-90 तक छात्रों एवं शिक्षकों की संख्या व शिक्षक छात्र अनुपात
(आधार तिथि-30 सितम्बर)

सत्र	विद्यालय की कुल छात्र संख्या	कुल शिक्षक सं.		शिक्षक छात्र अनुपात (कार्यरत शिक्षकों की संख्या के आधार पर)
		स्वीकृत	कार्यरत	
1985-86				
1896-87				
1987-88				
1988-89				
1989-90				

3. सत्र 1985-86 में दिनांक 30.9.85 का अविभक्त इकाई में नामांकित-

(अ) छात्र संख्या

(ब) छात्रा संख्या _____

योग _____

(4) विद्यालय में सत्रदार उपलब्ध रहे भौतिक संसाधन-

प = पर्याप्त, अप. = अपर्याप्त, न = नही, उप = उपयुक्त, अनु.= अनुपयुक्त

[30 सितम्बर की आधार तिथि मानकर सम्बद्ध स्तम्भ में सही (✓) का निशाल लगावे]

सत्र	विद्यालय भवन			कक्षाओं में बैठने की जगह				श्याम पट्ट व्यवस्था				दरी पट्टियां/बिछान					खेल सामग्री व उपकरण					जल व्यवस्था			
				पर्याप्तता		उपयुक्तता		पर्याप्तता		उपयुक्तता		पर्याप्तता			उपयुक्तता		पर्याप्तता			उपयुक्तता		पर्याप्तता		उपयुक्तता	
	कच्चा	पक्का	उपलब्ध नहीं (खुले में)	प.	अप.	उप.	अनु.	प.	अप.	उप.	अनु.	प.	अप.	न.	उप.	अनु.	प.	अप.	न.	उप.	अनु.	प.	अप.	उप.	अनु.
1985-86																									
86-87																									
87-88																									
88-89																									
89-90																									

5. विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए उत्प्रेरकों की व्यवस्था रही हो तो विवरण (उपयुक्त स्तम्भ में सही का निशान लगाएं)

उत्प्रेरक	व्यवस्था नहीं रही	25% से कम के लिए	26% से 50% के लिए	51% से 75% के लिए	76% से 100% के लिए
पोषाहार					
निःशुल्क पुस्तक					
निःशुल्क लेखन सामग्री					
पोशाक					
उपस्थिति छात्रवृत्ति					
अन्य 1					
2					

6. आपके अनुभवों के आधार पर पांचवी कक्षा तक पढ़ाई पूरी करने के पहले बालक/बालिका द्वारा विद्यालय छोड़ने के क्या कारण हैं ? (प्राथमिकता से लिखें)

(अ) बालकों के संदर्भ में

1.
2.
3.
4.

(आ) बालिकाओं के संदर्भ में

1.
2.
3.
4.

7. आपके मत से क्या किया जाय कि बालक/बालिका पांचवीं कक्षा पास करने के पहले विद्यालय न छोड़े-

(अ) बालकों के सन्दर्भ में

1.
2.
3.
4.

(ब) बालिकाओं के सन्दर्भ में

1.
2.
3.
4.

दिनांक

हस्तार संस्था प्रधान
सील

परिशिष्ट - ङ

उपकरण 3

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर

(शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसार सेवा विभाग-7)

अनुसंधान अनुभाग

"राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय परित्याग"

साक्षात्कार अनुसूची

(विद्यालय छोड़ चुके विद्यार्थियों के लिए)

साक्षात्कारकर्त्ता का नाम एवं पद .....

योग्यता .....

साक्षात्कार स्थल ..... पंचायत समिति .....

जिला .....

साक्षात्कार तिथि .....

---

1. बालक/बालिका का परिचय-
   (अ) नाम .....
   (आ) पिता का नाम .....
   (इ) विद्यालय का नाम जहां अध्ययनरत रहा/रही .....
   (ई) उपकरण-1 में छात्र/छात्रा को क्रम संख्या .....
   (उ) कक्षा जिसमें पढ़ते हुए विद्यालय छोड़ा .....
2. बालक/बालिका के घर से विद्यालय की दूरी (कि.मी. में) .....
3. विद्यालय छोड़ने के कारण (वरीयता क्रम में)
   (अ) विद्यालय से सम्बद्ध
   1. .....
   2. .....
   3. .....
   (आ) परिवार से सम्बद्ध
   1. .....
   2. .....
   3. .....

(इ) व्यक्तिगत/स्वास्थ्य सम्बन्धी

1.

2.

3.

(ई) अन्य

1.

2.

3.

4. क्या पुनः विद्यालय में भर्ती होना चाहता है/चाहती है ? हाँ/नहीं
5. यदि हाँ तो उसे क्या सुविधा चाहिए ?

1.

2.

3.

दिनांक

हस्ताक्षर साक्षात्कारकर्ता

परिशिष्ट - च

उपकरण 4

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर

(शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसार सेवा विभाग-7)

अनुसंधान अनुभाग

''राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय परित्याग''

साक्षात्कार अनुसूची

(अभिभावकों के लिए)

साक्षात्कारकर्त्ता का नाम एवं पद .....
योग्यता .....
साक्षात्कार स्थल ..... पंचायत समिति .....
जिला .....
साक्षात्कार तिथि .....

---

1. बालक/बालिका का परिचय-

   (अ) नाम .....
   (आ) पिता का नाम .....
   (इ) विद्यालय का नाम जहां अध्ययनरत रहा/रही .....
   (ई) उपकरण-1 में छात्र/छात्रा को क्रम संख्या .....

2. अभिभावक का परिचय

   (अ) नाम .....
   (आ) पूरा पता .....

3. क्या आप बालक/बालिका के भावी जीवन के लिए शिक्षा को आवश्यक समझते हैं ?

हाँ/नही/अनिश्चित

4. क्या आप बालक/बालिका को पुनः विद्यालय में भर्ती कराना चाहेंगे ?

हाँ/नहीं

5. यदि नहीं तो क्यों ?

1. .....

2. .....

3. .....

दिनांक

हस्ताक्षर साक्षात्कारकर्ता

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर (राज०)

(शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसार सेवा विभाग-7)

''राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय परित्याग''

दत्त संकलन कर्ताओं के लिए निर्देश

1. अध्ययन के लिए निम्नांकित चार प्रकार के उपकरण प्रस्तुत किये जाने है -

उपकरण क्रमांक	विवरण
1.	विद्यार्थी सूचना प्रपत्र
2.	प्रश्नावली (संस्था प्रधानों के लिए)
3.	साक्षात्कार अनुसूची (विद्यालय छोड़ चुके विद्यार्थियों के लिए)
4.	साक्षात्कार अनुसूची (विद्यालयों छोड़ चुके विद्यार्थियों के अभिभावकों के लिए)

2. उपकरणवार विवरण इस प्रकार है -

उपकरण-1 विद्यार्थी सूचना प्रपत्र

इस प्रपत्र की पूर्ति विद्यालय में उपलब्ध प्रवेश रजिस्टर, छात्र उपस्थिति पंजिकाओं, परीक्षा रजिस्टर, अविभक्त इकाई प्रगति अभिलेख अदिकें आधार होगी । अविभक्त इकाई के लिए U अंकित करें । प्रवेश रजिस्टर में 1-7-85 से 30-4-86 तक की अवधि में प्रथम बार अविभक्त इकाई (कक्षा -1) में प्रविष्ट विद्यार्थियों की सूचीबद्ध कर उनसे संबंद्ध पूर्तियां की जानी हैं । पूर्ति के समय प्रपत्र के नीचे दिए गए उपयुक्त कोड नम्बर की सावधानी से अंकित करना है । स्तम्भ क्रमांक 28 से 32 तक की पूर्ति शिक्षकों/संस्था प्रधानों/विद्यालय में कक्षा 5-6 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से पूछताछ करके करनी है । यदि अन्य विद्यालय में बालक/बालिका का प्रवेश नहीं हुआ हो तो स्तम्भ 29 से 32 तक डेश (-) लगावें ।

उपकरण -2- प्रश्नावली

इसकी पूर्ति संस्था प्रधान द्वारा की जानी है । यदि संस्था प्रधान उपलब्ध न हो तो जो भी शिक्षक कार्यवाहक का कार्य कर रहे हों, उनसें पूर्ति करा ली जाए । प्रश्नावली की पूर्ति के अनन्तर यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्नावली के सभी कॉलम की पूर्ति हो गई है ।

उपकरण - 3 साक्षात्कार अनुसूची

इस अनुसूची को विद्यालय छोड़ विद्यार्थियों से साक्षात्कार करके भरा जाना है । प्रत्येक विद्यालय से निम्नांकित विवरण के अनुसार ऐसे 5 विद्यार्थियों से साक्षात्कार लिया जाना है जो विद्यालय छोड़ चुके हैं तथा उपलब्ध हैं-

बालक	बालिका
अनुसूचित जाति-1	अनुसूचित जाति/जनजाति-1
अनुसूचित जन जाति-1	
अन्य-1	अन्य-1

यदि किसी विद्यालय से पढ़ाई छोड़ चुके बालक/बालिका उपर्युक्त संवर्गों के अनुसार न हों तो 'अन्य' से चयन करलें । यदि विद्यालय परित्याग कर चुके उपलब्ध बालक 3 से कम तथा बालिकाएँ 2 से कम हों तो जितने उपलब्ध हों उनसे साक्षात्कार करें परन्तु बालकों और बालिकाओं की संख्या यथासंभव 5 करलें ।

उपकरण - 4 साक्षात्कार अनुसूची (अभिभावकों के लिए)

यह अनुसूची उपकरण-3 संदर्भ में उल्लिखित बालक/बालिकाओं के अभिभावकों से साक्षात्कार करके भरी जानी है । बालिकाओं के संदर्भ में यथा संभव उनकी माताओं से साक्षात्कार किया जाय । यदि माता/पिता में से कोई भी न हों तो दादा/दादी/बड़े भाई/बड़ी बहिन अथवा परिवार में उपलब्ध जिम्मेदार व्यक्ति से साक्षात्कार किया जाए ।

3. कार्य प्रक्रिया

दत्त संकलन हेतु विद्यालय में पहुँच कर दत्त संकलनकर्त्ता

''उपकरण-2'' संस्था प्रधान को पूर्ति हेतु दे दे तथा किन्हीं शिक्षक की मदद से उपकरण-1 की पूर्ति करना प्रारंभ कर दें ।

उपकरण-1 की पूर्ति के बाद साक्षात्कार हेतु निर्धारित संख्या में बालक/बालिकाओं का चयन (उपलब्धता के आधार पर) कर उनके अभिभावकों से संपर्क करने की व्यवस्था सुनिश्चित कर साक्षात्कार करें ।

एक विद्यालय से संबंद्ध उक्त सभी प्रकार के उपकरण एक साथ टेग में बांध कर लौटाएँ ।

कृष्ण गोपाल बीजावत
निदेशक
राज० राज्य शैक्षिक अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर

परिशिष्ट - ज

जिलेवार विद्यालय परित्याग दर (प्रतिशत में)

क्रम सं.	जिला	ग्रामीण क्षेत्र			शहरी क्षेत्र			योग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	बीकानेर	43.24	62.22	47.67	50.75	58.49	54.17	45.58	60.28	50.15
2.	चूरू	25.43	40.00	27.57	41.43	54.55	43.21	32.45	43.13	33.99
3.	गंगानगर	52.13	54.41	52.88	50.00	50.00	50.00	51.71	53.2	52.18
4.	झुंझुनू	22.08	41.80	30.95	46.43	62.50	52.27	24.71	43.41	32.97
5.	सीकर	13.22	37.74	19.70	43.90	53.57	47.83	17.81	43.44	24.95
6.	अजमेर	35.48	67.57	44.62	8.64	16.53	13.33	27.34	35.89	30.95
7.	अलवर	40.74	53.85	43.63	52.94	51.43	52.33	41.52	53.49	44.35
8.	भरतपुर	41.12	47.22	43.17	28.24	34.69	30.00	36.23	43.31	38.44
9.	धौलपुर	33.71	55.56	38.79	56.76	59.65	57.77	46.50	58.33	50.00
10.	जयपुर	35.45	45.71	37.97	60.17	56.51	58.46	45.36	52.65	47.94
11.	बाड़मेर	43.79	61.90	46.05	51.55	48.78	50.72	45.18	56.73	47.04
12.	जैसलमेर	37.91	55.56	38.74	-	-	-	37.91	55.56	38.74
13.	जालौर	47.81	55.56	49.67	47.37	72.92	59.05	47.71	62.50	52.09
14.	जोधपुर	47.21	73.08	53.70	62.89	71.25	68.09	51.81	71.84	58.80
15.	पाली	37.17	55.41	44.39	-	-	-	37.17	55.41	44.39
16.	नागौर	16.00	35.12	22.20	52.08	61.90	55.07	20.35	39.77	26.06

17.	सिरोही	22.94	41.94	27.14	24.32	25.93	25.00	23.28	34.48	26.47
18.	बूँदी	50.68	63.08	54.46	40.00	100.00	50.00	50.32	63.63	54.33
19.	झालावाड़	71.72	89.04	76.38	-	-	-	71.72	89.04	76.38
20.	कोटा	49.82	60.44	52.42	26.92	44.74	34.44	46.24	55.81	48.91
21.	सवाईमाधोपुर	25.42	62.75	33.12	24.00	20.00	22.86	25.31	58.92	34.02
22.	टोंक	55.83	74.51	60.28	72.97	93.33	76.40	61.18	78.78	65.01
23.	बाँसवाड़ा	35.44	52.12	42.31	-	-	-	35.44	55.12	42.31
24.	भीलवाड़ा	43.89	45.33	44.16	37.25	47.37	40.00	42.97	45.74	43.55
25.	चित्तौड़	34.25	63.21	41.96	53.33	53.33	53.33	37.50	61.02	44.05
26.	डूँगरपुर	29.28	64.20	42.08	-	-	-	29.28	64.20	42.08
27.	उदयपुर	46.27	52.34	48.24	50.93	55.63	52.81	47.35	53.30	49.49
	योग	38.75	54.06	42.95	48.65	52.81	50.39	40.66	53.67	44.66

परिशिष्ट झ

आरोही क्रम में परित्याग दरानुसार विभिन्न जिले

(प्रतिशत में)

आरोही क्रम	बालक		बालिका		योग (बालक+बालिका)	
	जिला	परित्याग दर	जिला	परित्याग दर	जिला	परित्याग दर
1.	सीकर	17.81	सिरोही	34.48.	सीकर	24.95
2.	नागौर	20.35	अजमेर	35.89	नागौर	26.06
3.	सिरोही	23.28	नागौर	39.77	सिरोही	26.47
4.	झुंझुंनू	24.71	चूरू	43.13	अजमेर	30.95
5.	सवाईमाधोपुर	25.31	भरतपुर	43.31	झुंझूनू	32.97
6.	अजमेर	27.34	झुंझुनू	43.41	चूरू	33.99
7.	डूंगरपुर	29.28	सीकर	43.44	सवाईमाधोपुर	34.02
8.	चूरू	32.45	भीलवाड़ा	45.74	भरतपुर	38.44
9.	बांसवाड़ा	35.44	जयपुर	52.65	जैसलमेर	38.74
10.	भरतपुर	36.23	श्रीगंगानगर	53.20	डूँगरपुर	42.08
11.	पाली	37.17	उदयपुर	53.30	बांसवाड़ा	42.31
12.	चित्तौड़	37.50	अलवर	53.49	भीलवाड़ा	43.55
13.	जैसलमेर	37.91	बांसवाड़ा	55.12	चित्तौड़	44.05
14.	अलवर	42.52	पाली	55.41	अलवर	44.35
15.	भीलवाड़ा	42.97	जैसलमेर	55.56	पाली	44.39
16.	बाड़मेर	45.18	कोटा	55.81	बाड़मेर	47.04

17.	जयपुर	45.36	बाड़मेर	56.73	जयपुर	47.94
18.	बीकानेर	45.58	धौलपुर	58.33	कोटा	48.91
19.	कोटा	46.24	सवाईमाधोपुर	58.92	उदयपुर	49.49
20.	धौलपुर	46.50	बीकानेर	60.28	धौलपुर	50.00
21.	उदयपुर	47.35	चित्तौड़	61.02	बीकानेर	50.15
22.	जालोर	47.71	जालोर	62.50	जालोर	52.09
23	बूँदी	50.32	बूँदी	63.63	श्रीगंगानगर	52.18
24.	श्रीगंगानगर	51.71	डूँगरपुर	64.20	बूँदी	54.33
25.	जोधपुर	51.81	जोधपुर	71.84	जोधपुर	58.80
26.	टोंक	61.81	टोंक	78.78	टोंक	65.01
27.	झालावाड़	71.72	झालावाड़	89.04	झालावाड़	76.38
समेकित		40.66		53.67		44.66

परिशिष्ट - ट

संभागवार संवर्गानुसार बालक बालिकाओं की विद्यालय परित्याग दर

(प्रतिशत में)

संभाग	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			सामान्य संवर्ग			योग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
चूरू	41.26	56.26	4584	11.11	42.85	25.00	33.73	47.47	35.45	35.10	49.06	39.60
जयपुर	42.14	56.22	46.65	41.80	49.18	43.69	40.63	46.97	42.69	41.05	49.19	43.65
जोधपुर	39.20	55.37	43.55	42.68	52.94	44.44	38.52	55.98	43.89	38.78	55.85	43.86
कोटा	50.18	65.38	53.52	46.73	75.00	53.83	48.11	64.13	52.69	48.27	66.59	53.11
उदयपुर	45.16	57.44	48.53	47.63	68.67	53.71	38.69	48.53	41.96	42.19	54.88	46.16
राजस्थान राज्य	43.11	57.41	47.19	45.89	66.19	51.35	39.13	51.15	42.95	40.66	53.67	44.66

परिशिष्ट - ठ

संभागवार संवर्गानुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में विद्यालय परित्याग दर

(प्रतिशत में)

संभाग	ग्रामीण क्षेत्र				शहरी क्षेत्र				योग			
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	सामान्य संवर्ग	योग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	सामान्य संवर्ग	योग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	सामान्य संवर्ग	योग
चूरू	44.65	26.67	35.14	36.95	51.16	0.00	49.65	49.70	45.84	25.00	35.45	39.60
जयपुर	44.55	45.60	41.64	41.72	56.77	35.56	44.50	47.09	46.65	43.69	42.69	43.65
जोधपुर	41.74	40.96	40.35	42.69	49.52	62.50	58.40	48.49	43.55	44.44	43.89	43.86
कोटा	54.97	54.10	52.82	53.57	45.28	0.00	52.12	50.00	53.52	53.83	52.69	53.11
उदयपुर	47.43	52.89	39.76	45.55	52.86	75.00	49.03	49.03	48.53	53.71	41.96	46.16
राजस्थान राज्य	45.07	51.31	40.77	42.95	53.37	52.08	49.53	50.39	47.19	51.35	42.95	44.66

परिशिष्ट - ड

संभागवार अभिभावकों के व्यवसायानुसार बालक बालिकाओं की विद्यालय परित्याग दर

(प्रतिशत में)

संभाग	कृषि			मजदूरी			नौकरी			व्यापार एवं गैर कृषि स्वरोजगार			योग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
चूरू	33.16	50.23	37.63	42.94	61.53	48.96	36.66	39.79	38.15	10.00	100.00	30.76	35.10	49.06	39.60
जयपुर	40.53	57.63	43.95	44.06	63.09	48.87	33.57	35.44	34.42	42.77	39.30	41.13	41.05.	49.19	4.3.65
जोधपुर	37.77	59.65	42.53	48.69	57.33	50.81	40.98	54.33	47.20	28.99	47.40	37.77	38.78	55.85	43.86
कोटा	47.66	70.07	53.00	59.90	75.36	63.84	34.72	55.77	43.55	40.23	48.00	43.07	48.27	66.59	53.11
उदयपुर	43.02	63.96	48.72	54.41	71.25	58.98	35.41	40.67	37.64	34.02	38.84	35.59	42.19	54.88	46.16
राजस्थान राज्य	39.96	59.78	44.68	48.89	65.10	53.17	36.82	44.30	40.22	37.84	42.93	40.04	40.66	53.67	44.66

पाराशष्ट - ढ

संभागवार अभिभावकों के व्यवसायानुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में परित्याग दर

(प्रतिशत में)

संभाग	ग्रामीण क्षेत्र					शहरी क्षेत्र					योग				
	कृषि	मजदूरी	नौकरी	व्यापार/गैर कृषि स्वरोजगार	योग	कृषि	मजदूरी	नौकरी	व्यापार/ गैर कृषि स्वरोजगार	योग	कृषि	मजदूरी	नौकरी	व्यापार/ गैर कृषि स्वरोजगार	योग
चूरू	37.04	48.30	26.58	46.55	36.95	48.78	50.00	52.51	47.34	49.70	37.63	48.96	38.15	30.76	39.60
जयपुर	44.31	38.41	24.36	46.86	41.72	40.85	61.11	42.76	37.25	47.09	43.95	48.87	34.42	41.13	43.65
जोधपुर	42.19	43.72	32.76	33.00	42.69	54.90	64.15	59.04	45.83	48.49	42.53	50.81	47.20	37.77	43.86
कोटा	52.69	59.28	48.98	55.70	53.57	62.16	84.00	40.00	25.86	50.00	53.00	63.84	43.65	43.07	53.11
उदयपुर	48.57	47.89	34.65	30.19	45.55	66.67	69.28	42.33	44.44	49.03	48.72	58.98	37.64	35.55	46.16
राजस्थान राज्य	44.52	46.35	30.78	39.38	42.95	48.14	63.47	49.62	40.70	50.39	44.68	53.17	40.22	40.04	44.66

विविध प्रकार के उत्प्रेरक और विद्यालय परित्याग दर के अनुसार विद्यालयों की संख्या व काई वर्ग मान

(क) पोषाहार की व्यवस्था और विद्यालय परित्याग

पोषाहार व्यवस्था संस्थिति	विद्यालय संस्था विद्यालय परित्याग प्रतिशत दर			
	0-30	31-70	71-100	योग
व्यवस्था नहीं	89	165	35	289
25% तक के लिए	7	10	4	21
26% से 50% तक के लिए	9	31	5	45
51% से 75% तक के लिए	7	17	4	28
76% से 100% तक के लिए	10	16	4	30
योग	122	239	52	413

$\chi^2 = 4.39$

(ख) निःशुल्क पुस्तकों की व्यवस्था और विद्यालय परित्याग

निःशुल्क पुस्तकों की व्यवस्था संस्थिति	विद्यालय संख्या विद्यालय परित्याग प्रतिशत दर			
	0-30	31-70	71-100	योग
व्यवस्था नहीं	66	139	29	234
25% तक के लिए	45	78	13	136
26% से 50% तक के लिए	7	10	4	21
51% से 75% तक के लिए	2	4	2	8
76% से 100% तक के लिए		8	4	14
योग	122	239	52	413

$\chi^2 = 8.06$

(ग) निःशुल्क लेखन सामग्री की व्यवस्था और विद्यालय परित्याग

निःशुल्क लेखन सामग्री की व्यवस्था संस्थिति	विद्यालय संख्या विद्यालय परित्याग प्रतिशत दर			
	0–30	31–70	71–100	योग
व्यवस्था नहीं	103	201	43	347
25% तक के लिए	12	25	7	44
26% से 50% तक के लिए	3	8	1	12
51% से 75% तक के लिए	2	3	1	6
76% से 100% तक के लिए	2	2	–	4
योग	122	239	52	413

χ^2 = 2.1

(घ) निःशुल्क पोशाक की व्यवस्था और विद्यालय परित्याग

निःशुल्क पोशाक व्यवस्था संस्थिति	विद्यालय संख्या विद्यालय परित्याग प्रतिशत दर			
	0–30	31–70	71–100	योग
व्यवस्था नहीं	53	135	26	214
25% तक के लिए	52	83	18	153
26% से 50% तक के लिए	12	11	4	27
51% से 75% तक के लिए	3	4	2	98
76% से 100% तक के लिए	2	6	2	10
योग	122	239	52	413

χ^2 = 9

(ङ) उपस्थिति छात्रवृत्ति की व्यवस्था और विद्यालय परित्याग

उपस्थिति छात्रवृत्ति उपलब्धता संस्थिति	विद्यालय संख्या विद्यालय परित्याग प्रतिशत दर			
	0-30	31-70	71-100	योग
व्यवस्था नहीं	112	211	49	372
25% तक के लिए	8	21	2	31
26% से 50% तक के लिए	1	1	–	2
51% से 75% तक के लिए	1	1	–	2
76% से 100% तक के लिए	–	5	1	6
योग	122	239	52	413

$\chi^2 = 5.46$

जाति संवर्गानुसार परित्याग कारण वर्गों का प्रतिशत

कारण वर्ग	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			सामान्य संवर्ग		
	बालक N=206	बालिका N=123	योग N=329	बालक N=141	बालिका N=88	योग N=229	बालक N=461	बालिका N=369	योग N=830
परिवार सम्बन्धी	94.66	91.06	93.31	87.23	97.73	89.96	94.14	92.68	93.49
विद्यालय सम्बन्धी	35.44	32.52	34.35	40.42	40.91	40.61	39.91	42.09	41.32
व्यक्तिगत	40.77	26.01	35.26	26.24	26.14	26.20	31.89	26.01	29.28
अन्य	3.40	6.50	21.28	5.67	4.55	5.24	4.34	6.23	6.39

परिशिष्ट-द

जाति वंवर्गानुसार परित्याग कर चुके विद्यार्थियों के अनुसार परित्याग के परिवार से सम्बन्धित कारण (कोटिक्रम)

कारण	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			सामान्य संवर्ग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1. आर्थिक विपन्नता	1	2	1	1	4	1	1	2	2
2. घर के काम में व्यस्त रहना	3	1	2	3	1	2	4	1	1
3. किसी व्यवसाय में लग जाना/मजदूरी	2	5	3	2	6	3	2	6	3
4. माता-पिता नहीं पढ़ाना चाहते	6	3	4	6	2	4	6	3	4
5. पशु चराना	5	6	6	4	3	5	3	5	5
6. माता-पिता का निरक्षर होना	4	4	5	5	5	6	5	4	6
7. परिवार द्वारा स्थान छोड़ देना	7	7	7	11	8	8	7	7	7
8. पिता का देहान्त	9	9	10	7	7	7	8	10	8
9. माता-पिता की बीमारी	10	8	8	8	10	9	9	12	9
10. घरेलू परिस्थितियां	8	10	9	12	9	10	11	11	11
11. छोटे भाई-बहनों को रखना	–	11	12	14	14	14	14	9	11
12. माता का देहान्त	11	13	11	10	11	11	13	14	14
13 परिवार का बड़ा होना	13	–	15	9	13	12	13	13	13
14. पिता का शराबी होना	12	–	14	–	–	–	–	8	12
15. पिता का घर से मजदूरी के लिए अन्यत्र जाना	–	12	13	13	12	13	10	–	5

परिशिष्ट-ध

जाति संवर्गानुसार परित्याग कर चुके विद्यार्थियों के अनुसार परित्याग के विद्यालय से सम्बन्धित कारण (कोटिक्रम)

कारण	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			सामान्य संवर्ग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1. आवास से विद्यालय की दूरी	1	3	1	1	1	1	1	2	1
2. विद्यालय में सभी प्रकार की सुविधाओं का अभाव	2	5	2	3	6	3	2	7	2
3. शिक्षकों की कमी	7	4	4	4	14	6	4	5	5
4. महिला अध्यापक का न होना	-	2	13	13	3	8	20	1	3
5. शिक्षकों की शिक्षण कार्य	11	6	8	10	5	7	3	6	4
6. पाठ्यपुस्तकों का उपलब्ध न होना	5	13	11	5	8	5	5	8	7
7. बैठक व्यवस्था का अभाव	13	12	15	6	4	4	7	4	6
8. विद्यालय भवन की अपर्याप्तता	14	8	5	2	2	2	11	11	11
9. पढ़ाई पर खर्चा अधिक होना	4	9	3	16	-	18	6	10	9
10. सहशिक्षा की व्यवस्था होना	15	1	9	-	9	16	-	3	8
11. खेल उपकरणों का न होना	8	10	10	11	10	9	8	9	10
12. गणवेश की अनिवार्यता	3	14	7	17	11	15	12	14	14
13. उत्प्रेरणा का अभाव	10	17	6	9	12	10	9	16	12
14. पेयजल का अभाव	9	11	14	14	7	12	10	13	13

15.	छात्रवृत्ति न मिलना	6	16	12	8	10	14	13	20	16
16.	मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था न होना	12	15	16	18	–	19	14	15	15
17.	शौचालय व मूत्रालय का न होना	–	7	17	15	–	17	17	12	17
18.	छात्र संघ का अभाव	17	–	20	12	13	13	15	18	18
19.	विद्यालय में शिक्षकों की कभी-कभी आना	–	–	–	7	16	11	18	21	21
20.	अध्यापक/ अध्यापिका द्वारा पिटाई या दुर्व्यवहार	18	18	18	–	17	21	19	17	19
21.	अनुत्तीर्ण होना	16	–	19	15	20	16	19	20	

परिशिष्ट-न

जाति संवर्गानुसार परित्याग कर चुके विद्यार्थियों के अनुसार परित्याग के व्यक्तिगत कारण (कोटिक्रम)

कारण	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			सामान्य संवर्ग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1. पढ़ने में रूचि न होना	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. अस्वस्थता	2	2	2	2	3	2	2	2	3
3. पढ़ाई में कमजोर होना	4	5	4	5	6	5	3	6	4
4. डर/हीनभावना	3	3	3	6	–	6	6	4	6
5. मन्दबुद्धि होना	8	8	7	3	2	3	4	9	7
6. विवाह हो जाना	–	4	9	–	4	7	9	3	5
7. पढ़ाई के बाद रोजगार की अनिश्चितता	5	9	6	7	–	8	5	–	8
8. विकलांगता	6	10	8	4	5	4	7	8	9
9. उम्र अधिक होना	7	6	5	–	7	9	8	5	2
10. अध्ययन में सहयोग देने वाला कोई न होना	9	7	10	–	–	–	10	7	10
11. नशाखोरी चोरी की आदत	–	–	–	8	–	10	–	–	–

परिशिष्ट-प

जाति संवर्गानुसार परित्याग कर चुके विद्यार्थियों के अनुसार परित्याग के अन्य कारण (कोटिक्रम)

कारण	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			सामान्य संवर्ग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1. शैक्षणिक चेतना का अभाव	2	–	2	1	1	1	1	2	3
2. सामाजिक वातावरण अनुकूल न होना	1	1	1	3	2	2	2	1	2
3. साथी/भाई द्वारा पढ़ाई छोड़ देना	–	–	–	2	–	3	3	4	3
4. चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होना	–	2	3	–	1	4	4	–	5
5. रुढ़िवादिता	–	4	5	–	–	–	–	3	4
6. धार्मिक शिक्षा लेने के कारण	–	–	–	–	–	–	5	–	6
7. आरक्षण का प्रावधान होना	–	–	–	–	–	–	6	–	7
8. पढ़ी-लिखी लड़की के लिए वर ढूँढना कठिन	–	3	4	–	–	–	–	–	–
9. बालक बालिका के प्रति व्यवहार में भेदभाव	–	–	–	–	–	–	–	5	8

परिशिष्ट - फ

जाति संवर्गानुसार परित्याग कर चुके विद्यार्थियों द्वारा पुनः प्रवेश के लिए चाही गई सुविधाएं कोटिक्रम

अपेक्षित सुविधा	अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जनजाति		सामान्य संवर्ग		समेकित			
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग का %	कोटि क्रम
निःशुल्क पुस्तकें	2	1	1	1	1	1	1	1	53.65	1
निःशुल्क पौशाक	3	2	2	2	3	2	3	2	41.27	2
आर्थिक सहायता	1	4	3	5	2	3	2	3	37.76	3
अध्ययन में सहयोग	4	3	5	4	4	7	4	5	21.27	4
निःशुल्क लेखन-सामग्री	5	7	4	3	5	4	5	4	20.95	5
मा-बाप की सहमति	8	6	7	7	7	6	7	7	11.11	6
सुविधाजनक विद्यालय समय	7	9	6	-	6	9	6	9	10.79	7
पृथक् छात्रा विद्यालय की व्यवस्था	-	5	-	8	-	5	-	6	7.62	8
समीप ही विद्यालय हो	6	-	10	-	8	13	8	14	5.40	9
महिला शिक्षक की नियुक्ति	-	8	-	9	-	8	-	8	5.40	10
गृहकार्य से छूट	-	10	9	6	12	10	10	10	3.49	11
उपयोगी काम सिखाया जाय	9	11	8	-	10	11	9	11	3.17	12
विद्यालय में सुचारू शिक्षण की व्यवस्था हो	12	-	-	10	11	15	13	12	1.58	13
पशु चराने की व्यवस्था हो	-	-	-	-	9	12	11	13	1.27	14
छात्रावास की सुविधा	10	-	11	-	13	-	12	-	0.95	-
शारीरिक दण्ड न दें	11	-	-	-	-	14	15	15	0.63	16
अभिभावक के रूप में किसी का आश्रय मिले	13	-	-	-	-	-	14	-	0.32	17

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-7191
Date 21.9.95

NIEPA DC
D07191